चलो, चलें मंगरौठ

•

श्रीकृष्णदत्त भट्ट

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन
राजघाट, काशी

प्रकाशक :
मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ,
राजघाट, काशी

पहली बार : मई १९५८ : ५,०००
दूसरी बार : दिसम्बर १९५९ : ३,०००
मूल्य : पचहत्तर नये पैसे
(बारह आना)

मुद्रक :
पं० पृथ्वीनाथ भार्गव,
भार्गव भूषण प्रेस, गायघाट, वाराणसी

क्यों ?

ऊबड़-खाबड़ वन्य देहात !
चारों ओर धूल-धक्कड़ ।
गर्मी में चिलचिलाती धूप !
सर्दी में कड़कड़ाती ठंड !
पानी इतना गहरा कि खींचने में हाथ में गट्टे पड़ जायें ।
खेतों में जरिया और काँस !
न कोई आकर्षण ! न कोई और खास बात ।
फिर भी मैं आपसे कहता हूँ :

चलो, चलें मंगरौठ !

क्यों ?
इसलिए कि—
न कुछ होते हुए भी मंगरौठ मंगरौठ है ।
भूदान-आन्दोलन का तीर्थ है वह ।
भारत का सबसे पहला ग्रामदान है वह ।
यह मत सोचिये कि मंगरौठ में देवता निवास करते हैं ।
यह मत सोचिये कि मंगरौठ में यक्ष और किन्नर रहते हैं ।
जी नहीं, मंगरौठ में भी हमारी-आपकी तरह हाड़-मांसवाले जीवों का ही निवास है ।

उनमें भी हमारी-आपकी तरह कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं ।
फिर भी उनमें कुछ 'है', जिसने उन्हें सबसे पहले इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे भूदान-आन्दोलन को एक नया मोड़ दें ।
भारत में यही वह पहला गाँव है, उत्तर प्रदेश में यही वह पहला गाँव है, जिसने सबसे पहले विनोबा के इस वाक्य को चरितार्थ करके दिखा दिया कि—

'सबै भूमि गोपाल की !'

यों दीवान साहब मेरे '३२-'३३ के फतेहगढ़ जेल के साथी ठहरे! मंगरौठ जाने के कई बार तकाजे आते रहे, पर गत जनवरी '५८ के आरम्भ में जीवन में पहली बार मैं इस गाँव के दर्शन कर पाया। सोचा था कि दो-चार दिन ठहरकर इस गाँव का अध्ययन करूँगा; पर आज-कल करते-करते दो सप्ताह उधर लग गये! फिर भी मैं मंगरौठ का विधिवत् 'सर्वे' न कर सका। जो भी सामग्री जुटा सका, हाजिर है!

ग्रामदान से मंगरौठ कोई स्वर्ग बन गया, ऐसी कल्पना न करें। दीवान साहब के परिवार के अलावा वहाँ का नया खून, वहाँ का सर्वोदय-मण्डल वहाँ पर सर्वोदय की बढ़िया-से-बढ़िया तसवीर खड़ी करने में जी-जान से जुटा है। विकास की अभी वहाँ बड़ी जरूरत है, बड़ी गुंजाइश है, साधन सीमित हैं, फिर भी लोग प्रयत्नशील हैं, जी-जान से प्रयत्नशील हैं। पैरों पर खड़े होने में उन्हें सहारा देना हम सबका कर्तव्य है। हमारा विश्वास है कि वे एक दिन कह सकेंगे :

> एक वे हैं कि लिया अपनी सूरत को भी बिगाड़,
> एक हम हैं जिन्हें तसवीर बना आती है!

उनकी यह लगन, उनकी यह श्रम-साधना हम सबके लिए आमंत्रण है। और वहाँ के निवासियों का प्रेमभरा आतिथ्य मुझसे बार-बार कहता है :

चलो, चलें मंगरौठ!

काशी
२३ मई, १९५८

अनुक्रम

इतिहास की रेखाएँ

स्वावलम्बन की ओर

सामाजिक जीवन

नैतिकता की दिशा में

सिंहावलोकन

चलो, चलें मंगरौठ

'सर्वै भूमि गोपाल की !'

इतिहास की रेखाएँ

●

भारत का पहला ग्रामदान : १ :

'कीर्तिर्यस्य स जीवति ।'

जीने को तो सभी जीते हैं, पर जीना उसीका सार्थक है, जो यशस्वी होता है, दिग्दिगन्त में जिसकी कीर्ति-पताका फहराती है ।

एक छोटा-सा गाँव मंगरौठ आज भारत में ही नहीं, सारे विश्व में प्रख्यात हो उठा है ।

क्यों ?

इसीलिए कि भारत का वह सबसे पहला गाँव है, जिसने अपनी मालकियत का विसर्जन करके कह दिया : 'सबै भूमि गोपाल की ।'

भूदान-गंगा विनोबा के चरणों के साथ-साथ लहराती हुई जब उत्तर प्रदेश में बेतवा किनारे पहुँची, तो वहाँ पर बसे हुए मंगरौठ गाँव ने आज से छह वर्ष पूर्व मई २४, १९५२ को एक स्वर से कह दिया :

'त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये ।'

उस समय तक देश में भूमि का दान तो बहुत मिल चुका था, पर इस तरह सारा-का-सारा ग्रामदान कहीं नहीं मिला था । किसी भी गाँव ने तब तक अपने स्वामित्व का सोलह आना विसर्जन नहीं किया था ।

जो काम किसी गाँव ने नहीं किया था, वह मंगरौठ ने कर दिखाया ।

और तभी तो आज मंगरौठ एक तीर्थ-स्थल बन बैठा है । और आये दिन कितने ही नेता और सेवक, लेखक और पत्रकार, आलोचक और प्रशंसक, देश के, विदेश के लोग मंगरौठ की जियारत करने पहुँचते रहते हैं ।

आज तो देश में ग्रामदानी गाँवों की संख्या साढ़े तीन हजार तक जा

पहुँची है, पर मंगरौठ ने जब यह कदम उठाया, तब वह अकेला था, सर्वथा अकेला, एक।

भारत का सबसे पहला ग्रामदानी गाँव—मंगरौठ !

× × ×

सवाल है कि मंगरौठ को ग्रामदान की, सर्वस्व-समर्पण की प्रेरणा हुई कैसे ?

आज जब विश्व में सर्वत्र ही स्वार्थों का बोलबाला दिखाई पड़ता है, जब हमारे चारों ओर के वातावरण में 'लेना' 'लेना' ही सुनाई पड़ता है, 'देना' कोई सुनना भी नहीं चाहता, तब यह कैसा गाँव निकल आया, जिसने विनोबा से कह दिया : "लो बाबा, यह सारा-का-सारा गाँव तुम्हारी झोली में !"

और यह जानने-समझने के लिए हमें मंगरौठ के इतिहास के पुराने पन्ने पलटने होंगे।

× × ×

मंगरौठ के एक जमींदार हैं—दीवान शत्रुघ्न सिंह।

श्री चंदी बाबा

उस दिन वयोवृद्ध चंदी बाबा (ठाकुर चन्द्रशेखर सिंह) बचपन के संस्मरण सुनाते हुए मुझसे कहने लगे कि दीवान साहब जब दस-ग्यारह साल के थे, तभी उनके मन में रह-रहकर यह कल्पना उठा करती थी कि कोई मकान पक्का है, कोई कच्चा, कोई छोटा है, कोई बड़ा। यह विप-

मता ठीक नही । सबके मकान एक-से होने चाहिए । सफेद घोड़े पर सवार होकर जब वे घूमने निकलते और सामने किसी गरीब को नंगे पैर आते देखते, तो उनके मन में यह विचार उठा करता कि मैं अपना यह घोडा इस गरीब को दे दूँ । बचपन से ही वे हरिजनो के घरो मे निस्संकोच घुस जाते और जो कुछ मिलता, खा-पी आते । वे उन्हे यह भी सिखाते कि देखो, जमीदार के आदमी अगर तुमसे बेगार माँगें, तो तुम बेगार न देना !

पिता का साया तो दीवान साहब के सिर पर से जन्म के चार मास पूर्व ही उठ चुका था, माँ की गोद मे ही वे बढ़े-पनपे । उनके अभिभावक थे ठाकुर गुरुबख्श सिंह—एकदम सख्त और कडे, पूरी जमींदारी आन-वान-शानवाले । उधर वे अपने ढंग पर जमीदारी का कारबार चलाते, इधर दीवान साहब रात-दिन समता, समानता और समाजवाद की बातें सोचते !

बचपन से ही दीवान साहब को आर्य-समाज की हवा लग चुकी थी । तभी से वे अश्लील गालियों का और गन्दी सामाजिक प्रथाओ का विरोध करने लगे थे । इसी उद्देश्य से उन्होने 'कुरीति निवारिणी सभा' खोली ।

रानी राजेन्द्रकुमारी

पर इतने से ही उन्हे सतोष न हो सका ।

देश की भयकर गरीबी, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, विदेशी सरकार का अन्याय, अत्याचार और शोषण—सब रह-रहकर दीवान साहब को खटकने लगा । अन्तस् का

विद्रोह बाहर निकलने को उत्सुक हो उठा। वे भारत-माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए कृतसंकल्प हो गये।

और इसी क्रम में उन्होंने एक सप्ताह का उपवास करके स्वदेशी का व्रत लिया, उनकी सहधर्मिणी रानी राजेन्द्रकुमारी ने पर्दा तोड़ा, अमन सभा में शामिल होने से और उसके लिए रुपया देने से उन्होंने इनकार किया। इतना ही नहीं, 'रायसाहबी' उन्हें मिल रही थी, उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया।

दीवान साहब की ये राजनीतिक हरकतें घरवालों और अभिभावकों को नापसन्द थीं, पर मजबूरी थी। लड़का अपने ढंग का था, और वह भी उसके रंग में रँग चुकी थी। १९२० में राठ में जो पहली राजनीतिक सभा हुई, उसमें दीवान साहब सपत्नीक पीले कपड़े पहनकर शरीक हुए। उनकी गिरफ्तारी ऐतिहासिक बन गयी। दर्शकों की अपार भीड़ जुटी, जिसने कचहरी के शीशे तक तोड़ डाले!

सालभर की सजा काटकर जब दीवान साहब छूटे, तब से राजनीति उनके गले बँध गयी। जिले में ही नहीं, सारे बुन्देलखण्ड में राजनीतिक चेतना फैलाने में उन्होंने कोई बात उठा न रखी। युवकों को राजनीति में खींचने में वे अपना सानी नहीं रखते। पंडित परमानन्द जैसे क्रांतिकारियों के साथ पहले वे सशस्त्र क्रांति के भी हामी रहे थे, पर बाद में गांधी की आँधी उन्हें अहिंसात्मक क्रांति की दिशा में खींच ले आयी। मंगरौठ गाँव और वहाँ के निवासी उनके विचारों से अछूते रह कैसे सकते थे? सब पर उनका पूरा असर रहा।

× × ×

सब एक साथ मिलकर रहें, मिल-जुलकर काम करें, मिल-जुलकर खायें और पियें,—यह कल्पना दीवान साहब के मन में सन् '२४-'२५ में उठी। एक दिन उन्होंने तमाम गाँववालों को बुलाकर कहा: "आप सब लोग मेरी जमीन ले लें और अपनी जमीन में मिलाकर सब एक परिवार की तरह रहें, सब मिलकर खेती करें और सब मिलकर खायें-पियें!"

गाँववाले हैरान। वे समझ ही नही पा रहे थे कि दीवान साहब कह क्या रहे हैं। ऐसा भी भला कही होता हैं ? कोई जमीदार अपनी सारी जमीन उठाकर गाँववालों को प्रयोग के लिए दे देता है ?

"कल आप सोचकर जवाब दें।"—कहकर दीवान साहब ने गाँव-वालों को बिदा किया कि सारे गाँव में तहलका मच गया। श्री गुरबख्श सिंह उस समय गाँव पर थे नही। पटवारी ने दूसरे गाँव में जाकर उन्हें खबर की। रातों रात वे मंगरौठ आ गये। सुबह जैसे ही गाँववाले कोठी पर इकट्ठे होने लगे कि श्री गुरुबख्श सिंह ने नौकर को पुकारकर कहा : "चल रे····, ये आये नये जमीदार ! इनके लिए हुक्का-चिलम भरकर ला !"

इस व्यंग्य को सुनते ही गाँववाले सकपका गये और सभी धीरे-धीरे खिसक गये।

दीवान साहब को जब यह पता लगा कि उनके अभिभावक के डर के मारे किसीकी हिम्मत नही पड़ता कि वह उनकी योजना में हाथ बँटाये, तो उन्हे बड़ा बुरा लगा और वे नाराज होकर एकान्त में चले गये।

× × ×

इसके बाद दीवान साहब के अभिभावक और रानी साहिबा के पिता दोनों ही चिन्तित हो उठे कि यह लडका तो घर फूँक तमाशा देखनेवाला है। पता नही, किस दिन क्या कर बैठे ! इसलिए जमीन की कुछ उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

बहरहाल, तय यह रहा कि जमीन दीवान साहब के नाम न रहे, उनके पुत्रों के नाम कर दी जाय।

दीवान साहब ने भी देखा कि ये लोग उनकी मर्जी के अनुसार कुछ करने देते नहीं, इसलिए उन्होंने बखुशी अपनी जमीन पर से अपना हक छोड़ दिया।

सरकारी कागजों पर उनके वारिसों का नाम चढ़ गया !

× × ×

जब-जब देश में रणभेरी बजी, दीवान साहब अगले मोर्चे पर हाजिर थे। समय-समय पर वे फरार भी रहे। उन पर और उनके गाँववालों पर सरकार की सदा ही वक्र-दृष्टि रही। उनका पता लगाने के लिए गाँववालों की अक्सर ही पिटाई होती, पर मजाल क्या कि पुलिस को उनका सुराग लग तो जाय ! जब कभी लोग देखते कि दूर पर पुलिस आ रही है, तभी गाँव में शोर हो जाता :
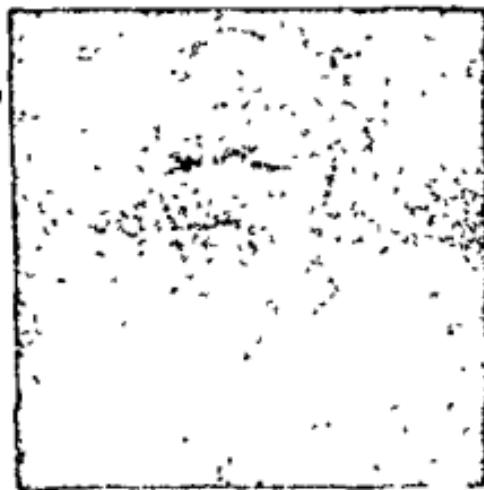
दीवान शत्रुघ्न सिंह

'संइया छूटि गओ।'

बस, लोग सावधान हो जाते।

एक बार तो एक पुलिस अधिकारी अचानक ही मोटर से गाँव में आ धमका। एक अन्धे ग्रामवासी ने चुपके से मोटर के पास जाकर उसका 'हार्न' बजा दिया। पुलिस ने उसकी मरम्मत तो खूब की, पर उसका काम तो बन ही गया !

× × ×

सन् '३२-'३३ में फतेहगढ़ जिला जेल में दीवान साहब को देखता था, तभी ऐसा लगता था कि इस प्रेमिल व्यक्ति में देश की आजादी के लिए, देश की समृद्धि के लिए भारी तड़प है और उसके लिए यह त्याग की अन्तिम सीमा तक जाने को तैयार है।

सन् '२४-'२५ में दीवान साहब ने 'सम्मिलित परिवार' की बात सोची थी, पर वह अधर में ही रह गयी। '४१-'४२ में जेल में उन्होंने उसकी

एक विस्तृत योजना तैयार की, पर उसे कार्यान्वित होने का अवसर मिला तब, जब मंगरौठ का ग्रामदान हुआ।

× × ×

१९५२ मे सेवापुरी के सर्वोदय-सम्मेलन में दीवान साहब ने विनोबा से अनुरोध किया—हमीरपुर जिले में पधारने का। तभी से दीवान साहब इस बात के लिए प्रयत्नशील हो उठे कि मंगरौठ का ग्रामदान हो।

गाँव लौटकर जमनदास और कृष्ण कुमार से दीवान साहब ने कहा "गाँववालों से कहो कि मेरी इच्छा है कि गाँव के सभी लोग अपनी सारी जमीन विनोबा को भूदान में दे दें।"

वे बोले : "ऐसा मुश्किल है। कोई आदमी इसके लिए तैयार नही है।"

फिर भी गाँव मे इसकी चर्चा चलती रही।

× × ×

२३ मई १९५२।

प्रातःकाल की मनोरम वेला में मगरौठ से ६ मील पर बसे, उरई जिले के अन्तिम पड़ाव, डकोर गाँव से विनोबा हमीरपुर जिले की ओर बढ रहे थे। मंगरौठ के पास उन्होंने बेतवा पार की। वही गाँववालों की ओर से भेट की गयी ककडियो और खरबूजों का नाश्ता लिया, और इतना ही कहकर बाबा हमीरपुर के पहले पडाव इटैलिया की ओर चल पड़े :

'सबै भूमि गोपाल की'

दीवान साहब अपने यहाँ भूदान के संयोजक थे। मंगरौठ मे पड़ाव रखना सर्वथा उपयुक्त था, पर उन्होंने जान-बूझकर वहाँ विनोबा का पड़ाव नही रखा। टूटा-फूटा मकान, मरम्मत के लिए पास मे पैसे नही, यदि लोगों से कहते कि मरम्मत करो, तो इस बदनामी का डर कि यह बाबा के पडाव के बहाने अपना मकान ठीक करा रहा है। इसके अलावा

गाँववालों पर उन्हें यह खीझ भी थी कि वे ग्रामदान के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तब पड़ाव क्यों रखें ?

गाँववालों ने दीवान साहब की यह नाराजी देखी, तो उन्हें अपने कर्तव्य का कुछ बोध हुआ। रात ही रात उन्होंने डकोर से इटैलिया तक का रास्ता इतना साफ और बढ़िया बना दिया कि यात्री-दल को रत्ती-भर कष्ट-बोध न हुआ।

इतना ही नहीं, इटैलिया की सभा के बाद वे दीवान साहब को खोजने लगे और जब वे मिले, तो कहा : "बाबा अपने गाँव से होकर आये हैं, हमने कुछ दिया नहीं। कुछ दिया जाय।"

रूखे स्वर में दीवान साहब बोले : "दो, जितना चाहो।"

"आपसे पूछे बिना कैसे देंगे ? चलिये गाँव पर।"

रात को ११ बजे दीवान साहब मंगरौठ पहुँचे। उन्होंने कहा : "बाबा को गाँव की सारी-की-सारी जमीन देनी चाहिए। ऐसा करो, तब तो कोई बात है, नहीं तो मुझसे बात करना बेकार है।"

एक ने पूछा : "*काय जू ! सबई जमीन अगर दै दई जाय, तौ हम खाब का ?*"

दीवान साहब बोले : "मन्दिर में हम देवता को भोग चढ़ाते हैं, फिर हमी लोग उसका प्रसाद पाते हैं। देवता उसमें क्या ले लेता है ?"

थोड़ी देर लोग आपस में चर्चा करते रहे। फिर किसीने कहा : "तो फिर का है। चढ़न देउ सबको सब !"

इतना सुनना था कि दीवान साहब ने अपने बेटे को पुकारकर कहा : "वीर, चलो करो दस्तखत।"

बस, दानपत्र भरे जाने लगे। एक, दो, तीन, चार....

दो-एक व्यक्ति ने उदासीनता दिखायी। एकाध ने बहस भी की, पर वह सारी बात समझने के लिए ही थी। कहा एक ने : "मैं तो जू

ईसे आय सवाल पूछत हों कि सब जने खूब समझ लेंय। मोय तो सबई देने हैं।"

२३ मई की रात के बारह बजे से २४ मई के दोपहर दो बजे तक दानपत्रों पर हस्ताक्षर होते रहे। एक मनियाँ को छोड़, गाँव के सभी भूमिवानों ने अपनी पूरी-की-पूरी जमीन विनोबा को दान कर दी।

× × ×

जेब में दानपत्र भरे हुए दो बजे की लू में साइकिल पर सवार दीवान साहब जब राठ की ओर जाने लगे, तो उनके उत्साह और आनन्द का पार नहीं था। मैंने जब इस बारे में पूछा, तो बोले: "उस समय मुझे ऐसा लग रहा था, मानो हवा में उड़ रहा होऊँ!"

× × ×

राठ में पड़ाव था। बाबा प्रार्थना-सभा में जा रहे थे। दीवान साहब ने जाते ही बाबा के चरण छुए और दानपत्र अर्पित करते हुए कहा: "यह मंगरौठ की गाँवभर की भेंट है।"

बाबा ने दानपत्र करण भाई को दे दिये।

प्रार्थना-प्रवचन समाप्त कर बाबा चले गये, तो करण भाई ने कहा: "अब दीवान साहब कुछ बोलेंगे।"

पर दीवान साहब क्या बोले? हृदय गद्गद था। वे सिर्फ इतना ही कह सके: "बच्चा चारों ओर से कुटे-पिटे, पर माँ उसे अपनी गोद में छिपा ले, तो उसे पूरा संतोष होता है। मेरा सौभाग्य है कि मंगरौठ ने मुझे अपने बेटे की तरह आँचल में जगह दी!"

× × ×

यों, मगरौठ ने अपनी मालकियत का विसर्जन कर ग्रामदान के इतिहास में सबसे पहले अपना नाम लिखाया।

धन्य मगरौठ! धन्य मगरौठ के ग्रामवासी!! ○ ○ ○

मंगरौठ : एक झाँकी

"यह मंगरौठ है कहाँ ?"

देश-विदेश मे जिस मंगरौठ की इतनी चर्चा है, उसके बारे में अक्सर ही लोग पूछ बैठते है : "यह मंगरौठ है कहाँ ?"

आइये मेरे साथ, मैं आपको उसकी झाँकी करा दूँ।

× × ×

बाँदा, फतेहपुर, कानपुर, जालौन, झाँसी जिलों के बीच मे बसा उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर : बुन्देलखण्ड की आन-बान-शान-वाला। उसीकी राठ तहसील मे बेतवा किनारे पर एक छोटा-सा गाँव है—मंगरौठ।

आप दिल्ली से आ रहे है, तो झाँसी मे उतरकर कानपुर जानेवाली ट्रेन पकडिये और उरई स्टेशन पर उतर जाइये।

आप कानपुर से आ रहे हैं, तो भी आपको कानपुर-झाँसी लाइन के उरई स्टेशन पर उतरना होगा।

स्टेशन से आपको उरई का चक्कर लगाते हुए मोटर अड्डे पर आना पडेगा, जहाँ से आपको राठ जानेवाली बस पकडनी होगी। उरई-राठ की कच्ची सड़क के बीचोबीच मे मगरौठ पडता है। उरई से भी १६

मील, राठ से भी १६ मील। इस सड़क पर जहाँ आप उतरेंगे, वहाँ से कोई १ मील पर मंगरौठ गाँव है। ऊँचाई पर बसे इस गाँव की सफेद दीवालें दूर से ही चमकती दीख पडेगी।

जबलपुर-मानिकपुर की तरफ से आप आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे निकट का स्टेशन है—कुलपहाड़। वहाँ से बस द्वारा राठ आइये और राठ से मंगरौठ।

उरई से आयेंगे, तो आपको बेतवा पार करनी पडेगी और मोटर से उतरकर बालूभरा नदी का मार्ग कुछ दूर पैदल ही नापना होगा। उसके बाद ऊँचे-नीचे ऊबड़-खाबड़ रास्ते मे धूल फाँकते हुए आगे बढना होगा।

और कुछ न पूछिये इन बसों का हाल। ठसाठस सवारियाँ भरी रहती हैं, साथ में कुछ विशेष सामान हो, तो उसका भी अलग से भाड़ा लगता है। फिर भी किसी तरह बैठने या खड़े होने को जगह मिल जाय, तो गनीमत समझिये।

इतनी परेशानी, धूल-धक्कड़ और इतनी तपस्या के बाद आप मंगरौठ मे प्रवेश पा सकते हैं। बरसात मे सो भी नही। तब तो वह टापू बन जाता है, टापू। न बस मिलती है, न बैलगाडी। सवारियो के लिए कोई गुंजाइश रहती ही नही। उधर से बेतवा फुँकारती है, इधर से उसमें गिरनेवाले तमाम छोटे-बडे नाले। उन दिनो नाव से और पैदल पानी मँझाकर कोई जाने की हिम्मत करे, तभी वह मगरौठ पहुँच सकता है, वरना नहीं।

× × ×

मंगरौठ में आप प्रवेश करेंगे 'जयपथ' से। गाँव के बाहर ही आपको एक ओर मिलेगा 'प्रकाश मंदिर' और दूसरी ओर 'नारायण घर'। श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा उद्घाटित ये तीनों स्थल—पुलिया, पाठशाला और पंचायत-घर आपको यह सूचना देते जान पड़ेंगे कि गाँव में जीवन है, बल है, श्रम-साधना है और है मिल-जुलकर अपना विकास और निर्माण करने की कामना।

मंगरौठ ग्राम का मानचित्र
तालाब
नया तालाब
मंदिर
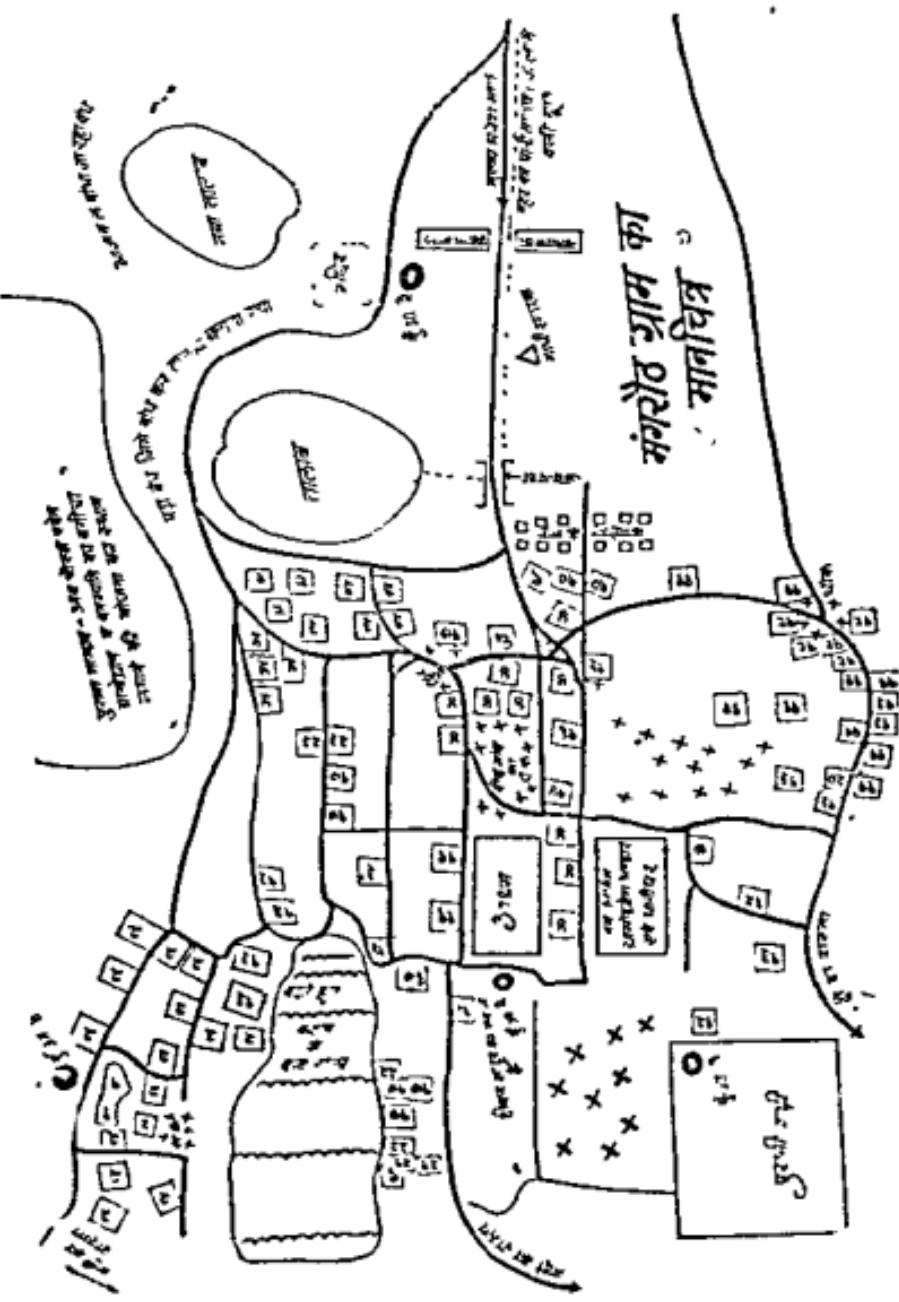
फिर तालाब के बगल से होते हुए आप गाँव में घुसिये। आप देखेंगे कि ऊँचाई पर बसा छोटे-छोटे कच्चे मकानोंवाला यह छोटा-सा गाँव आस-पास से कुछ भी भिन्न नहीं है, पर इसकी सामुदायिक चेतना, इसकी राजनीतिक चेतना, इसकी नैतिक चेतना अन्य गाँवों से भिन्न है, सर्वथा भिन्न।

मंगरौठ में यद्यपि विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी छुआ-छूत का कोई भेद नहीं। बच्चे भी साथ खाते हैं, बूढ़े भी। जब मंगरौठ की बारातें दूसरे गाँवों में जाती हैं और यहाँ के सभी जातियों के बाराती जब एक साथ मिलकर खाते-पीते हैं, तो लड़कीवाले कहते हैं : "जाने दो भाई, मंगरौठ की बात ही निराली है!"

× × ×

१९५२ में जब मंगरौठ का ग्रामदान हुआ, उस समय आँकड़ों में मंगरौठ की स्थिति यों थी।

कुल परिवार १०७ जनसंख्या ५८५

परिवार जातियों के अनुसार :

कायस्थ	१ परिवार	बसोर	२ परिवार
वैश्य	१ ,,	ढीमर	४ ,,
अहीर	१० ,,	मुसलमान	१ ,,
ब्राह्मण	१० ,,	लोदी	६ ,,
जोशी	२ ,,	चमार	३ ,,
ठाकुर	२ ,,	खटिक	२ ,,
बढ़ई	१ ,,	केवट	१४ ,,
सुनार	२ ,,	कोरी	११ ,,
तेली	२ ,,	नाई	२ ,,
धोबी	४ ,,	गड़ेरिया	३ ,,
चमार	२३ ,,	लोहार	१ ,,
			१०७ परिवार

जमीन—मजरूआ :

मंगरौठवालों की	८२८·२५ एकड़
अन्य ग्रामवालो की	१६००·१७ ,,
	२४२८·४२ एकड़

जंगल, परती :

तालाब	९४२ एकड़	बाग	१४२ एकड़
गढ़ी	१०० ,,	बंजर	५५४८२ ,,
भीटा	१८९ ,,	पुरानी परती	१०७·९९ ,,
बीहड	१६२१·७९ ,,	नयी परती	२२३०९ ,,
वध	०३६ ,,		२५२१७८ एकड

नदी, नाले आदि की जमीन :

कब्र	०·०५ एकड	सडक	१९९० एकड
नदी	८८१५ ,,	रेत	१७०६ ,,
रास्ता	२९२७ ,,	आबादी	१५·२० ,,
नाला	६८·६० ,,		
			२३८·२३ एकड़

मजरूआ	२४२८·४२ एकड़
जंगल, परती	२५२१·७८ ,,
नदी, नाला आदि	२३८·२३ ,,
कुल जमीन	५१८८·४३ एकड़

मंगरौठ की मजरूआ जमीन	८२८·२५ एकड़	
काबर : बहुत कड़ी : सूखने पर ढेले : सत्त्ववान्	२६० ,,	लगभग
राकर . बहुत हल्की : सिंचाई से अच्छी फसल : सत्त्वहीन	५३० ,,	
कछार : नदी तट	२० ,,	
मार : नरम : बिना सिंचाई भी अच्छी फसल	१८ ,,	

सन् १९३०-३२ में स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में जब मंगरौठ के निवासी ब्रिटिश सरकार से लोहा ले रहे थे और जेल, लाठी और उत्पीडन के शिकार हो रहे थे, उसी समय पास के गाँववाले कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने नौकरशाही को प्रसन्न कर मंगरौठ की अत्यन्त उपजाऊ १६०० एकड़ जमीन दबा ली और उसे अपने नाम लिखवा लिया। तब से केवल ८२८ एकड़ जमीन मंगरौठ के हाथ में रह गयी।

× × ×

मजरूआ जमीन में लगभग १०० एकड जमीन जरिया से और १०० एकड़ जमीन काँस-खर-पतवार (Weed) से जकडी थी। शेष ६०० एकड़ में ३५० एकड में खरीफ और २५० एकड में रबी की फसल होती थी। सिर्फ २०-२५ एकड भूमि में कुछ बाँध बँधी थी। सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। पानी बहुत गहराई पर है, कुएँ खोदना आसान नहीं, पथरीली जमीन में यों ही कठिनाई, दूसरे गरीबी में इतना खर्च कौन करे? नहर का भी कोई प्रबन्ध था नहीं। गाँव का तालाब खेती के लिए बेकार था। मई मास में तो वह पूरा सूख ही जाता था। उसके कीचड से खपरैलें पाथी जाती थीं और मकानों की मरम्मत होती थी।

× × ×

यों मंगरौठ में पैदा तो गेहूँ, चना, जौ, अरहर, अलसी, राई, ज्वार, बाजरा, तिल, मूँग, उड़द आदि बहुत कुछ होता था, पर ग्रामवासियों

को खाने को मिलती थी सिर्फ जौ-चना या गेहूँ-चना—अर्थात् बर्रे की रोटी और नमक या मिर्च; बहुत हुआ, तो कभी मूँग या अरहर की दाल। अधिकतर 'महेरी' पर गुजर करनेवाले मंगरौठ के ग्रामवासी साल में कई मास भूखे या अधपेट रहा करते थे। मेहमान आते, तो उन्हें गेहूँ की रोटी खिलाते, पर उनके साथ खुद खाने न बैठते। जिनके पास जमीन नहीं थी, उनकी दुर्दशा का तो कहना ही क्या!

मगरौठ के १०७ परिवारो में भूमिवान् परिवार थे—६७,

भूमिहीन परिवार थे— ४०।

इन ४० परिवारों के पास नाममात्र को भी जमीन न थी। १३ परिवार तो प्राय. बेगार और खेतिहर मजदूरी के बल पर ही जीते थे। वह भी रोज-रोज कहाँ?

× × ×

मंगरौठ में वर्षा होती है २५ से ३० इन्च तक। जून से पानी पड़ने लगता है और सितम्बर के अन्त तक पड़ता रहता है।

यहाँ की खेती का मुख्य आधार है वर्षा। पानी यहाँ १२५ से १३० फुट की गहराई पर है। बेतवा नदी गाँव से लगभग तीन फर्लांग पर है। वहाँ घाट के पास हो पानी काफी गहरा है और काफी मात्रा में भी है, पर सवाल है कि १३०, १४० फुट नीचे से ऊपर खिचे कैसे ?

× × ×

वर्षा आती है, तो मंगरौठ की खेती को तो लाभ पहुँचता है; पर गाँव की आबादी पर मुसीबत भी आ जाती है। भूमि का कटाव मंगरौठ की एक अत्यन्त विषम समस्या है। गाँव के किनारे का नाला बड़ा खतरनाक है। आबादी के अत्यन्त निकट तो वह है ही, एक जगह तो वह आबादी के बीच मे पड जाता है। इसका नतीजा यह है कि एकाध बार गाँव के कुछ जानवर उसमे जा पडे ! बच्चों के गिरने का भी पूरा खतरा रहता है। नाले की गहराई और उसकी चौड़ाई इतनी है कि उस पर पार पाना कठिन ही नहीं, फिलहाल असम्भव-सा लगता है। यह खतरा भयंकर इसलिए होता जा रहा है कि हर साल वह अधिक जमीन काटता चल रहा है। यह कटाव न रुका, तो धीरे-धीरे सारे गाँव को अपनी लपेट मे ले सकता है।

× × ×

बेतवा नदी बुन्देलखण्ड की प्रसिद्ध नदी है। मंगरौठ पर उसकी कृपा है या अकृपा, यह कहना कठिन है। वर्षा मे वह विकराल रूप धारण करती है। भूमि के कटाव मे भी उसका गहरा सम्बन्ध है। उसके कछार में गाव के कुछ परिवार मिट्टी और खाद डालकर खरबूजा, तरबूज, ककडी, कद्दू, बैगन आदि की कुछ फसल उगाते रहे है, पर उस पर ४०-४५ मील दूर पर बँधे एक बाँध का पानी कब कहर ढा देगा, कब उस फसल को पानी मे मिला देगा, यह कहना कठिन है। उस बाँध का पानी जब बिना किसी पूर्वसूचना के नदी मे छोड़ दिया जाता है, तो नदी मे दो-ढाई फुट की बाढ़ आकर तबाही ला देती है और यह मुसीबत सिर्फ मगरौठ पर ही नही, आसपास के पचास ग्रामो पर आ पड़ती है।

मई १९५४ में जब ऐसी अनपेक्षित बाढ़ आयी, तो बाबा राघवदास मंगरौठ में ही थे। उनके तीव्र विरोध से इस दिशा में कुछ सुधार हुआ।

× × ×

मंगरौठ का जंगल २५०० एकड़ का है। नदी का किनारा, छोटे-छोटे हरे-भरे वृक्ष, झाड़-झंखाड़ : दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। दृश्य मनोहारी है, पर सच पूछिये, तो वह सही मानी में जंगल है ही नहीं। न बड़े-बड़े ऊँचे वृक्ष, न जंगल की अन्य कुछ सम्पदा। कुल मिलाकर इमली के ४ पेड़ और पीपल का एक पेड़ यहाँ है। नदी-तट पर अवश्य ही महुआ के २० पेड़ हैं। नालों से जंगल की जमीन कटकर नदी में जा रही है। जगह-जगह गड्ढे और खड्ड हैं। कटाव को रोकनेवाले वृक्ष और लताओं की बड़ी कमी है।

ग्रामदान के पहले इस जंगल में पशु घास चरते थे और ग्रामवासी घास और लकड़ी काट लाया करते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि जंगल सिर्फ कहनेभर को था। ग्रामदान के बाद इसकी सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अब कुछ दिनों में शायद वह अपने नाम को सार्थक कर सके और भूमि-क्षरण को रोकने में मदद दे सके।

× × ×

मंगरौठ में गायों, भैंसों, बछोरों, बैलों, बछड़ों, घोड़ों, बकरियों, भेड़ों आदि की कुल संख्या लगभग ७५० है। १०० से अधिक गायें हैं

और १२५ के लगभग बैल। भैसें भी १०० से अधिक हैं। कलोरें और बछड़े ५०-५० के लगभग हैं। २५० के लगभग बकरियाँ हैं, ३० के लगभग भेंडे। कुछ मुर्गियाँ भी है, कुछ सूअर भी।

गायें साधारण हैं, अच्छी नहीं। साल मे ६ माह ही वे दूध देती हैं और उनके दूध का औसत प्रतिदिन ३ पाव मानना चाहिए। भैस के दूध का औसत १॥ सेर है और बकरी का १॥ पाव।

मंगरौठ का पशु-धन

गाय और भैस के दूध की बिक्री बहुत कम होती है। बकरी का दूध भी कम ही बिकता है। दूध का दही, मक्खन और घी बनाते हैं। दही जमाने के लिए कच्चे दूध का ही उपयोग होता है। दूध उबालने के बाद दही जमाने की प्रथा नहीं है।

मंगरौठ के इस पशु-धन के लिए चारे की बड़ी कमी रहती है, चरागाह तो नहीं-से है। पशुओं के पानी पीने का पहले कोई प्रबन्ध न था। नदी में पानी पीने के लिए जानेवाले पशु अक्सर नदी के कगार से

फिसलकर प्राण दे बैठते थे। इधर तालाब में पानी का प्रबन्ध होने से यह दिक्कत दूर हुई है। जंगल में तेंदुए तो उनकी घात में रहते ही हैं!

× × ×

मंगरौठ ग्राम और उसके निवासियों का अभी विधिवत् सर्वे हो नहीं सका। पर ग्रामवासियों की सादगी और सिधाई दूर से ही प्रकट हो जाती है। भोजन में जहाँ उन्हें कोई खास शौक नहीं, कपड़ों में भी वही हाल है। पुरुषों को साल में ३ धोतियाँ लगती हैं। एक कमीज और दो बनियाइन उनके लिए सालभर को काफी है। स्त्रियाँ साल में २-३ साड़ियों से काम चला लेती हैं। कछौटेदार साड़ी पहनने की प्रथा है। चोलियों का प्रचलन नहीं-सा है।

मंगरौठ के घरों में सामान भी कुछ विशेष नहीं रहता। दूध दुहने के कुछ मिट्टी के बर्तन, पानी भरने के मटके, किसी-किसीके घर लोहे या पीतल के कलसे, चक्की-चूल्हों के अलावा २-३ थालियाँ, बटलोई, चम्मच, कढ़ाई, करछुल आदि ही बस हैं। इतने थोड़े परिग्रह से ही वे अपना काम चलाते हैं।

× × ×

गाँव में शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान है। लगभग २०० व्यक्ति साक्षर हैं। लड़कियों और स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रसार करने का प्रयत्न बहुत दिनों से चल रहा है। इस दिशा में सुधार हो रहा है, पर उसकी प्रगति मन्द है।

विचारों की दृष्टि से मंगरौठ की गणना भारत के अत्यन्त प्रगतिशील गाँवों में होगी, परन्तु अब भी यहाँ कुछ पुरानी प्रथाएँ और रूढ़ियाँ कायम हैं, जो शिक्षा के व्यापक प्रचार के उपरान्त ही दूर हो सकेंगी।

× × ×

ऐसा है हमारा यह छोटा-सा गाँव—मंगरौठ!

● ● ●

ग्रामदान के वाद का पहला साल : ३ :

मंगरौठ का ग्रामदान तो हुआ, पर उसके बाद ?

विनोवाजी के पास जाकर मंगरौठवालों ने प्रार्थना की : "बाबा, हम तो अपनी सारी भूमि आपको दान कर चुके। अब आप मंगरौठ की जमीन की कोई उपयुक्त व्यवस्था कीजिये।"

"ठीक है। बाबा राघवदास और श्री रामगोपाल गुप्त मंगरौठ जाकर वहाँ की भूमि की व्यवस्था करें।"

× × ×

तीन जून सन् १९५२।

मंगरौठ-निवासियों की सार्वजनिक सभा जुटी। ईश-वंदना के बाद पंडित वैजनाथ के प्रस्ताव और पन्नालाल के समर्थन से श्री रामगोपाल अध्यक्ष चुने गये। बाबा राघवदासजी का अभिनन्दन करते हुए मंगरौठ वालों ने कहा :

"हमारा यह गाँव हमीरपुर जिले के एक कोने में बसा हुआ, उन्नति के साधनों से सर्वथा शून्य है। देश के स्वातंत्र्य-संग्राम में यह ग्राम अपनी *शक्तिभर योग देने में समर्थ हुआ है। यहाँ के लगभग ३० व्यक्ति जेल*-यात्री हुए हैं और अपने सच्चे साथी पंडित भगीरथजी का बलिदान भी चढा चुके हैं। स्वतन्त्रता पाने के बाद अपनी सरकार की आज्ञा का पालन करने का हम सतत प्रयास करते रहे हैं।

"हम सदा ही अवहेलित रहे हैं। कभी किसीने हमारी फरियाद नहीं सुनी। ब्रिटिश सरकार का हमारे गाँव के प्रति रोषपूर्ण भाव होना स्वाभाविक था, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के समय में भी हम उपयुक्त साधनों का लाभ नहीं उठा पाते। हमारे खेत गाँव से **मील-डेढ़**

मील के फासले पर है। वहाँ पीने के पानी का कोई साधन नहीं। किसानों तथा मजदूरों और पशुओं को बड़ा कष्ट होता है। उस जगह के लिए

बाबा राघवदास

नितान्त आवश्यक कुएँ की प्रार्थना रद्दी की टोकरी में फेंक दी गयी। इसी तरह हमारे ग्राम के खेत जहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ तक नहर-विभाग

नें एक बम्बा अभी निकाला है। वहाँ से एक-डेढ मील यह बम्बा और बढ़ जाता, तो मंगरौठ की सैकडों बीघा जमीन सिंचकर खेती के काबिल और बेशकीमती हो जाती। एक नाला गाँव के दो टुकडे कर रहा है। उसमे हमारे घरो और पशुओ की सदा ही हानि होती है। पर इस मुसीबत से बचानेवाला कोई नही। अपनी मुसीबत कहाँ तक गिनायें।"

बाबा राघवदासजी ने मंगरौठवासियो की दिक्कतों को यथासाध्य दूर करने का आश्वासन दिया। उसके बाद मगरौठ के निवासियों ने भलीभाँति विचार-विनिमय के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"संत विनोबाजी के चरणो मे मगरौठ-निवासी जमीदार और किसानों ने अपनी हर प्रकार की सब जमीन अर्पण कर दी है। इस प्रकार अब यह गाँव सदा के लिए संत-चरणो के प्रसाद का भरोसा रखता है। यह ग्राम 'सबै भूमि गोपाल की' कहकर संत और भगवान् की कृपा पाकर सब कुछ पा गया है।

अब ये ग्रामवासी ग्राम की भूमि पर समस्त ग्रामवासियो का (स्त्री, पुरुष, बेटा और बेटियों का) समान अधिकार मानते है और एक परिवार की भावना से सहयोग के आधार पर खेती की व्यवस्था को उचित समझते है। अत. हर प्रकार की गाँव की जमीन पर सबका समान अधिकार हो और सहयोगी कृषि हो। सबके समान अधिकार की व्याख्या मे नीचे लिखी बातें मान्य हों :

(१) ब्याह के बाद गाँव की जमीन पर बेटी का कोई हक न होगा। पर यदि वह सदा के लिए अपने पति के साथ यहाँ बसना चाहे, तो अन्य ग्रामवासियों की तरह ही उसका भी ग्राम में हक होगा। यदि लड़की विधवा होने पर या किसी अन्य कारण से ग्राम मे बसना चाहे, तो वह ग्राम की स्वीकृति से बस सकेगी और इस स्वीकृति के बाद उसका भी समानाधिकार होगा।

(२) बाहर के जो लोग गाँव मे बसना चाहे, उन्हें गाँव की स्वीकृ लेनी होगी। पर बसने पर भी तीन वर्ष तक उन्हे नागरिकता के

न मिलेंगे। तीन वर्ष के बाद गाँव की स्वीकृति के बाद ही उन्हें नागरिकता—भूमि पर समानाधिकार—प्राप्त होगी।

(३) जो लोग गाँव छोड जायें, उनका छोड़ने के दिन से ही जमीन पर कोई अधिकार न रहेगा। यदि वे पुनः लौटें, तो गाँव की स्वीकृति से ही उन्हे समानाधिकार मिलेगा।

(४) नौकरी के सिलसिले मे बाहर के जो लोग गाँव में आकर बसेंगे, उनका गाँव की जमीन पर कोई अधिकार न होगा।

(५) आज की आबादी मे मृत्यु, जन्म और ऊपर लिखे कारणो से जैसे-जैसे घटाबढी होगी, उसी प्रकार जमीन के समान हिस्से मे घटाबढी होगी।"

× × ×

इस प्रस्ताव के पहले घटिया-बढ़िया जमीन के बँटवारे आदि के सम्बन्ध मे काफी चर्चा चली, पर अन्त मे सभी लोग इस निर्णय पर पहुँचे कि **'सब जमीन सबकी'**। इस निर्णय पर अध्यक्ष महोदय ने सभासदो को खूब कसा और तीन बार वोटिंग करायी, पर तीनों बार सबने सर्वसम्मति से यही कहा कि 'सब जमीन सबकी'।

यही निर्णय पक्का रहा। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

× × ×

विनोबा को इस निर्णय की सूचना मिली, तो उन्होंने ६ जून '५२ को कपासीन (बाँदा) के पडाव से लिखा :

"आपके गाँव ने एक काम तो कर लिया, अब आगे जो कुछ होता रहेगा, उसकी इत्तिला आप हमे देते रहियेगा। वहाँ के काम में हमें एक आदर्श पेश करना है। गाँव की सब प्रकार से उन्नति होनी चाहिए। आदर्श सहकारी खेती का भी नमूना हमें बताना है। जो कुछ करना है, गाँव की ही शक्ति से करना है। फिर भी हमारी रचनात्मक संस्थाओं की तरफ से और सरकार की तरफ से जरूरी मदद गाँव को दी जा सकती है।"

—विनोबा

× × ×

'सब जमीन सबकी' यह निर्णय तो हो गया, परन्तु इस निर्णय को व्यावहारिक रूप किस प्रकार दिया जाय, यह बात निश्चित करना आसान न था। ऐसी कोई व्यवस्था तत्काल तय नहीं की जा सकी, अतः यह सोचा गया कि जब तक सामूहिक खेती का कोई विधान न बना लिया जाय, तब तक उसी प्रकार की व्यवस्था चालू रहे, जैसी अभी तक चालू रही है।

× × ×

इस बीच विरोधी तत्त्व सक्रिय हो उठे। मंगरौठ को ग्राम्दान से विरत करने के लिए तरह-तरह की अफवाहें उड़ायी जाने लगीं। बाबा को इसका पता लगा, तो उन्होंने काशी विद्यापीठ से २८ जुलाई'५२ को एक पत्र में लिखा :

"भूमिदान के बारे में लोगों के पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। सारी जमीन मेरे नाम पर दान दी गयी है। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होगा। वह तो सिर्फ हमारे लिए कानूनी सहूलियत कर देगी। अखबारों में जो बातें आती होंगी, उनसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।

"मेरा अनुभव है कि अगर हम अपने में सत्य गुण का विकास करने की फिक्र रखते हैं, तो उसके सामने आसपास का रजोगुण और तमोगुण लुप्त हो जाता है।"

बाबा ने मंगरौठ की सेवा की दृष्टि से गद्रे गुरुजी (श्री सदाशिव सेवक) को वहाँ भेज दिया। पर इतना करके ही वे निश्चिंत नहीं हो गये। मंगरौठ का उन्हें पूरा ध्यान था। नवम्बर '५२ में विहार से एक पत्र में उन्होंने गद्रेजी को लिखा :

"मंगरौठ की खेती-योजना के बारे में मेरा बहुत चिन्तन चलता है। यहाँ हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते, जिसे हमें पीछे लेना पड़े। मैं चाहता हूँ कि इस काम के लिए (१) दीवान शत्रुघ्न सिंह, (२) सदाशिव सेवक और (३) करण भाई, इन तीनों की एक समिति मानी जाय। अभी प्रारम्भिक काम के लिए ग्रामराज्य की घटना, जैसी

आप सुझाते हैं, आप खुद बनाइये। फिर तीनों मिलकर पूरी चर्चा कर लीजिये और उसके बाद तीनो यहाँ किसी मुकाम पर मुझसे मिलिये। आप लोग जब यहाँ आयें, तो अपने साथ इतनी जानकारी लेते आयें :

(१) आपकी योजना, तीनों के मशविरे के साथ।

(२) कुल मिली हुई जमीन। किसने कितना दान दिया है।

(३) जमीन की योग्यतानुसार तकसीम।

(४) गाँव की आज की उपज और उसकी किस्में।

(५) कितनी जमीन में आवपाशी की सहूलियत है।

(६) अन्य जरूरी जानकारी।

मेरा मन ऐसा है कि हमारी योजना सरल होनी चाहिए, जिसमें हर-एक की बुद्धिमानी का, न सिर्फ श्रम का, हमें पूरा लाभ मिले और उसके लिए बहुत ज्यादा Managing (व्यवस्था) न करना पड़े। फिर भी आरम्भ-काल में 'मैनेजिंग' की जरूरत तो रहेगी। यह सब हम सोचेंगे।"

—विनोबा

× × ×

दीवान साहब, गद्रेजी और करण भाई की यह समिति आवश्यक जानकारी जुटाती रही। इसीमें कुछ समय निकल गया और तब तक चाण्डिल का सर्वोदय-सम्मेलन आ पहुँचा।

चाण्डिल-सम्मेलन में बाबा से मंगरौठ के सम्बन्ध में चर्चा हुई और यह निर्णय हुआ कि धीरेन्द्र भाई, झवेरभाई पटेल और कपिलभाई बाबा द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों को लेकर मंगरौठ जायँ और गाँववालों से सलाह-मशविरा करके उनके लिए कोई उपयुक्त योजना बना दें।

यों, योजना की पूर्व तैयारी में ही मई '५२ से अप्रैल '५३—लगभग एक साल निकल गया।

● ● ●

जगरानी, जिसने डगमगाते चरण थामे : ४ :

नारी, बुन्देलखण्ड की नारी प्रसिद्ध है अपनी वीरता के लिए, दृढ़ता के लिए, तेजस्विता के लिए।

सुभद्राकुमारी ने गलत थोड़े ही लिखा था :

> बुन्देले हरबोलों के मुख
> हमने सुनी कहानी थी।
> खूब लड़ी मर्दानी वह तो
> झांसीवाली रानी थी॥

मंगरौठ मे भी ऐसी एक नारी है—जगरानी।

भाई हीरालाल यादव ने घर की देहली के भीतर पैर रखा कि गृहलक्ष्मी हुंकार उठी "क्यो, दानपत्र लौटा लेने का मन कर रहा है क्या? उस दिन क्या सोचकर भरा था दानपत्र? दिया दान लौटाओगे? नही हो सकता यह। कभी नही। कभी नही…"

हीरालाल सकपका उठे।

वे जब तक कुछ कहे, तब तक जगरानी फिर गरज पडी "बाबा को दिया दान कही लौटाया जा सकता है? तुमने अगर ऐसा किया, तो समझ लेना इस घर में तुम्हें ठौर नही…"

"गरजती ही जाओगी कि कुछ मेरी भी सुनोगी?"

"कुछ नहीं। रत्तीभर बात नहीं सुनूँगी तुम्हारी। दान सिर्फ तुम्हीने किया था क्या? तुम्हारे साथ मैंने भी तो संकल्प किया था। राम-राम! कैसे तुमने सोचा ऐसा? बाबा को दिया हुआ दान कही वापस माँगा जा सकता है? बाल-बच्चेदार आदमी होकर भी तुमने इतना नही सोचा? साधु-संत के श्राप का भी डर नही लगा तुम्हें?"

हीरालाल ने अपनी बात रखने की कोशिश की, पर जगरानी बोली : "खबरदार, दानपत्र लौटाने की बात सोचना भी नहीं। ऐसा विचार मन में भी नहीं लाना। बाबा का जो हुक्म होगा, वह मानना पड़ेगा। मुझे तो लाज लगती है कि लोग ऐसी उल्टी बात सोचते हैं। एक बार जब बाबा को दानपत्र दे दिया, सारी जमीन बाबा को दे डाली, तब फिर उसे वापस लेने की बात कोई सोचता कैसे है? ऐसा करके हम कहीं मुँह दिखाने लायक भी रह जायेंगे? जाओ, अभी जाओ और कह आओ कि दिया हुआ दान लौटाया नहीं जायगा। गाँव के सब लोगों पर जो बीतेगी, हम पर भी वही सही।…"

हीरालाल और जगरानी

पत्नी की बातें पति पर असर कर गयीं। उसने मंजूर कर लिया कि उसका डगमगाना बिलकुल गलत था। उसे यह सोचना ही नहीं चाहिए था कि दिया दान वापस माँगा जाय।

× × ×

कहते हैं कि महाराणा प्रताप के जीवन में एक बार ऐसा अवसर आया था, जब उनके बच्चों के हाथ से घास की रोटी छीनकर एक बिलाव भागा, तो वे बुरी तरह विचलित हो उठे थे। मंगरौठ के निवासियों के सामने भी एक बार ऐसा अवसर आया, जब प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बहकावे में आकर वे असमंजस में पड़ गये। ९९ फीसदी लोग ग्रामदान के अपने निश्चय पर दृढ़ थे, फिर भी एकाध व्यक्ति डगमगा रहे थे।

बात यह हुई कि मंगरौठवासियों के सामने कोई तसवीर नहीं थी,

कोई नक्शा नही था, कोई योजना नहीं थी। दान तो कर दिया, पर आगे क्या होगा, दान की हुई जमीन की कैसी क्या व्यवस्था की जायगी, इसका गाँववालों पर क्या असर होगा, आगे आनेवाली सन्तान पर क्या असर होगा, ये सब बातें अधर मे लटक रही थी। आसपास के गाँवों की विरोधी शक्तियाँ इस बीच घातक प्रचार कर ही रही थीं। लोग ताना मारते थे : "तुम लोग दीवान साहब के फेर मे आ गये! वह तो कबीर हैं :

'कबिरा' खड़ा बजार में लिये लुकाठी हाथ !
जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ !!

तुम सब उसके बहकावे में आ गये। दे बैठे अपनी सारी जमीन। अब क्या हैसियत रह गयी तुम्हारी? कौन करेगा तुम्हारे घर शादी? लो, अब जैसा भरा है, वैसा भुगतो...."

ऐसी तरह-तरह की अफवाहें मंगरौठ-निवासियों के कानों मे डाली जा रही थी। निहित स्वार्थ अपना जाल फैला रहे थे। उन्हें डर था कि यह आग मंगरौठ की ही मालकियत का विसर्जन करके शान्त न हो जायगी, इसकी लपट हमारे गाँव मे भी आये बिना न रहेगी। और जहाँ वह इधर बढी, वहाँ हमारी अपनी स्थिति डाँवाडोल हुए बिना रह नहीं सकती। *कैसे जियेंगे फिर हम? फिर तो शोषण और अन्याय के आधार पर खडा* हमारा सारा महल मिनटों में धूल में मिल जायगा। हमारी सारी शान-शौकत चूर हो जायगी!

फिर वे क्यों न इस बात का प्रयत्न करते कि मंगरौठ का ग्रामदान का निश्चय टूट जाय?

सीधे-सादे ग्रामवासी बड़े असमंजस में थे कि यह हो क्या रहा है। होम करते हाथ जल रहा है। हम तो दान करने गये, इधर हम पर ही मुसीबत आ रही है। ग्रामदान करके हमने कही कोई भूल तो नहीं कर डाली? सालभर हो गया, अभी तक कोई खास व्यवस्था भी तो नही

हो पायी। इससे तो हम पहले ही अच्छे थे। कहाँ से फँस गये इस जाल में ?

कुछ शकालु भाई ऐसी शंकाओं के चक्कर में डूब-उतरा रहे थे, उधर प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सालभर से विरोधी प्रचार चला रही थीं। नतीजा यह हुआ कि कुछ सीधे-सादे भाई डगमगाने लगे। ग्रामीणों का यह अन्तर्द्वन्द्व जब सामने आया, तो करण भाई ने चार दिन १८-१८, २०-२० घण्टे तक उन लोगों से बातचीत की। उन्होंने पहले एक-एक से बात की, फिर सबसे सामूहिक रूप से बात की और उनसे साफ कह दिया "भाइयो, यह तो प्रेम का सौदा है। जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। आप सबने प्रेमपूर्वक अपनी सारी जमीन बाबा को देने का फैसला किया था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपमें से कोई भाई अगर राजी नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये हैं आपके दानपत्र। बाबा ने मुझे अधिकार दिया है कि लोग तैयार न हों, तो उन्हें उनके दानपत्र लौटा दो। आप कहें, तो मैं इन सबको यहीं आपके सामने फाड़कर फेंक दूँ।"

इतना सुनना था कि कुछ को छोड़कर प्रायः सभी लोगों की आँखें छलछला उठीं। फिर भी एकाध भाई असमंजस में पड़े थे। वे सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें !

'भइ गति साँप छुछुंदरि केरी।'

× × ×

हीरालाल भाई भी इन लोगों में से एक थे।

उनका यह आत्ममंथन घर की चहारदीवारी के भीतर भी जा पहुँचा, परन्तु उनकी गृहलक्ष्मी तो कृतसंकल्प थी कि दिया हुआ दान वापस लिया नहीं जा सकता। उस देवी ने भले ही हरिश्चन्द्र की कथा न सुनी हो, पर उसका रोम-रोम पुकारता था—

चन्द टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार।
पै दृढ़व्रत हरिचन्द को, टरै न सत्य विचार॥

पति को उसने आड़े हाथों लिया : "छि. छि, कैसी बात सोचते हो तुम ? दिया दान कोई लौटाता है ?"

मान गये हीरालाल भाई।

स्वीकार कर लिया उन्होने कि दिया हुआ वचन नही टलेगा, नही टलेगा, नही टलेगा !

× × ×

और दूसरे दिन जब गाँव के सब भाई-बहन जुटे, तो संशय के बादल फट चुके थे, शंकाएँ निर्मूल हो चुकी थी, डगमगाहट जा चुकी थी। सबने एक स्वर से कहा : "ग्रामदान के निर्णय पर हम लोग अटल हैं। हमें दानपत्र वापस नही चाहिए, नही चाहिए, नही चाहिए।"

धन्य है जगरानी देवी, जिसने मंगरौठ के डगमगाते चरण थामे और धन्य है उसका पति, जिसने समझ में आते ही उसकी बात मानकर गाँव की शान मे चार चाँद लगाये। ● ● ●

नवनिर्माण का श्रीगणेश : ५ :

अप्रैल, मई १९५३ ।

मंगरौठ के नवनिर्माण की योजना तैयार करने के लिए चाण्डिल-सम्मेलन में जैसा निश्चय हुआ था, उसके अनुसार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में धीरेन्द्र भाई, झवेरभाई पटेल, कपिल भाई, करन भाई मंगरौठ पहुँचे। उत्तरप्रदेशीय सरकार के नियोजन मन्त्री ठाकुर फूल सिंह तथा सरकारी कृषि-विभाग के सहायक रजिस्ट्रार श्री ए० बी० लाल उनके साथ थे। श्री नवलकिशोर, श्रीपति सहाय, बालमुकुन्द शास्त्री आदि भी विचार-विनिमय में शामिल होने आ गये।

आपस मे तथा ग्रामवासियों से दो-तीन दिन २० से २२ अप्रैल तक जमकर वार्ता चली। इसी समय जिला-बोर्ड के अध्यापकों का एक मास का शिविर शुरू हुआ। शिविर की समाप्ति के अवसर पर २० से २२ मई तक ग्रामवासियो के साथ फिर उसी तरह विचार-विनिमय हुआ।

इस बीच ग्रामवासियो के मन मे जो अन्तर्द्वन्द्व उठ खड़ा हुआ था, जो शंकाएँ और दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी थी, वे भलीभाँति आत्ममंथन और महिला-वर्ग की दृढता ने निर्मूल हो गयीं। चित्त की अव्यवस्थित स्थिति मिट गयी। ग्रामवासी ग्रामदान के

यहाँ आयेंगे नहीं। उनकी तरफ से इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। पर यह तो बताइये कि आपने क्या समझकर विनोबा को अपनी जमीन दे डाली ?"

एक ग्रामीण ने उत्तर दिया : "पहले गांधीजी के कहने पर हम जेल गये। अब विनोबा ने जमीन माँगी और हमने दे डाली। हमें इस बात का पक्का भरोसा है कि संत के चरणों में जाने से कभी अहित नहीं होता, जब होता है, तब हित ही होता है।"

ऐसी दृष्टि रखनेवाले ग्रामीणों को समझाना कठिन न था। उनके सामने जमीन और खेती की तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ रखी गयीं :

(१) जमीन का पूरे तौर से पुनर्वितरण।

(२) सारी जमीन की सामूहिक व्यवस्था।

(३) कुछ जमीन सामूहिक रखना और शेष का किसानों में अलग-अलग वितरण।

इन तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं पर देर तक चर्चा हुई। झवेरभाई पटेल ने तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं के गुण-दोष समझाये।

ग्रामीण भी बीच-बीच में अपनी शंकाएँ और विचार प्रकट करते जाते थे :

एक ग्रामीण : "अगर सबके खेत सामूहिक होंगे और एक आदमी के पास एक गाय या भैंस होगी, तो वह सिर्फ उसके लिए चारा लेगा, पर किसीके पास ज्यादा जानवर होंगे, तो वह उनके लिए ज्यादा चारा लेगा। उसे हम क्यों ज्यादा चारा लेने देंगे ?"

दूसरा ग्रामीण : "अभी कोई किसान तड़के ही उठकर खेत पर चला जाता है और अँधेरे तक वहीं रहता है। कभी-कभी तो किसान रात-दिन खेत पर ही रहता है। उसे महीनों घर के दर्शन नहीं होते। पर कुछ किसान ऐसे हैं, जो खा-पीकर दिन में ८ बजे खेत पर जाते हैं और जल्दी ही लौट आते हैं। ऐसे लोग काम कम करने पर भी हिस्सा बराबर ही लेंगे ?"

नवनिर्माण का श्रीगणेश : ५ :

अप्रैल, मई १९५३।

मगरौठ के नवनिर्माण की योजना तैयार करने के लिए चाण्डिल-सम्मेलन में जैसा निश्चय हुआ था, उसके अनुसार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में धीरेन्द्र भाई, झवेरभाई पटेल, कपिल भाई, करण भाई मंगरौठ पहुँचे। उत्तरप्रदेशीय सरकार के नियोजन मन्त्री ठाकुर फूल सिंह तथा सरकारी कृषि-विभाग के सहायक रजिस्ट्रार श्री ए० बी० लाल उनके साथ थे। श्री नवलकिशोर, श्रीपति सहाय, बालमुकुन्द शास्त्री आदि भी विचार-विनिमय में शामिल होने आ गये।

आपस में तथा ग्रामवासियों से दो-तीन दिन २० से २२ अप्रैल तक जमकर वार्ता चली। इसी समय जिला-बोर्ड के अध्यापकों का एक मास का शिविर शुरू हुआ। शिविर की समाप्ति के अवसर पर २० से २२ मई तक ग्रामवासियों के साथ फिर उसी तरह विचार-विनिमय हुआ।

इस बीच ग्रामवासियों के मन में जो अन्तर्द्वन्द्व उठ खड़ा हुआ था, जो शकाएँ और दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी थी, वे भलीभाँति आत्ममथन और महिला-वर्ग की दृढता के कारण निर्मूल हो गयी। चित्त की अव्यवस्थित स्थिति मिट गयी। सबके सब ग्रामवासी ग्रामदान के निश्चय पर पूर्णतः दृढ हो गये और वे इस बात के लिए तैयार हो गये कि भूमि-वितरण की तथा कृषि की जैसी भी व्यवस्था की जायगी, उन्हें स्वीकार होगी।

× × ×

करणभाई ने ग्रामवासियों से कहा :

"आप लोगों ने अपनी सारी भूमि विनोबा को दान कर दी। अब वह विनोबाजी की हो चुकी। पर इसका प्रबन्ध करने के लिए वे तो

यहाँ आयेंगे नही। उनकी तरफ से इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। पर यह तो बताइये कि आपने क्या समझकर विनोबा को अपनी जमीन दे डाली ?"

एक ग्रामीण ने उत्तर दिया : "पहले गांधीजी के कहने पर हम जेल गये। अब विनोबा ने जमीन माँगी और हमने दे डाली। हमें इस बात का पक्का भरोसा है कि मन के चरणों में जाने से कभी अहित नही होता, जब होता है, तब हित ही होता है।"

ऐसी दृष्टि रखनेवाले ग्रामीणो को समझाना कठिन न था। उनके सामने जमीन और खेती की तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ रखी गयी :

(१) जमीन का पूरे तौर से पुनर्वितरण।

(२) सारी जमीन की सामूहिक व्यवस्था।

(३) कुछ जमीन सामूहिक रखना और शेष का किसानो में अलग-अलग वितरण।

इन तीनों प्रकार की व्यवस्थाओ पर देर तक चर्चा हुई। झवेरभाई पटेल ने तीनों प्रकार की व्यवस्थाओ के गुण-दोष समझाये।

ग्रामीण भी बीच-बीच मे अपनी शकाएँ और विचार प्रकट करते जाते थे :

एक ग्रामीण : "अगर सबके खेत सामूहिक होंगे और एक आदमी के पास एक गाय या भैंस होगी, तो वह सिर्फ उसके लिए चारा लेगा, पर किसीके पास ज्यादा जानवर होंगे, तो वह उनके लिए ज्यादा चारा लेगा। उसे हम क्यों ज्यादा चारा लेने देंगे ?"

दूसरा ग्रामीण "अभी कोई किसान तड़के ही उठकर खेत पर चला जाता है और अँधेरे तक वही रहता है। कभी-कभी तो किसान रात-दिन खेत पर ही रहता है। उसे महीनो घर के दर्शन नही होते। पर कुछ किसान ऐसे है, जो खा-पीकर दिन मे ८ बजे खेत पर जाते है और जल्दी ही लौट आते है। ऐसे लोग काम कम करने पर भी हिस्सा बराबर ही माँगेंगे ?"

तीसरा ग्रामीण . "हमने जिस तरह आपसी मतभेद भुलाकर भूमिहीनों को अपनी जमीन में हिस्सा दे दिया, उसी तरह हम किसीके कम-ज्यादा काम करने पर भी मन मे कोई बुरा भाव नही आने देंगे और सबको बराबर हिस्सा देंगे। घर में कोई आदमी अगर कम काम करता है, तो हम उसे बर्दाश्त करते ही हैं और धीरे-धीरे उसे सुधारने की कोशिश करते है, उसी तरह हम सारे गाँव को एक परिवार मानकर चलें और किसीमें जो कमी हो, उसे बर्दाश्त करें।"

× × ×

खेती सामूहिक रहे कि व्यक्तिगत, किसके पास कितनी जमीन रहे, खेती की व्यवस्था कैसी हो,—इन सब बातों पर खूब जमकर चर्चा चली। अन्त मे सबकी राय से ये निर्णय हुए :

१. **'सबै भूमि गोपाल की'**—सब जमीन सबकी।

२. मँगरौठ गाँव का अन्तिम लक्ष्य है—पारिवारिक आधार पर खेती और रोजगार।

इतना स्थिर हो जाने पर व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा सोचा गया कि यदि हम अपेक्षित लक्ष्य को एकबारगी ही प्राप्त करना चाहें, तो उसमें कठिनाई उपस्थित हो सकती है। इसलिए धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने की चेष्टा की जाय।

खेती सामूहिक तौर पर करने की भी बात तय रही और व्यक्तिगत भी। ऐसा निश्चय किया गया कि :

(१) सम्मिलित खेती तभी सफल हो सकती है, जब उसमें शामिल होनेवाला हर आदमी उसमें पूरे मन से शामिल हो। इसलिए हर आदमी स्वतत्र है, वह चाहे सम्मिलित खेती में शामिल हो, चाहे व्यक्तिगत खेती करे।

(२) पहुँचना तो सबको समानता के लक्ष्य पर ही है, पर अभी तक सबके पास जीविका के साधन एक-से नही रहे हैं। इसलिए तत्काल कोई भारी हेर-फेर करना ठीक न होगा। अतः हर आदमी को इस

हिसाब से जमीन बाँट दी जाय कि पहले उसके पास जितनी जमीन थी, उसका कम-से-कम ⅘ भाग उसे अवश्य मिल जाय।

(३) जिन किसानों के पास अभी तक १५ बीघा या उससे कम जमीन रही है, उनके पास इतनी जमीन रहने दी जाय। उसमें कुछ कमी न की जाय।

(४) शुरू में हर भूमिहीन को कम-से-कम ७-८ बीघे जमीन तो दे ही दी जाय, पर धीरे-धीरे उसे बढ़ाकर कम-से-कम १५ बीघा (६⅔ एकड़) कर दिया जाय।

(५) किसी भी किसान के पास १५ बीघा से कम जमीन न रहे। जिनकी पहली जमीन का ⅘ भाग १५ बीघे से कम होता हो, उन्हें इतनी जमीन दे दी जाय कि कुल मिलाकर उनके पास भी १५ बीघा जमीन हो जाय।

(६) गाँव की पंचायत हर पाँच साल बाद भूमि की नये सिरे से व्यवस्था करे।

× × ×

तो, मंगरौठ ने निर्णय किया कि :

● मालकियत गाँव की, खेती किसान की।

● सामूहिक खेती करना अच्छा है, पर जो चाहे सो व्यक्तिगत खेती कर सकता है।

● सरकारी लगान अलग-अलग नहीं दिया जायगा, गाँव की पंचायत द्वारा ही कुल लगान चुकाया जायगा।

× × ×

गाँववालों की ओर से दीवान साहब ने कहा :

"हम सब मानते हैं कि 'सबै भूमि गोपाल की' है। इस निर्णय के अनुसार गाँव की सारी भूमि गाँव की हो चुकी। लक्ष्य के रूप में हमारा फैसला है कि हम सामूहिक ढंग पर खेती करेंगे, पर उस लक्ष्य को धीरे-धीरे ही प्राप्त करना ठीक होगा। कारण, बुद्धि और विचार की दृष्टि से

हम ग्रामवासी अत्यन्त अविकसित हैं। जब हमारा मन पूर्ण सामूहिक खेती के पक्ष मे तैयार हो जायगा, तब हम उसमे शामिल हो जायेंगे। जब तक ऐसा नही होता, तब तक व्यक्तिगत खेतीवाले परिवारों के जिम्मे सामूहिक खेती का जितना काम रहेगा, उसे वे सबसे पहले पूरा करेंगे।"

फिर श्री झवेरभाई पटेल बोले। आपने इन बातों पर जोर दिया :

(१) किसानों को खेती के लिए जो टुकड़े मिलें, उनमे वे गाँव की आवश्यकता के अनुसार ही फसल बोयें।

(२) गाँव की सारी खरीद-बिक्री का काम सहकारी समिति के द्वारा ही हो।

(३) फसल की रक्षा सामूहिक ही हो, जिसके लिए बन्दूकों का लैसन्स भी लेना होगा।

(४) गाँव के सभी निवासियों को मिलकर सामूहिक सार्वजनिक काम करने होंगे।

× × ×

मगरौठ के नौजवान

इसके बाद अन्न, वस्त्र, आश्रय, सुरक्षा आदि सभी बातों मे मगरौठ ग्राम को स्वयंपूर्ण बनाने की दृष्टि से और गाँव की सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए गाँव के सभी बालिग स्त्री-पुरुषों की पंचायत बनी। उसका नाम रखा गया 'सर्वोदय-मण्डल'। उसने फिर सर्वसम्मति से निम्नलिखित १५ व्यक्तियो की एक प्रबन्ध-समिति बनायी :

सर्वश्री शिवदयाल मुखिया, इन्द्रपाल सिंह, पन्नालाल प्रधान, हीरालाल यादव, तेजप्रताप सिंह, कालीदीन, काल्राम, मोहनलाल, कढ़ोर चौधरी, शर्मनलाल, मनोहर, कृष्णकुमार, मतोले राम, नारायणदास और रामदास।

इनमें श्री इन्द्रपाल सिंह अध्यक्ष चुने गये, श्री कृष्णकुमार मन्त्री और हीरालाल यादव कोषाध्यक्ष।

अब गाँववालों के समक्ष एक स्पष्ट तसवीर आ खड़ी हुई। विभिन्न प्रकार की शंकाएँ मिट गयीं। सारा असमंजस जाता रहा।

गाँव के सब लोगों ने मिलकर तय किया कि नौजवान गाँव की जिम्मेदारी सँभालें और बड़े-बूढ़े बुजुर्ग उनका मार्गदर्शन करें। नौजवान झिझक रहे थे, पर बुजुर्गों ने उनकी पीठ ठोंककर उन्हें राजी कर ही लिया!

यों, मगरौठ के नवनिर्माण का श्रीगणेश हुआ। ● ● ●

सर्वोदय-मण्डल की स्थापना : ६ :

मगरौठ के नवनिर्माण का दायित्व जिस संस्था पर है, उसका नाम है सर्वोदय-मण्डल, मगरौठ।

१५ जून १९५३ को विनोबा ने सालम, नवाटोली के पडाव से सर्वोदय-मण्डल को यह अधिकार-पत्र भेजा .

"मुझे मेरी उत्तर प्रदेश की भूदान-यज्ञ पैदल-यात्रा मे मगरौठ ग्राम, जिला हमीरपुर के निवासियो ने अपनी सारी भूमि 'सर्व भूमि गोपाल की' के सिद्धान्त को मानकर दान मे दे दी। दानपत्र के अनुसार दाताओं की ओर से मुझे यह अधिकार मिला है कि मै उस भूमि का उपयोग गरीबो के हित मे चाहे जिस प्रकार करूँ। अत अब मै उस भूमि की व्यवस्था का अधिकार सर्वोदय-मण्डल, मगरौठ को दे रहा हूँ। सर्वोदय-मण्डल मगरौठ का सारा प्रबन्ध निम्नलिखित मौलिक सिद्धातो के अनुसार करे

१. मगरौठ-निवासियों से प्राप्त सारी भूमि, जिसमे मजरूआ, बीहड, जंगल, परती तथा अन्य किस्म की है, उस सभी का स्वामित्व सर्वोदय-मण्डल का होगा, किसी आदमी का नही। सरकारी कागजात मे भी इस भूमि का स्वामित्व सर्वोदय-मण्डल के नाम मे दर्ज होगा।

२. भूमि का सरकारी लगान देने की जिम्मेदारी सर्वोदय-मण्डल की होगी।

३. अन्न, वस्त्र, आश्रय, सुरक्षा आदि में ग्राम को स्वयपूर्ण बनाने के ध्येय से भूमि का नियोजन सर्वोदय-मण्डल करे।

४. सर्वोदय-मण्डल सम्मिलित खेती का प्रयोग करनेवालों को उत्तेजन दे।

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि की व्यवस्था करना, धन-संग्रह करना, खर्च करना, स्थावर-जंगम जायदाद रखना, उसे बेचना तथा ग्रामीण जनता को *अभाव, अन्याय* तथा अज्ञान से मुक्त करने के लिए जो भी काम आवश्यक हों, उन्हें करना।

मण्डल की सदस्यता : (क) १८ वर्ष या इससे अधिक आयु का प्रत्येक स्त्री-पुरुष, जो स्थायी रूप से मंगरौठ ग्राम का निवासी हो और मण्डल के उद्देश्यों को मानता हो, इसका सदस्य होगा।

(ख) अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर मण्डल की अनुमति से गाँव में बसता है, तो वह मंगरौठ-वास के अपने तीन वर्ष की अवधि के बाद मण्डल की स्वीकृति से मण्डल का सदस्य हो सकेगा।

(ग) गाँव के स्थायी परिवार में आनेवाली नव वधू अपने आने के दिन से ही मण्डल की सदस्या मानी जायगी।

सर्वोदय-मण्डल : मण्डल को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संत विनोबा से प्राप्त भूमि में अपने सदस्यों द्वारा खेती कराने की तथा अपने सदस्यों से उत्पादित अन्न तथा अन्य वस्तुओं के उपयोग की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। जिस भूमि में खेती न हो, उसे गाँव के हित में अन्य प्रकार से उपयोग में लाने की व्यवस्था मण्डल करेगा।

कार्य-व्यवस्था : मण्डल के काम-काज की साधारण नीति मण्डल तय करेगा। काम का संचालन, प्रबन्ध तथा कारबार की सारी व्यवस्था एक प्रबन्ध-समिति करेगी, जो मण्डल द्वारा निर्धारित होगी।

प्रबन्ध-समिति : प्रबन्ध-समिति के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष के अतिरिक्त पन्द्रह होगी।

प्रबन्ध-समिति सर्वोदय-मण्डल द्वारा निर्वाचित होगी। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष निवृत्त होंगे और उनके स्थानों की पूर्ति मण्डल द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगी। तीसरी बार बचे सदस्य निवृत्त होंगे। इसके बाद यही क्रम बराबर चलता रहेगा, निवृत्त सदस्य पुनः चुना जा सकेगा।

समिति मण्डल की सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उपयोग की व्यवस्था करेगी।

समिति अपने क्षेत्र में उत्पन्न विवादों का विश्वास और सद्भावना के आधार पर निराकरण करने का प्रयत्न करेगी तथा अन्य कार्यों के सम्पादन के निमित्त आवश्यकतानुसार समिति एक या अधिक उप-समितियाँ बना सकेगी।

समिति अपने क्षेत्र मे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, उत्पादित वस्तुओं के विनियोग तथा बाहर से उपभोग्य वस्तुओं की प्राप्ति की व्यवस्था करेगी।

समिति अपने सभी कार्यों के लिए मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगी।

पदाधिकारी : अध्यक्ष का चुनाव मण्डल द्वारा निर्विरोध रूप से ही होगा। उसका कार्य-काल तीन वर्ष का होगा।

मण्डल तथा प्रवन्ध-समिति के कार्य-संचालन की जिम्मेवारी अध्यक्ष की होगी। मण्डल की सम्पत्ति का उपयोग मण्डल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रबन्ध-समिति के निर्णयानुसार हो, अध्यक्ष इसकी व्यवस्था करेगा।

मण्डल पर किये जानेवाले और मण्डल की ओर से किये जानेवाले वादों में अध्यक्ष मण्डल का प्रतिनिधि होगा। उसे मण्डल के नाम पर लेन-देन करने, दस्तावेजो, एकरारनामो, दानपत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रहेगा।

प्रवन्ध-समिति ही अपने सदस्यो में से उपाध्यक्ष, मन्त्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कार्य का संचालन करेगा। बैठक की कार्यवाही लिखने तथा कार्यालय की जिम्मेवारी मन्त्री की होगी। रुपये-पैसे का हिसाब व सुरक्षा की जिम्मेवारी कोषाध्यक्ष की होगी।

ट्रस्टी-मण्डल : सर्वोदय-मण्डल का नैष्ठिक अधिकार एक संरक्षक-मण्डल के हाथ में होगा, जिसमें नौ सदस्य होगे। संरक्षक-मण्डल के निम्न सदस्य होंगे :

१. दीवान शत्रुघ्न सिंह । आजीवन । मंगरौठ । व्यवसाय : कृषि ।
२. श्री शिवदयालजी । आजीवन । मंगरौठ । व्यवसाय : कृषि ।
३. श्री इन्द्रपाल सिंह । आजीवन । मंगरौठ । व्यवसाय : कृषि ।
४. श्री बाबूराम अग्रवाल । आजीवन । झाँसी । व्यवसाय : नौकरी ।
५. श्री कालूरामजी । मंगरौठ । व्यवसाय : कृषि ।
६. श्री जमुनादास । ,, ,, ,,
७. श्री कृष्णकुमार । ,, ,, ,,
८. श्री कालीदीन । ,, ,, ,,
९. श्री पन्नालाल । ,, ,, ,,

(क) इनमें से प्रथम चार सदस्य आजीवन रहेंगे, शेष पाँच प्रबन्ध-समिति द्वारा नियुक्त होंगे। नियुक्त संरक्षकों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

(ख) संरक्षक-मण्डल सदस्यों में से ही अपना एक संयोजक नियुक्त करेगा, जो उसकी कार्यवाही का संचालन करेगा ।

निर्णय : सामान्यतः निर्णय एकमत से ही किये जायें। एकमत के अभाव की स्थिति में निर्णय उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से हो।

कोरम : (क) प्रबन्ध-समिति का कोरम अध्यक्ष सहित आठ होगा ।

(ख) मण्डल का कोरम एक-तिहाई होगा ।

सभा : (क) मण्डल की बैठक की सूचना अध्यक्ष की सलाह से मन्त्री सभा के समय से कम-से-कम बारह घण्टे पूर्व देकर बैठक बुला सकेगा । वर्ष में कम-से-कम दो बार साधारण बैठक होगी ।

(ख) मण्डल के कम-से-कम २५ सदस्य लिखित आवेदन-पत्र द्वारा यदि किसी निश्चित विषय पर विचार करने के लिए अध्यक्ष से निवेदन करें, तो अध्यक्ष को ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त होने के दस दिन के भीतर मण्डल की बैठक बुलाने की सूचना देनी होगी । ● ● ●

संकल्प बदल नहीं सकता ! : ७ :

१९५४ मार्च का प्रथम चरण ।

मगरौठ में एक लड़की की शादी थी ।

तमाम लोग बारात के स्वागत मे व्यस्त थे कि इतने में अमीन साहब ने गाँव में आकर तूफान बरपा कर दिया ।

"उसे बुलाओ, उसे पकड़ लाओ, उसे खींच लाओ‥‥"

गाँव के खास-खास २०-२५ आदमियों के नाम कुर्की का वारण्ट हाथ में लिये हुए अमीन साहब अपने सिपाहियों को आदेश देने लगे ।

"क्यों ?"

"इसीलिए कि ये लोग लगान नही दे रहे हैं ।"

× × ×

मंगरौठ के इतिहास मे अनोखी घटना थी यह ।

जिस गाँव मे लगान चुकाने के लिए किसी जमीदार को या सरकार को कभी नालिश नही करनी पडी, जिस गाँव में कभी कोई आदमी नादिहन्द हुआ ही नहीं, जिस गाँव मे आज तक रुपयों का लेन-देन भी कागज पर नही लिखा जाता, उस गाँव पर कुर्की के वारण्ट लाकर अमीन साहब गरजने लगे !

बात यह हुई कि कुछ दिन पहले जब अमीन साहब लगान वसूल करने के लिए मंगरौठ पधारे और वहाँ के किसानों से अलग-अलग लगान माँगने लगे, तो उन लोगों ने कह दिया : "अब हमारी अलग-अलग जमीन रही कहाँ ? हमने तो सारी जमीन विनोबा बाबा को दान कर दी और बाबा ने उसका इन्तजाम 'सर्वोदय-मण्डल' को दे रखा है । आप 'सर्वोदय-मण्डल' से जाकर लगान माँगिये ।"

इतना सुनना था कि अमीन साहब का पारा चढ़ गया। वे दौड़े-दौड़े गये तहसील में और गाँव के प्रमुख २०-२५ व्यक्तियों के नाम कुर्की वारण्ट निकलवा लाये और गाँव में आकर उन्होंने रङ्ग में भङ्ग कर दिया।

× × ×

कसूर अमीन साहब का भी नहीं था, कसूर था ग्रामदान-विरोधी निहित स्वार्थों का, जो इस बात के लिए जी-जान से प्रयत्नशील थे कि किसी भी तरह हो, ग्रामदान समाप्त हो। इन निहित स्वार्थों ने अमीन साहब जैसे अधिकारियों को भी फुसला लिया था।

इन विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का, उनके हथकण्डों का अर्थ इतना ही था कि मंगरौठ ने ग्रामदान के लिए जो कदम उठाया है, उसे वह पीछे खींच ले।

× × ×

दीवान साहब तो मंगरौठ में रहते नहीं। छठे-छमाहे कभी आते हैं। उस दिन भी वे वहाँ नहीं थे। प्रकाश भाई इसी सम्बन्ध में जिले के उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए बाहर चले गये थे। ऐसी हालत में गाँव-वालों के सामने बड़ी टेढ़ी समस्या थी कि करें तो क्या?

झगड़ा करना आसान था, परन्तु मंगरौठ ने ऐसा करना उचित न समझा। अतः झगड़ा टालने के लिए उसने अमीन साहब की मर्जी के मुताबिक लगान दे तो दिया, पर शान्त विरोध के साथ।

× × ×

दीवान साहब को खबर लगी, तो उन्होंने १२ मार्च '५४ के अपने पत्र में जिलाधीश को लिखा :

"पास के एक गाँव से सूचना मिली है कि हाकिमों से तय हो गया है कि 'सर्वोदय-मण्डल' का नाम न लिया जाय और किसानों से वसूल-याबी की जाय। यदि वे न दें, तो कुर्की की जाय, वारण्ट गिरफ्तारी निकाला जाय, उन्हें खूब जेरबार किया जाय। मैं तो आपके उत्तर के इन्तजार में था, पर अमीन साहब, नायब साहब इसके पहले ही मंगरौठ

पहुँच गये। उनका रवैया मनुष्यता के परे था। झगड़ना मकसद नहीं था, इससे लगान देना ही उचित समझा।

अमीन (वसूलकुनिन्दा) ने गलत रिपोर्ट अफसरान को दी कि मंगरौठवाले लगान नहीं देते। इससे उनके नाम वारण्ट जारी हुए। इस प्रकार सार्वजनिक सेवा में रत मंगरौठ को २०-२५ रुपये की चपत दूसरे गाँव को खुश करने मे लगा दी गयी !

अभी एक साहब ने बडे विश्वास के साथ कहा "मैं देखता हूँ कि कैसे 'सर्वोदय-मण्डल' का नाम गाँव की सारी जमीन पर चढता है। मई मे गुल खिल जायेंगे। जनमत लिया जायगा। मैं हमीरपुर और लखनऊ सब ठीक कर आया हूँ। सब मिटाकर छोडूँगा !"

पता नहीं, मगरौठ का क्या अपराध है कि उसके लिए इस प्रकार की सजा तजवीज की जा रही है।

मगरौठ पूज्य सन्त विनोबा भावे के आदेशों का पालन देश-हित की भावना से कर रहा है। अत. वह सजा का नहीं, बल्कि इनाम का और आप सबकी कृपा का हकदार है। देशभक्त, शान्त मंगरौठ को उसका हक मिलना ही चाहिए।"

× × ×

मगरौठ अड गया इस बात पर कि भविष्य में मंगरौठ के निवासी अलग-अलग लगान न देंगे, क्योंकि वहाँ अब किसीकी निजी जमीन नही रह गयी है। जो जमीन है, वह सारे गाँव की है और सर्वोदय-मण्डल ही उसका प्रबन्धक है।

अधिकारियों ने अडंगे लगाये, आसपास के विरोधी तत्त्वों ने असंख्य बाधाएँ डाली, परन्तु मगरौठ के निवासी अपना संकल्प बदलने को तैयार नही हुए। किसी भी तरह नहीं।

× × ×

लिखापढ़ी चलती रही, खूब चलती रही और तब कही जाकर २० जनवरी १९५५ को उत्तरप्रदेशीय सरकार के माल विभाग (ए) के

डिप्टी सेक्रेटरी श्री आर० आर० माथुर ने आदेश दिया कि "मंगरौठ की जमीन पर सर्वोदय-मंडल का नाम चढ़ा दिया जाय और उसके मन्त्री अथवा अन्य अधिकारियों से लगान वसूली की जाय। मण्डल की यदि रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो भी कोई हर्ज नहीं। हाँ, मण्डल अपनी रजिस्ट्री करा ले, तो अच्छा।"*

× × ×

इतने प्रयत्न के बाद मंगरौठ की सारी जमीन पर 'सर्वोदय-मंडल' का नाम चढ़ा।

देर तो अवश्य लगी, बाधाएँ भी बहुत आयीं, पर मंगरौठ के निवासी अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। जब-जब उन्हें ग्रामदान के पथ से विचलित करने के लिए डराया-धमकाया गया, तब-तब उन्होंने साफ कह दिया: "हमारा ग्रामदान का संकल्प बदल नहीं सकता। किसी भी हालत में नहीं।"

× × ×

मंगरौठवालों को बहकाने के भी कम प्रयत्न नहीं किये गये।

जब-जब उनके सामने ऐसे मौके आते रहे, उनका एक ही उत्तर था:

"ग्रामदान का हमारा संकल्प बदल नहीं सकता।" ● ● ●

* जिलाधीश, हमीरपुर के नाम पत्र सं० ७०२२ (१) १ ८-११७७/५४

"In the circumstances the land granted by the Bhoodan Committee to Sarvodaya Mandal should be entered in the name of the latter in the revenue papers as the Sirdar and the land revenue of the same may be realised from the Mandal through its Manager, Secretary or any functionary of that body.

Even if the Mandal is unregistered there is no bar to its holding the land. It will, however, be better if the Mandal is prevailed upon to get itself registered.

स्वावलम्बन की ओर

१. गेहूँ, गन्ना, पपीता

२ चरखवा चालू रहे

३. अपनी दूकान

४. उद्योग : कल और आज

५. पुरुषार्थ के प्रतीक

●

गेहूँ, गन्ना, पपीता : १ :

"जहाँ अभी सिर्फ ७-८ माहभर को अन्न पैदा होता है, वहाँ साल-भर खाने को अन्न कैसे पैदा हो ?" यह था पहला प्रश्न, जो ग्रामदान के बाद मगरौठ के सामने खड़ा था।

× × ×

कुछ लोगों ने सामूहिक खेती के प्रयोग में हाथ डाला, पर अधिकतर लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ही खेती करना पसन्द किया।

खेत गाँव का था, खेती किसान की।

पर खेती की समस्याएँ तो थी ही।

पहले भी वे समस्याएँ थी, इस समय भी। अन्तर केवल इतना था कि पहले उनका रूप निजी था, अब 'सामूहिक'। पहले जिसका खेत रहता था, वही उसके विकास की बात सोचता था, उसके वश की बात होती थी, तो हाथ-पैर चलाकर कुछ कर दिखाता था। अब वह बात नही। अब सब खेत सबके हैं, इसलिए सबके विकास की जिम्मेदारी भी सबकी है।

जब गाँव की जमीन की नयी व्यवस्था की जाने लगी, नये सिरे से भूमि का वितरण होने लगा, तो खेती सम्बन्धी सभी समस्याओं पर विचार किया जाने लगा।

मंगरौठ की कृषि-सम्बन्धी मूल समस्याएँ थी :

(१) भूमि का कटाव रोकना।

(२) काँस और जरिया का मूलोच्छेदन।

(३) जंगली जानवरो से फसल की रक्षा।

(४) सिचाई की समुचित व्यवस्था।

(५) परती जमीन को तोड़कर कृषि-योग्य बनाना।

(६) उपज बढ़ाने के अन्य साधन।

(७) फल और साग-सब्जी पैदा करने के उपाय।

× × ×

विन्ध्य का पहाडी प्रदेश। ऊपर गाँव, नीचे बेतवा। वर्षा होते ही पानी पूरे वेग से नीचे की ओर दौड़ता है। उस दौड़ में जो तेज़ी रहती है, वह जमीन को बुरी तरह काटती चलती है। मगरौठ गाँव में और उसके आसपास के खेतों मे भूमि की यह कटान अत्यन्त विषम समस्या बन बैठी है। गाँव के लिए वह आफत है, खेतों के लिए मुसीबत!

जगह-जगह नाले हैं। कहीं छोटे, कहीं बड़े। जरा पानी पड़ा कि उनके किनारे कटने लगते है। इसलिए आज जहाँ चार फुट कटा है, कल साढे चार हो जाता है, परसों पाँच।

बुन्देलखण्ड की ढालू और सूखी जमीन वर्षा के बाद जल्दी सूख जाती है। सिंचाई के साधन न रहने से रबी की फसल का पैदा होना कठिन हो जाता है। यहाँ पर कटाव दो प्रकार का है:

(१) Sheet Erosion जलदरी अपक्षरण, और

(२) Gully Erosion स्तार अपक्षरण।

मिट्टी की गहराई कम और ढाल अधिक होने से जलदरी अपक्षरण होता है। इससे बडी हानि होती है। ऊपरी अच्छी मिट्टी बह जाती है और नीचे की खराब तह ऊपर आ जाती है। फिर उसमें गहरा कटाव—स्तार अपक्षरण होने लगता है।

मगरौठवालों ने इस समस्या पर विचार किया, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भूमि का यह कटाव यदि रुकता नहीं, तो न गाँव बचता है, न खेती। इसलिए इसे तो हर हालत में रोकना ही है।

बाँध-बंधी इसका एक उत्तम और कारगर उपाय हो सकता है। बंधियों से खेतों में वर्षा का पानी भर जाता है। वर्षा समाप्त होने पर पानी खेतों से बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें जोतकर रबी की फसल

बो दी जाती है। इससे बिना सिंचाई के ही खेत मे नमी बनी रहती है और अच्छी फसल होने लगती है। बंधियो से यह लाभ भी होता है कि खेतों का ऊँचा-नीचापन कम होने लगता है और कुछ सालों के भीतर वे समतल हो जाते हैं।

बाँध-बंधी की बात तय हुई। जगह-जगह खेतो में छोटे-बड़े बाँध बँधने लगे और जब लोगों ने देखा कि उससे महज ही खेती की उपज आशा से बहुत अधिक बढ़ने लगती है, तो उसके लिए गाँव मे खूब उत्साह बढ़ा।

सन् १९५७ के अन्त तक सारे गाँव ने मिलकर लगभग दो लाख घनफुट मिट्टी डालकर बाँध-बंधी की है। बाँध-बंधी का यह अभियान आज भी चालू है।

× × ×

भूमि का कटाव रोकने के लिए जगह-जगह बबूल, रेंजा और खैर के पेड़ लगाने का सुझाव भी दिया गया है। इस सुझाव के अनुसार भी कुछ कार्य हुआ है, परन्तु उसमें विशेष सफलता नही मिली।

खेतों की मेंड बाँधना भी कटाव रोकने का एक उपाय है। इस ओर भी मंगरौठवालो का पूरा ध्यान है।

× × ×

मगरौठ की १०० एकड भूमि काँस से जकड़ी है और १०० एकड़ जरिया से। इसके कारण २०० एकड़ भूमि खेती के लिए अनुपयोगी बन गयी है।

यह वही काँस है, जो चाणक्य के पैर में चुभा था और जिसके निर्मूलन के लिए उसने जड खोदकर उसमें मट्ठा डालना शुरू कर दिया था, ताकि फिर न लहलहाने लगे। इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती है। काली जमीन में जहाँ नमी रहती है, काँस खूब फलता-फूलता है। एक बार जहाँ उसने जड पकडी कि फिर उसका मूलोच्छेदन करना बहुत कठिन होता है। उसकी झकडेदार जड़े जमीन के भीतर लगातार बढ़ती ही जाती है

और वे जमीन का रस चूस-चूसकर स्वयं तो पुष्ट होती जाती हैं, पर आसपास लगी फसल को चौपट करती जाती हैं। जरिया का भी वही हाल है। उसके कारण भी फसल बुरी तरह बर्बाद होती है।

इसके लिए गहरी जुताई और जड़ों को खोद फेंकने की आवश्यकता है। मंगरौठ के निवासी फावड़ा लेकर काँस और जरिया के निर्मूलन के लिए निकल पड़े हैं। यह समस्या सरल नहीं है। दस-पन्द्रह साल में शायद कुछ हो सके। यों ट्रैक्टर की मदद ली जाय, तो आसानी हो सकती है, पर उसमें प्रति एकड़ ५०-५५ रुपया खर्च आयगा।

× × ×

जंगली पशु खेती के लिए अत्यन्त हानिकर सिद्ध होते हैं। मंगरौठ की खेती पर भी उनका प्रकोप होता रहता था। उनसे फसल को बचाने के लिए बन्दूक के लैसंस लेने की बात सोची गयी। कुछ बन्दूकों के लैसंस मिल जाने से फसल की सुरक्षा बढ़ गयी है।

× × ×

खेती का प्रमुख साधन है : सिंचाई। बिना पानी के खेती कैसी? पर मंगरौठ में पानी १३० फुट गहराई पर है। खेतों में कुएँ खोदकर सींचना साधारण बात नहीं। उसमें भारी श्रम के अलावा भारी खर्च का भी सवाल था। नदी से पम्प द्वारा पानी खींचकर खेतों में पहुँचाने की बात भी सोची गयी, पर उसके लिए भी भारी रकम की जरूरत थी।

इतना गहरा पानी !

इसलिए अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि फिलहाल 'जिगनी माइनर' (छोटी नहर) ढाई मील और आगे बढवाने का प्रयत्न हो।

सरकार से लिखापढी शुरू की गयी । सर्वोदय-मण्डल ने इसके लिए कई वर्ष तक पूरा-पूरा प्रयत्न किया। बाबा राघवदास ने भी इस कार्य मे अपनी पूरी शक्ति लगायी। तब कही कई साल बाद इस नहर का कुछ विकास हो सका। यह नहर मंजूर तो जल्दी हो चुकी थी, पर उसका रुख दूसरी ओर मुड जाने से मंगरौठ को उसका कोई लाभ न था। बहुत होता, तो आसपास पड़नेवाली ३०-३५ एकड़ जमीन की सिचाई हो पाती। पर उतने से क्या काम चलनेवाला था ? अतः सरकार से बार-बार प्रार्थना की गयी। अनेक प्रयत्नो के बाद सरकार ने मगरौठ पर कृपा की है और अब मंगरौठ की खेती को ३-३॥ फुट गहरे और ६ फुट चौड़े बम्बे का लाभ मिलने लगा है। इसके फलस्वरूप मगरौठ की लगभग १८० एकड़ भूमि नहर से सींची जाने लगी है। सिचाई की इस व्यवस्था का मंगरौठ की उपज पर बहुत अच्छा असर पड़ा है।

× × ×

परती जमीन को खेती के उपयुक्त बनाना भी उपज बढ़ाने का एक उपयोगी साधन है। जो जमीन खेती के काम में लायी जा सकती है, उसे तोड़ने का निश्चय किया गया।

सर्वोदय-मण्डल के आदेश से अब तक लगभग ५० एकड़ ऐसी जमीन तोड़ी गयी है और उस पर मुख्यतः वे ही लोग खेती कर रहे हैं, जो पहले भूमिहीन थे।

× × ×

खेती की उपज बढ़ाने के साधनो पर मंगरौठवालों ने जब विचार किया, तो सहज ही यह बात निकली कि खेतों में खाद पडनी चाहिए, अच्छे बीज की व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छे औजारो की भी।

गाँव में पहले तो खाद का कोई प्रयोग ही न होता था। खाद डालें

अपने खसखसे गुड़ की भली खिलाकर पानी पिलाया, तो तबीयत खुश हो उठी !

मंगरौठ की उपज के ये आँकड़े उसके पुरुषार्थ, उसके बल, उसके श्रम के प्रतीक हैं .

	१९५३-५४	५५-५६	५६-५७
ज्वार	५४७ मन	७८५ मन	११४४ मन
कोदो	८ ,,	१६ ,,	२२ ,,
गेहूँ	१८६ ,,	८७५ ,,	१५७० ,,
गेहूँ पिसिया	–	९९ ,,	१९३ ,,
चना	५६० ,,	७३३ ,,	५८७ ,,
जौ	३ ,,	६७ ,,	५३ ,,
तिल	२४ ,,	५२ ,,	७३ ,,
राई	४ ,,	२५ ,,	८३ ,,
सरसों	–	१ ,,	४ ,,
अलसी	८१ ,,	२२९ ,,	८० ,,
अरहर	९८ ,,	३२४ ,,	३३३ ,,
मूँग	१०७ ,,	१२३ ,,	९२ ,,
धनिया	–	आधा मन	डेढ़ मन

स्पष्ट है, मंगरौठ खाद्य-स्वावलम्बन की ओर बढ़ रहा है। उसकी प्रगति के सीमा-चिह्न हैं :

और पानी की समुचित व्यवस्था न हो, तो पहले से भी कम उपज की आशका रहती है। किसान ऐसा खतरा उठाये भी तो कैसे?

गाँव मे लगभग ५०० टन गोबर होता है। जलाने के सिवा पहले उसका दूसरा कोई उपयोग न होता था। इधर जब से पानी की कुछ व्यवस्था हुई है, तब से खेतो में खाद पड़ने लगी है। खाद का भरपूर उपयोग हो सके, इसलिए सर्वोदय-मण्डल कम्पोस्ट के गड्हो को बढावा दे रहा है। गाँववाले इस कार्य मे अपना भरपूर योगदान कर रहे हैं और उसका समुचित लाभ भी उठा रहे हैं। हड्डी की खाद, मल-मूत्र की खाद का भी उपयोग करने का प्रयत्न हो रहा है।

खेती की उपज बढाने के लिए अच्छे बीज, अच्छे औजारों तथा अन्य साधनो की ओर भी मंगरौठवालो का पूरा ध्यान है।

× × ×

मंगरौठ मे वर्षा के दिनों में १५० मन के लगभग साग-सब्जी हो जाती रही है। गर्मी के दिनो में नदी किनारे कुछ साग-सब्जी उगाने का प्रयत्न किया जाता था, पर बाढ अक्सर ही उसे बहा ले जाती थी।

अब साग-सब्जी की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा है। पिछले साल बरसात मे होनेवाली सब्जी के अलावा ४५ मन सब्जी पैदा हुई।

× × ×

मगरौठ मे फलों की कोई उपज न होती थी। गाँव में बेल के कुल चार पेड़ है और खेतों मे आम का सिर्फ एक पेड। नदी किनारे कुछ थोडे से खरबूजे आदि कभी-कभी हो जाते थे। हर बार सो भी नहीं।

ग्रामदान के बाद इस दिशा का सबसे शानदार उदाहरण है—पपीता। आज घर-घर मे पपीते के पेड़ लगे है और उन पेडों मे ऐसे बड़े-बड़े फल लगे हैं कि देखते ही बनता है।

× × ×

लोग पूछेंगे कि इस प्रकार गाँव की सारी जमीन गाँव की बना देने

का, गाँव से भूमिहीनों का अस्तित्व मिटा देने का, मिल-जुलकर प्रेमपूर्वक कृषि की ओर ध्यान देने का परिणाम क्या निकला ?

परिणाम आँखों के सामने है।

पपीता

जिस मंगरौठ में मुश्किल से सात-आठ महीने के लिए अन्न पैदा होता था, जिस मंगरौठ में कई-कई मास लोग अधपेट रहते थे, जिस मंगरौठ में मेहमानों के लिए माँग-मूँगकर गेहूँ लाते थे और साथ बैठकर खाने की हिम्मत न करते थे, उसी मंगरौठ में आज सालभर से भी अधिक के लिए भरपूर अन्न पैदा होता है, गेहूँ पैदा होता है, तेलहन पैदा होता है, दाल पैदा होती है।

लहलहाता गन्ना

और इस साल तो मंगरौठ ने गन्ना पैदा करके कमाल कर दिखाया। सैकड़ों साल से जो चीज नहीं हुई, वह चीज उसने पैदा कर ली। उस दिन कालूराम मिस्त्री ने जब हमें

अपने खसखसे गुड़ की भेली खिलाकर पानी पिलाया, तो तबीयत खुश हो उठी !

मंगरौठ की उपज के ये आँकड़े उसके पुरुषार्थ, उसके बल, उसके श्रम के प्रतीक हैं :

	१९५३-५४	५५-५६	५६-५७
ज्वार	५४७ मन	७८५ मन	११४४ मन
कोदो	८ ,,	१६ ,,	२२ ,,
गेहूँ	१८६ ,,	८७५ ,,	१५७० ,,
गेहूँ पिसिया	—	९९ ,,	१९३ ,,
चना	५६० ,,	७३३ ,,	५८७ ,,
जौ	३ ,,	६७ ,,	५३ ,,
तिल	२४ ,,	५२ ,,	७३ ,,
राई	४ ,,	२५ ,,	८३ ,,
सरसों	—	१ ,,	४ ,,
अलसी	८१ ,,	२२९ ,,	८० ,,
अरहर	९८ ,,	३२४ ,,	३३३ ,,
मूँग	१०७ ,,	१२३ ,,	९२ ,,
धनिया	—	आधा मन	डेढ़ मन

स्पष्ट है, मंगरौठ खाद्य-स्वावलम्बन की ओर बढ़ रहा है। उसकी प्रगति के सीमा-चिह्न हैं :

चरखवा चालू रहे : २ :

'कातो चरखा, मिले स्वराज्य।'

देश को बापू ने जब यह नारा दिया, तो मंगरौठ भी उससे अछूता न बच सका। दीवान साहब की प्रेरणा से गाँव के ३०-३५ व्यक्ति सत्याग्रह-आन्दोलनों मे जेल गये और तरह-तरह का उत्पीड़न तो सैकड़ों व्यक्तियों ने सहा।

सन् '३०-'३२ में मंगरौठ में प्राय हर घर में चरखे चलते थे। शुद्ध देहाती चरखे।

आन्दोलन जब कुछ धीमा पडा, तो चरखों की गति भी कुछ मन्द पडी, पर गाँव के कोरी उसे अपनाये रहे। उनका यह क्रम सतत चालू है। मजे की बात यह है कि वे सिर्फ कातते ही नही, धुनाई से लेकर बुनाई तक सारा काम खुद ही करते है। धुनते हैं वे ही, पोनी भी बनाते है वे ही, कातते हैं वे ही और बुनते हैं वे ही। यों उनका पेशा बुनाई का है, पर काम भले ही कम हो, धुनाई से बुनाई तक सारी प्रक्रिया वे अपने ही हाथ से करते हैं। ऐसा नही कि बुनने के लिए वे मिल का सूत ले आये। बाहर से सूत लाकर कपडा बनाना वे जानते ही नहीं।

यों, मंगरौठ मे खादी अपनी शुद्ध परिभाषा में दिखाई पड़ती है।

× × ×

मंगरौठ के घर-घर मे चरखे चलते रहे हैं। पर बीच में इस ओर लोगों का कम ध्यान रहा। कोरियों के ११ परिवार खादी का कार्य मुस्तैदी से चलाते रहे, पर खादी उनकी मूल जीविका का साधन नहीं थी, उनका मूल उद्योग था खेती। उसे वे आज भी अपनाये हुए हैं। हाँ, इससे इतनी आय हो जाय कि उनका काम चल सके, तो वे कृषि को गौण स्थान दे सकते हैं।

स्वराज्य होने के बाद भी चरखे का स्थान तो अक्षुण्ण है ही।

गांधी-चौरे पर सूत्रांजलि

भोजन के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है—वस्त्र। ग्रामप्रधान भारत में वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति का साधन खादी ही हो सकती है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि ग्रामदान के बाद मंगरौठ का ध्यान इस ओर जाय। उसने वस्त्र-स्वावलम्बन की दिशा में अपनी शक्ति लगाने का निश्चय किया।

चरखे को नये सिरे से प्रोत्साहन मिला। कुछ तो पुराने चरखे थे ही, कुछ नये चरखे लाये गये। देशी चरखों के अलावा बाँस-चरखा आया, किसान-चरखा आया, यरवदा-चक्र आया और सबके बाद अम्बर-चरखा भी आ गया। गाँवभर में डेढ़-पौने दो सौ चरखे चलने लगे।

गर्मी के दिनों में किसान खेती से खाली रहता है। चरखा चलाने का यह बहुत अच्छा अवसर है। मंगरौठ में इस ऋतु में चारों ओर चरखे की मधुर गुंजार होने लगी। कुछ लोग तो सालभर नियमित रूप से कातने लगे, पर अधिकतर गर्मियों में ही कातते रहे।

और उसका परिणाम?

तीन साल के ये आँकड़े हमारे सामने हैं :

सन् १९५५	—	४ मन ५ सेर सूत
१९५६	—	३ मन, २९। सेर सूत
१९५७	—	२ मन ४।। सेर सूत

सन् १९५५ में अधिक सूत कातनेवालों मे प्रमुख लोग ये :

शिवदयाल लोधी	७ सेर १२ छटाक
परमाई कोरी	७ सेर ११ छटाक
वासुदेव	६ सेर ४ छटाक
नत्थू नाई	५ सेर ८ छटाक
रामसेवक पण्डित	४ सेर १४ छटाक
मन्ना सुनार	४ सेर १४ छटाक
सरमन धोबी	४ सेर ३ छटाक।

सन् १९५६ मे इन लोगो ने अधिक सूत काता :

छबीली	७ सेर १२ छटाक
परमा कोरी	५ सेर ३ छटाक
रामचरण	५ सेर
गनेशा कोरी	४ सेर ६ छटाक
बुनियादी शाला	५ सेर १३ छटाक।

सन् १९५७ में अधिक सूत कातनेवाले ये थे :

छबीली	२० सेर ३ छटाक
परमा कोरी	५ सेर २ छटाक
इन्द्रपाल सिंह	३ सेर १३ छटाक।

कताई की दृष्टि से यह बात निर्विवाद है कि मंगरौठ में सूत कातनेवालों की कमी नही है। हर घर के पुरुष और स्त्री, बच्चे और बूढ़े—सभी कातना जान गये है, जानते है और कातने के लिए उत्सुक रहते है। सवाल है बुनाई का।

मंगरौठ मे बुनाई की अभी भरपूर व्यवस्था नही हो पायी है। बुनाई की पूरी व्यवस्था हो जाय, तो गाँव को वस्त्र-स्वावलम्बी बनते देर न लगे। आज वस्त्र के मामले में गाँव के ९-१० परिवार पूर्ण स्वावलंबी है, ३०-३५ परिवार अर्ध-स्वावलंबी हैं : गांव के अन्य परिवार भी कुछ-न-कुछ खादी पहनते ही है, पर उन्हें खादी मिल नही पाती।

माना गया कि गाँव के ही व्यक्ति यह कार्य सीख लें, जिससे कपडे के लिए गाँव को बाहरी साधनों पर निर्भर न रहना पडे। गाँव का एक लडका सेवापुरी-आश्रम से बुनाई की शिक्षा लेकर गाँव मे काम करने लगा है। कुछ और लड़के भी बुनाई सीख रहे है। प्रगति धीमी है, फिर भी इस बात की पूरी आशा है कि कुछ वर्षो मे मगरौठ वस्त्र-स्वावलंबी बन जायगा।

अभी तक खादी के संबंध मे ऐसा नियम है कि सभी कातनेवाले अपना सूत सर्वोदय-मण्डल को देकर खादी ले लेते है। उन्हें बुनाई का केवल आधा खर्च देना पड़ता है, शेष आधा खर्च सर्वोदय-मण्डल अपनी ओर से छूट देता है। जो लोग अपनी जरूरत से ज्यादा सूत कात लेते है, उनका सूत सर्वोदय-मण्डल खरीद लेता है और उसकी खादी तैयार करवाकर मण्डल की 'अपनी दूकान' पर रखवा देता है। इस दूकान में छोटे कपड़े, गमछे आदि तो टिकने ही नही पाते। वे तैयार होकर आते ही समाप्त हो जाते है। खादी के अन्य वस्त्रो की भी अच्छी खपत रहती है।

पाई करते हुए

बुनाई की भरपूर व्यवस्था हो जाय, तो मंगरौठ की वस्त्र-समस्या निश्चय ही हल हो जायगी। अभी गाँव में जरूरतभर खादी तैयार नही हो पाती, कते हुए सूत का भी भरपूर उपयोग नहीं हो पाता, इसीलिए लोग बाहर से कपड़ा खरीदते हैं।

गाँव की श्रम-शक्ति का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है। गाँव के

अपनी दूकान : ३ :

सर्वोदय-मण्डल, मंगरौठ की एक दूकान है —'अपनी दूकान'।

छोटी-सी कोठरी मे इस दूकान को खुले अभी सालभर ही हुआ है, पर 'पूत के पाँव पालने में' ही दीखने लगे है।

इससे पहले गाँव मे छोटी-मोटी ६-७ दूकाने थी, पर अब इसके अलावा सिर्फ दो दूकानें और रह गयी है—बिलकुल मामूली-सी। इनमें से एक दूकान की पूँजी लगभग २००) है, दूसरी की ५०-६० रुपये। पहली की दैनिक बिक्री एक-डेढ़ रुपया है, दूसरी की आठ-दस आना मात्र। इन दोनों दूकानों पर त्योहार आदि के मौको पर कुछ पेड़ा, बरफी आदि तैयार कर लिया जाता है। उसकी कुछ अच्छी खपत हो जाती है। सबसे छोटी दूकान की विशेषता है, देहाती जडी-बूटियाँ। गाँव के लोग बहुत दिनों से दवा-दारू के लिए इस दूकान पर जाते रहे है। पर उसकी बिक्री नगण्य-सी ही है।

सर्वोदय-मण्डल की 'अपनी दूकान' की पूँजी लगभग ५००) है। उसकी मासिक बिक्री २५०) के लगभग है।

× × ×

'अपनी दूकान' में मुख्यतः निम्नलिखित चीजें बिक्री के लिए रखी जाती है :

गल्ला [illegible] गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मूँग, अरहर, जौ, चावल।

ति[illegible] [illegible]ू, अलसी, राई।

[illegible]ो, लेमजूस।

[illegible] कत्था, सुपाड़ी, लौंग, धनिया,

[illegible]ायन, पीपल, मेथी, अमचूर, सौंफ।

स्त्री-पुरुषों को अपने पीने के लिए पानी खींचने में रोज लगभग तीन घंटे लग जाते हैं। यदि यही समय बच जाय और कताई में इसका उपयोग हो, तो सहज ही सादे चरखे से साल में कम-से-कम ९६३० वर्गगज खादी तैयार हो सकती है—गाँव की जरूरत की लगभग तीन-चौथाई।

मंगरौठ में बुनाई की प्रगति हो रही है। कताई का तो कहना ही क्या। चरखे के स्वर में स्वर मिलाकर मंगरौठ में यह आवाज गूँजती रहती है :

'मेरे चरखे का टूटे न तार,
चरखवा चालू रहे।'

● ● ●

अपनी दूकान : ३ :

सर्वोदय-मण्डल, मगरौठ की एक दूकान है —'अपनी दूकान'।

छोटी-सी कोठरी मे इस दूकान को खुले अभी सालभर ही हुआ है, पर 'पूत के पाँव पालने में' ही दीखने लगे है।

इससे पहले गाँव मे छोटी-मोटी ६-७ दूकाने थी, पर अब इसके अलावा सिर्फ दो दूकानें और रह गयी है—बिलकुल मामूली-सी। इनमें से एक दूकान की पूँजी लगभग २००) है, दूसरी की ५०-६० रुपये। पहली की दैनिक बिक्री एक-डेढ रुपया है, दूसरी की आठ-दस आना मात्र। इन दोनों दूकानो पर त्योहार आदि के मौको पर कुछ पेडा, बरफी आदि तैयार कर लिया जाता है। उसकी कुछ अच्छी खपत हो जाती है। सबसे छोटी दूकान की विशेषता है, देहाती जडी-बूटियाँ। गाँव के लोग बहुत दिनो से दवा-दारू के लिए इस दूकान पर जाते रहे है। पर उसकी बिक्री नगण्य-सी ही है।

सर्वोदय-मण्डल की 'अपनी दूकान' की पूँजी लगभग ५००) है। उसकी मासिक बिक्री २५०) के लगभग है।

× × ×

'अपनी दूकान' में मुख्यतः निम्नलिखित चीजें बिक्री के लिए रखी जाती है :

गल्ला—गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मूँग, अरहर, जौ, चावल।

तेलहन—तिल, अलसी, राई।

मिठाई—गुड़, चीनी, लेमजूस।

मसाला—नमक, मिर्च, मसाला, कत्था, सुपाड़ी, लौंग, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, हींग, जीरा, अजवायन, पीपल, मेथी, अमचूर, सौंफ।

मेवा—किशमिश, छुहारा, गरी, मखाना, मुनक्का, चिरौंजी, सिंघाड़ा, बादाम।

सुगन्ध—अगरबत्ती, कपूर, नेपथलीन की गोली।

साबुन—कपड़ा धोने का साबुन, सोड़ा, नील।

व्यसन—चाय, तम्बाकू, बीड़ी।

स्टेशनरी—कागज, कलम, स्याही, रबड़, पेंसिल, निब, पटरी, पेंसिल कटर, ब्लेड, आईना, कंघा, लालटेन की बत्ती और शीशा, रंग।

साग—आलू, प्याज, लहसुन, गोभी।

दवा—त्रिफला, साबूदाना, फिटकिरी, मिश्री, शहद।

वस्त्र—खादी।

× × ×

'अपनी दूकान' मंगरौठ की अपनी दूकान है। गाँव के अधिकांश लोग इसे अपनी ही दूकान मानकर अपनी जरूरत की तमाम चीजें यहीं से खरीदा करते हैं। दूकान में गाँव की आवश्यकता की प्रायः सभी चीजें रहती हैं। पर लकड़ी, लोहा और कपड़े का भरपूर व्यवस्था हो जाय, तो इसकी बिक्री दसगुनी तक बढ़ने की सम्भावना है। इमारती लकड़ी, बैलगाड़ी बनाने की लकड़ी, चारपाई की लकड़ी, मचवे, सिरे, पाटी तथा हल के फाल

अपनी दूकान

आदि दूकान मे रख लिये जायँ, तो यह निश्चित है कि लोग ये सारी चीजें यही से खरीदें ।

कपडे की समस्या भी इसी प्रकार की है । गाँव की जरूरतभर का कपडा दूकान मे उपलब्ध रहे, तो फिर गाँववाले उसे खरीदने के लिए बाहर क्यो जायँ ? कपडा गाँव मे तैयार होनेवाली खादी ही हो या मिल अथवा हैण्डलूम का बना हुआ रहे, यह प्रश्न अभी विवादास्पद-सा है । यो तो खादी पर ही मंगरौठवासियो का जोर है, पर कुछ लोग मिल या हैण्डलूम की भी बात करते है । वे अभी तक ऊपर से नीचे तक, घर से बाहर तक खादी पहनने को कृतसंकल्प नही हो पाये हैं । अच्छा तो यही होगा कि सब लोग खादी पर ही दृढ रहे, ग्रामदानी गाँव की रक्षा और प्रतिष्ठा सोलह आना खादी अपनाने मे ही है, पर अभी तक इसके लिए जैसा चाहिए, वैसा अनुकूल वातावरण नही बन सका है । फिर भी खादी की उत्तरोत्तर प्रगति से यह आशा की जा सकती है कि कुछ दिनों के भीतर सभी ग्रामवासी खादी के लिए कृतसकल्प हो जायँगे ।

× × ×

गाँव की 'अपनी दूकान' का अर्थ यही होता है और होना चाहिए कि गाँव की आवश्यकता की सारी वस्तुएँ उसमे उपलब्ध रहें । गाँव मे किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए गाँव से बाहर न जाना पडे । किसी भी चीज को खरीदने के लिए गाँव का एक भी पैसा गाँव की दूकान से बाहर नही जाना चाहिए । कोई चीज साल मे कितनी कम खपती है, इसकी चिन्ता किये बिना, 'अपनी दूकान' मे गाँव की आवश्यकता की हर चीज रहनी चाहिए । प्रसन्नता की बात है कि मंगरौठ की 'अपनी दूकान' इस दिशा मे प्रगतिशील है ।

× × ×

सर्वोदय-मण्डल की 'अपनी दूकान' से मंगरौठवासियों को लाभ क्या हुआ, यह प्रश्न सहज ही उठता है ।

इसका उत्तर इस दूकान से सम्बन्ध रखनेवाला हर व्यक्ति यही देता

मेवा—किशमिश, छुहारा, गरी, मखाना, मुनक्का, चिरौंजी, सिंघाड़ा, बादाम।

सुगन्ध—अगरबत्ती, कपूर, नेपथलीन की गोली।

साबुन—कपड़ा धोने का साबुन, सोड़ा, नील।

व्यसन—चाय, तम्बाकू, बीड़ी।

स्टेशनरी—कागज, कलम, स्याही, रबड़, पेंसिल, निब, पटरी, पेंसिल कटर, ब्लेड, आईना, कंघा, लालटेन की बत्ती और शीशा, रंग।

साग—आलू, प्याज, लहसुन, गोभी।

दवा—त्रिफला, साबूदाना, फिटकिरी, मिश्री, शहद।

वस्त्र—खादी।

× × ×

'अपनी दूकान' मंगरौठ की अपनी दूकान है। गाँव के अधिकांश लोग इसे अपनी ही दूकान मानकर अपनी जरूरत की तमाम चीजें यहीं से खरीदा करते हैं। दूकान में गाँव की आवश्यकता की प्रायः सभी चीजें रहती हैं। पर लकड़ी, लोहा और कपड़े का भरपूर व्यवस्था हो जाय, तो इसकी बिक्री दसगुनी तक बढ़ने की सम्भावना है। इमारती लकड़ी, बैलगाड़ी बनाने की लकड़ी, चारपाई की लकड़ी, मचवे, सिरे, पाटी तथा हल के फाल

अपनी दूकान

आदि दूकान में रख लिये जायँ, तो यह निश्चित है कि लोग ये सारी चीजें यहीं से खरीदें।

कपड़े की समस्या भी इसी प्रकार की है। गाँव की जरूरतभर का कपडा दूकान में उपलब्ध रहे, तो फिर गाँववाले उसे खरीदने के लिए बाहर क्यों जायँ ? कपड़ा गाँव में तैयार होनेवाली खादी ही हो या मिल अथवा हैण्डलूम का बना हुआ रहे, यह प्रश्न अभी विवादास्पद-सा है। यों तो खादी पर ही मंगरौठवासियों का जोर है, पर कुछ लोग मिल या हैण्डलूम की भी बात करते हैं। वे अभी तक ऊपर से नीचे तक, घर से बाहर तक खादी पहनने को कृतसंकल्प नही हो पाये हैं। अच्छा तो यही होगा कि सब लोग खादी पर ही दृढ रहे, ग्रामदानी गाँव की रक्षा और प्रतिष्ठा सोलह आना खादी अपनाने मे ही है, पर अभी तक इसके लिए जैसा चाहिए, वैसा अनुकूल वातावरण नहीं बन सका है। फिर भी खादी की उत्तरोत्तर प्रगति से यह आशा की जा सकती है कि कुछ दिनो के भीतर सभी ग्रामवासी खादी के लिए कृतसंकल्प हो जायँगे।

× × ×

गाँव की 'अपनी दूकान' का अर्थ यही होता है और होना चाहिए कि गाँव की आवश्यकता की सारी वस्तुएँ उसमे उपलब्ध रहें। गाँव में किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए गाँव से बाहर न जाना पडे। किसी भी चीज को खरीदने के लिए गाँव का एक भी पैसा गाँव की दूकान से बाहर नही जाना चाहिए। कोई चीज साल मे कितनी कम खपती है, इसकी चिन्ता किये बिना, 'अपनी दूकान' में गाँव की आवश्यकता की हर चीज रहनी चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि मंगरौठ की 'अपनी दूकान' इस दिशा में प्रगतिशील है।

× × ×

सर्वोदय-मण्डल की 'अपनी दूकान' से मगरौठवासियों को लाभ क्या हुआ, यह प्रश्न सहज ही उठता है।

इसका उत्तर इस दूकान से सम्बन्ध रखनेवाला हर व्यक्ति यही देता

हैं कि इस दूकान से हमें लाभ ही लाभ है। माल भी अच्छा मिलता है, दाम भी कम लगता है और तौल भी पूरी मिलती है।

गाँव की दूकानों पर नकद पैसों में बहुत कम बिक्री हुआ करती है। गल्ले के माध्यम से ही ज्यादातर व्यापार चलता है। 'अपनी दूकान' में भी गल्ला लेकर सौदा दिया जाता है। पर पहले जिस गल्ले का भाव एक रुपये में चार सेर रहता था, उसे दूकानदार छह सेर के हिसाब से खरीदा करते थे। 'अपनी दूकान' में वह बात नहीं। यहाँ ठीक भाव पर ही गल्ला खरीदा जाता है और जो सौदा दिया जाता है, उसमें भी ग्राहक को पहले से २५-३० प्रतिशत का लाभ रहता है।

नीचे के थोड़े से आँकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जायगी :

वस्तु	पहले का भाव	'अपनी दूकान' का भाव
नमक	१) का ८ सेर	१०॥ सेर
मिर्च	१) की ४ छटाक	६॥ छटाक
गुड़	१) का २॥ सेर	३। सेर
मिट्टी का तेल	।≶) से ॥) बोतल	।-), ।-)॥ बोतल

गोवर्धन भाई जैसे योग्य, अनुभवी और कर्मठ कार्यकर्ता 'अपनी दूकान' के संचालन में दत्तचित्त हैं। दूकान का क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। उसकी प्रगति अनिवार्य है। कुछ ही वर्षों में 'अपनी दूकान' गाँवभर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का केन्द्र बनेगी, इस बात की पूरी आशा ही नहीं, विश्वास भी है। ● ● ●

उद्योग : कल और आज : ४ :

मंगरौठ मे विभिन्न जातियों की फुलवारी है।

इन जातियों मे बहुत सी अपने पैतृक उद्योग मे आज भी लगी है। जैसे तेली तेल पेरता है, कोरी कपडे बुनता है, सुनार स्वर्णकारी करता है, धोबी कपडे धोता है, चमार चमडे का काम करता है, वढई वढईगिरी करता है, लुहार लुहारी करता है, वसोर बाँस का काम करता है, गड़ेरिया भेड़ पालता है, नाई हजामत बनाता है।

छोटे-मोटे कितने ही ग्रामोद्योग मंगरौठ में शताब्दियों से चलते आ रहे है।

× × ×

मंगरौठ मे कताई-बुनाई के अलावा निम्नलिखित उद्योग चलते है या चलते आ रहे है :

(१) चमडे का उद्योग
(२) तेलघानी का उद्योग
(३) रस्सी और पाखरी का उद्योग
(४) मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग
(५) लुहार-बढ़ई का उद्योग
(६) मछली पकड़ने का उद्योग
(७) कम्बल बनाने का उद्योग
(८) दूध का उद्योग, आदि।

× × ×

मगरौठ का जूता !

बुन्देलखण्ड की कटीली और झखरीली, पहाड़ी और जंगली ऊबड़-

खावड जमीन में मगरौठ का जूता बड़ा काम देता है। खेतों और जंगलों में काम करनेवाले स्त्री-पुरुषों के लिए अनिवार्य है वह।

मजबूती, बनावट और सौन्दर्य के लिए बुन्देलखण्ड में दूर-दूर तक प्रख्यात है—मंगरौठ का जूता। उसे बेचने के लिए कहीं बाजार नहीं खोजना पड़ता। दूर-दूर से उसे खोजते हुए लोग खुद ही मंगरौठ पहुँचते हैं और मुँहमाँगा दाम चुकाकर ले जाते हैं। कुछ मास पूर्व कम्बोडिया के भाई आदित्यनजी जब मंगरौठ पधारे, तो इस जूते की खूबसूरती पर लट्टू हुए बिना न रह सके। उन्होंने इसकी निर्माण-कला, इसका 'टेकनीक' सीखने में कई दिन खुशी-खुशी लगा दिये।

मंगरौठ का जूता

ऐसा यह है मंगरौठ का जूता!

× × ×

मगरौठ में चमारों के तीन परिवार यह प्रसिद्ध जूता तैयार करते हैं। इनके औजार पुराने ही हैं, जूते बनाने का तरीका भी पुराना है, इसकी अपनी विशेषता है। इस विशेषता को ये लोग अक्षुण्ण बनाये हुए हैं।

मगरौठ का यह जूता तैयार होने में प्रति जोड़ी साधारणतः दो दिन लगते हैं। चमड़े की कीमत और उसे तैयार करने की मजदूरी मिलाकर एक जोड़ी का दाम ६) से १२) तक पड़ता है। इसमें आधी कीमत चमड़े की माननी चाहिए और आधी मजदूरी।

गाँव में चमारो के २३ परिवार है। इनमे ३ परिवार जूते बनाते है, ११ परिवार चमडे की रँगाई का काम करते है। २ परिवार ऐसे है, जो केवल चमडे की रँगाई का ही काम कर सकते है, खेती नहीं कर सकते। उनमे से २ परिवारो ने खेती नही ली है। अन्य परिवार खेती में लगे है।

× × ×

चमड़े की रँगाई का उद्योग यहाँ एक जमाने से चलता आ रहा है। चमडे के बाल निकालने के लिए चूना और रंग के लिए बबूल की छाल, धौ के पत्तो और महुआ के पत्तों आदि का उपयोग किया जाता है।

जूते की तैयारी

रँगाई के लिए चमडा बाहर से खरीदा जाता है। खरीदकर रँगने का काम गाँव मे होता है। रँगे हुए चमड़े की कीमत प्रति रुपये लगभग दस

आने माननी चाहिए। एक रुपये का चमडा प्राय एक रुपया दस आने मे बिकता है। जूते की तरह इस रँगे हुए चमड़े के लिए भी ग्राहक खोजने नही जाना पडता। घर बैठे ही उसके भी ग्राहक आ जाते है।

× × ×

मंगरौठ का चर्मोद्योग आज बहुत अच्छी स्थिति में नही है। सभी लोग यह बात स्वीकार करते है कि जूता बनाने मे और चमड़ा रँगने में मंगरौठ अपना सानी नही रखता। इस उद्योग के कारण इसके कारीगर एक जमाने मे इतने सम्पन्न थे कि वे जरूरत पडने पर गाँव के अन्य निवासियों को रुपया उधार दिया करते थे। परन्तु अशिक्षा और कुरीतियों

के कारण उनकी यह स्थिति जाती रही है। आज पूँजी के अभाव में वे इस क्षेत्र में मजदूरी या दलाली मात्र कर रहे हैं।

यदि पूँजी की उपयुक्त व्यवस्था हो जाय और चमड़े के कारीगर इस कार्य में अपनी शक्ति का विधिवत् उपयोग करें, तो यह निर्विवाद है कि इस उद्योग की बदौलत वे अपनी प्राचीन सम्पन्नता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोदय-मण्डल चर्मोद्योग को भलीभाँति विकसित करने के लिए सचेष्ट है।

× × ×

गाँव में तेलघानी का उद्योग है तो बहुत पुराना, पर वह है बड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में। गाँव में एक पुराना कोल्हू है, जो थोड़ी ही मात्रा में गाँव की आवश्यकता पूरी कर पाता है। गाँव में तिल, अलसी और राई की अच्छी मात्रा में उपज होती है। गाँव में उसके पेरने की उपयुक्त व्यवस्था न होने से कच्चा तिलहन अधिकतर बाहर ही चला जाता है।

सुतली कातते हुए

गाँव के इस पुराने कोल्हू से गाँव की आवश्यकता पूरी नहीं होनेवाली है। सर्वोदय-मण्डल इस कमी को दूर करने के लिए सचेष्ट है। गाँव का ही एक लड़का सेवापुरी से तेलघानी का काम सीखकर आ गया है। सहकारी भंडार के लिए जो नयी इमारत बन रही है, उसमें नयी तेलघानी लगाने का आयोजन है। इससे मिल के तेल का उपयोग तो बन्द होगा ही, गाँव के तेल की आवश्यकता भी गाँव में ही पूरी हो सकेगी।

मंगरौठ मे सन की उपज होती है। सन से रस्सी बटने और अनाज रखने के लिए पाखरी बनाने का उद्योग यहाँ चलता आ रहा है। केवटों के परिवार इसे सहायक उद्योग के रूप मे अपनाये हुए है।

केवट लोग सन से पानी खींचने का रस्सा, खेती के लिए रस्सी, टाट, जाजम, गुदरी, मछली पकड़ने के जाल आदि बनाते हैं। इस उद्योग के विकास के लिए प्रयत्न चालू है।

मंगरौठ के हर घर में मिट्टी के वर्तन काम में आते है। मिट्टी के घड़े
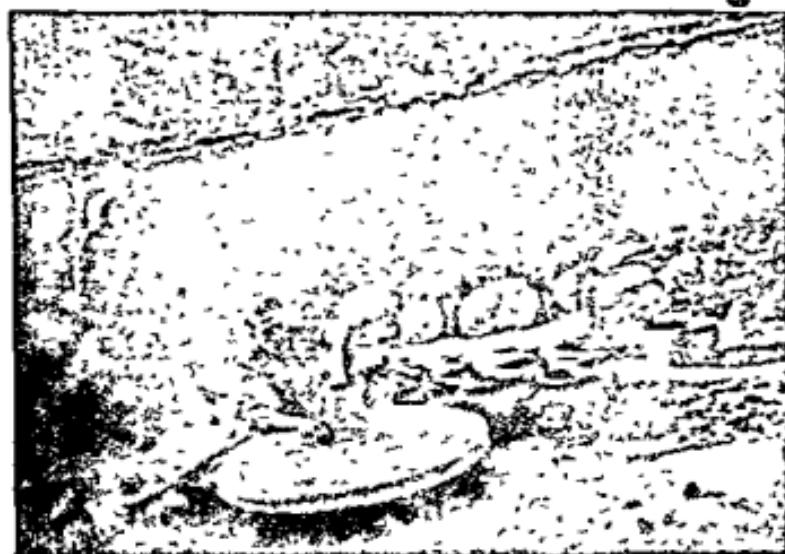
प्रजापति की सृष्टि

तो सबको चाहिए ही, उसके अलावा मिट्टी के कुछ और वर्तन भी काम में आते है। पहले यहाँ मिट्टी के वर्तनों के लिए बड़ी दिक्कत थी और उन्हें खरीदने के लिए दूसरे गाँवों में जाना पड़ता था। पर ग्रामदान के बाद अब गाँव में दो कुम्हार परिवारों के आ बसने से यह कठिनाई दूर हो गयी है।

अब मिट्टी के घडे, मकोरे, बच्चों के तरह-तरह के खिलौने आदि गाँव मे ही तैयार होने लगे है। इस दिशा में गाँव स्वावलंबी बन गया है।

× × ×

लुहार लोहे का काम करता है। वह हल, फाल और खेती के औजारो की मरम्मत करता है। यह उद्योग गाँव के लिए परम उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

बढई लकडी का काम करता है और किसानों को खेती में मदद देता है।

लुहार, बढई, नाई, धोबी अपने उद्योगों द्वारा गाँव की सेवा करते है। फसल कटने पर किसान अपनी उपज मे से इन लोगो को अनाज देते है, जिससे इनका निर्वाह होता है और जीविका चलती है।

× × ×

मंगरौठ में केवट लोग सहायक धंधे के रूप में मछलियाँ पकड़ते हैं। उनका मुख्य धन्धा खेती है, परन्तु वे मछली भी पकड़ते हैं। साल में ६ मास उनका यह उद्योग चलता है। २० व्यक्ति इस काम में लगे हैं। हर आदमी प्रति मास २ मन मछलियाँ पकड़ लेता है। इन मछलियों की खपत मुख्यत: गाँव में ही होती है।

× × ×

मंगरौठ मे भेडें पर्याप्त है। उनकी ऊन बेची जाती है। पहले इस ऊन के कम्बल तैयार किये जाते थे और कम्बल-बुनाई का उद्योग चलता था। परन्तु बहुत दिनों से पूँजी के अभाव में यह उद्योग स्थगित कर दिया गया है।

× × ×

गाँव में पशु-धन की कमी नहीं है। गायों, भैंसों, बकरियों के दूध और दूध से बनी चीजों—दही, मक्खन, घी, खोवा आदि का काम चलता तो है, पर अभी उसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

पिछले दिनों श्री राधाकृष्ण बजाज ने गाँव के पशु-धन की अच्छी तरह

परीक्षा करके सुझाव दिया था कि यदि गाँव में व्यवस्थित रूप से गाय के दूध से घी तैयार किया जाय, तो मंगरौठ साल में लगभग दस हजार रुपये का गाय का घी बेच सकता है और गाँव के बच्चों को रोज ही मुफ्त में डेढ़ मन मट्ठा पीने को मिल सकता है।

'आम के आम गुठलियों के दाम।'

सर्वोदय-मण्डल इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की बात सोच रहा है।

× × ×

यह है मंगरौठ के उद्योगों की स्थिति।

यह कोई अत्यन्त आशावर्द्धक तसवीर नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि इसमें भविष्य के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। ग्रामदान के बाद से अभी तक गाँव की शक्ति खेती के विकास और उन्नति की ओर ही विशेष रूप से रही है, अब उद्योगों के विकास की ओर भी जा रही है। कारण 'खेती' और 'ग्रामोद्योग' धीरेनभाई के शब्दों में 'सीता' और 'राम' ठहरे।

और सीता-राम के बिना हमारा त्राण कहाँ? ● ● ●

पुरुपार्थ के प्रतीक

'खत का मजमूं भांप लेते हैं लिफाफा देखकर ।'

कमरे में टँगी तसवीर जिस तरह बोलती है कि वहाँ रहनेवाला किन विचारों का है, उसी तरह किसी भी गाँव की मौजूदा तसवीर बताती है कि गाँववाले किन विचारों के हैं । जो जैसा होता है, वैसी ही उसकी तसवीर होती है ।

मंगरौठ मे चाहे जितनी कमियाँ दीख पड़ें, पर उसके पुरुपार्थ का लोहा तो हरएक को मानना ही पड़ेगा। ग्रामदान के बाद मंगरौठवालों ने नव-निर्माण के लिए जो नमूने पेश किये हैं, वे उनके पुरुपार्थ के प्रतीक हैं ।

× × ×
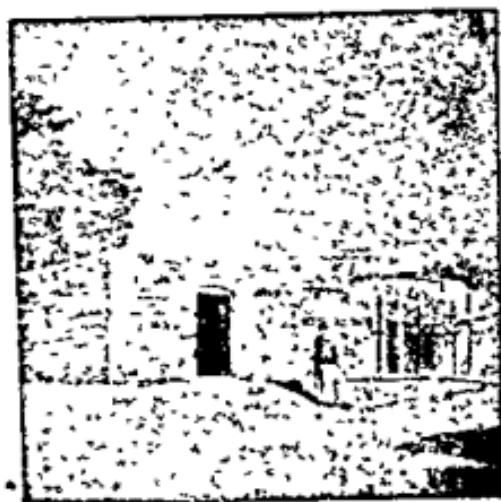
ग्रामोद्योग-भंडार

श्रम की प्रतिष्ठा गाँव में बहुत बढ गयी है। सार्वजनिक निर्माण के लिए सभी लोग उत्साह-पूर्वक श्रमदान करते हैं । फिर वह काम चाहे बाँध-बंधी का हो, कुओं की मरम्मत या निर्माण का हो, तालाब खोदने का हो, बगीचा लगाने का हो, पुल बाँधने का हो, सार्वजनिक मकान बनाने का हो, कुछ भी हो, उसमें सब लोग पूरा उत्साह दिखाते हैं ।

मंगरौठ के निर्माण का अब तक जो कार्य हुआ है, वह इस प्रकार है :

स्कूल [प्रकाश-मन्दिर]

	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई	
दो कमरे	१८' ×	१६' ×	१२'	छतों पर स्लैब
एक बरामदा	३८' ×	८' ×	९'	

पंचायत-घर [नारायण-घर]

एक हाल	३०' ×	१९' ×	१२'
दो बगल कमरे	८' ×	१९' ×	९'

आश्रम

एक हाल	३०' ×	१३॥' ×	१२'	खपरैल
एक कमरा	१९' ×	९' ×	६॥'	कड़ीवाली छत
एक कमरा				
एक बरामदा				
और स्नान घर	७' ×	७' ×	५'	

पुल [जय-पथ]

२ बाजू	४६'×२' × १०'
१ डाट	२१'×५'

ग्रामोद्योग-भंडार

१ कमरा	१६'×१६'×११'
१ कमरा	३७'×१६'×११'
१ कमरा	३५'×१६'×११'
१ शेड	४७'×१८'×११'

कुआँ

१ कुआँ	९०'×८'
२ स्नान-घर	

फुटबाथ बीमार पशुओं के खुर धोने का हौज ।

सामाजिक जीवन

शिक्षा

मंगरौठ की लगभग ४० प्रतिशत जनता साक्षर है।

१ व्यक्ति ग्रेजुएट है।

१ व्यक्ति इंटर पास है।

१ व्यक्ति मैट्रिक है।

११ व्यक्ति मिडिल पास है।

२५ व्यक्ति ६-७ दर्जे तक पढ़े हैं।

हस्ताक्षर कर सकनेवाले स्त्री-पुरुषों की संख्या २०० से कम नहीं है।

× × ×

शिक्षा की ओर मंगरौठ का ध्यान बहुत पहले से है। इस दिशा में पंखराज महाराज को भूला नहीं जा सकता। उन्होंने कई साल पहले शिक्षा के प्रसार के लिए गाँव के ही नहीं, बाहर के भी लड़कों को ला-लाकर पढ़ाया। नतीजा यह हुआ कि गाँव के ही १२० लड़के पाठशाला में आने लगे, बाहर से तो कुछ आ ही रहे थे।

मंगरौठ में जिला-बोर्ड का एक स्कूल है। पहली कक्षा से लेकर पाँचवीं कक्षा तक उसमें पढ़ाई होती है। ६०-६५ लड़के उसमें पढ़ते हैं। कुछ लड़कियाँ भी पढ़ने आती हैं।

प्रकाश-मन्दिर

बोर्ड से कन्या पाठशाला भी स्वीकृत है। वह पहले कुछ दिन चली भी, पर अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। कन्या पाठशाला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है—अध्यापिका की। गाँव में अभी अध्यापिका तैयार नहीं हो पायी, बाहर से कोई मुश्किल से यहाँ जाना स्वीकार करती है। कोई अध्यापिका आती भी है, तो दूर देहात होने के कारण ज्यादा दिन टिक नहीं पाती।

लड़कियों और स्त्रियों में कताई, बुनाई आदि सिखाने के लिए महिला-मंगल-योजना चलायी गयी। कुछ दिन एक-दो अध्यापिकाएँ रहीं भी, पर यहाँ की कठिनाइयों से ऊबकर अन्यत्र चली गयीं।

× × ×

शिक्षा जीवन का मूल आधार है। उसीकी अच्छाई-बुराई पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। मंगरौठ में जो शिक्षा प्रचलित है, वह पुरानी पद्धति की ही है। उस शिक्षा से काम चलनेवाला नहीं है। इसलिए बुनियादी तालीम शुरू की गयी है। अभी यहाँ पाँचवीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती है, पर आगे उसे बढ़ाकर कक्षा ८ तक ले जाने का और इसी पाठशाला को 'बुनियादी विद्यालय' में परिणत कर देने का विचार है। प्रकाश भाई बुनियादी तालीम के विशेषज्ञ हैं। वे इस काम को हाथ में लेकर नयी पीढ़ी को नये साँचे में ढालने के लिए कृतसंकल्प हैं।

× × ×

यों साधारण दृष्टि से देखें, तो हम पायेंगे कि मंगरौठ के विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास अन्य गाँवों के विद्यार्थियों की अपेक्षा कहीं अधिक हुआ है। उनसे बातें करते ही यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इन बालकों का जन्म जिस गाँव में, जिस वातावरण में हुआ है, उसकी बौद्धिक क्षमता देश के अन्य गाँवों से कहीं अधिक ऊँची है। मंगरौठ की जियारत करने के लिए जो लोग समय-समय पर यहाँ पहुँचते रहते हैं, उनके उपदेशों से भी ये बालक समय-समय पर लाभान्वित होते ही रहते हैं।

× × ×

मंगरौठ के विद्यार्थी आपस मे मिल-जुलकर रहते हैं, कभी-कभी वे वनभोज के लिए भी जाते हैं, कभी-कभी गाँव की सेवा में, सफाई मे, श्रमदान में भी लगते हैं। पाठशाला के अध्यापक और सर्वोदय-मण्डल के कार्यकर्ता उनके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं।

वनभोज

ग्रामदान की भावना के अनुरूप इन बालकों मे संस्कार डालने का भी प्रयत्न किया जाता है। एक मजेदार घटना इसकी गवाही देती है :

एक दिन एक किसान के खीरे के खेत मे एक बैल घुस गया।

एक विद्यार्थी दौड़ा उसे हाँकने के लिए। बैल तो उसने हाँक दिया, पर सामने खीरे देख बालक का जी मचल पड़ा!

शिक्षक के पास शिकायत गयी।

उसने पूछा, तो असलियत सामने आ गयी।

"इस अपराध का दण्ड क्या हो, तुम्ही सोचो।"—शिक्षक ने कहा।

उस बालक ने और उसके साथियों ने तय किया कि हम इस खेत की मेंड़ बाँधेंगे, जिससे फिर जानवर घुसकर फसल बर्बाद न कर सकें।

इतना ही नहीं, अपराधी बालक खीरा लेने के एवज मे उस खेत की निराई करने के लिए भी तैयार हो गया।

और इसका परिणाम ?

किसान को बड़ी लाज लगी—"छि' छिः, मैं भी कैसा निर्दय हूँ, जो

मंगरौठ में बाल-मंदिर की भी व्यवस्था हुई है। इसमें ६५ के लगभग बच्चे आते हैं। इनके जलपान आदि के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है। इनके खेलकूद के लिए भी प्रबंध हो रहा है। इस बाल-मंदिर का आयोजन उत्तर-प्रदेशीय गांधी-स्मारक-निधि की ओर से हो रहा है।

× × ×

मंगरौठ में स्वर्गीय पं० भागीरथजी की शहादत के स्मारक में एक पुस्तकालय की स्थापना हुई है। पं० भागीरथजी सन् '३०-'३२ में जेल गये, तभी आपको क्षय ने धर पकड़ा। छूटने के तीन मास के भीतर ही आपका प्राणान्त हो गया। आपकी स्मृति में सन् १९३५ में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई।

सर्वोदय-मण्डल ने अपने पुस्तकालय की पुस्तकें भी इसी पुस्तकालय में दे दी हैं। ५०० के लगभग अच्छी पुस्तकें इसमें हैं। जिला-बोर्ड से कभी-कभी इसे कुछ आर्थिक सहायता मिलती रहती है।

रोज ही मगरौठवासी इस पुस्तकालय से लाभ उठाते रहते हैं। इसमें एक वाचनालय भी लगा है, जिसमें कई दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। इनसे ग्रामवासियों के ज्ञान की वृद्धि भी होती है और जानकारी की भी।

× × ×

सर्वोदय-मण्डल के पास एक रेडियो है, जो बैटरी से चलता है। मंगरौठ के सभी निवासी—शिक्षित और अशिक्षित, छोटे और बड़े—उससे लाभ उठाते हैं और देश-विदेश की खबरों से परिचित होते हैं।

मंगरौठ में शिक्षा को नये साँचे में ढालने का पूरा प्रयत्न हो रहा है। बच्चों में नयी-नयी भावनाएँ भरने की चेष्टा की जा रही है। सुबह-शाम की प्रार्थना हो, श्रमदान हो, सामूहिक सफाई हो, सहभोज हो—सबमें सब लोग दिलचस्पी लेते हैं।

हमारा विश्वास है कि शिक्षा की दिशा में मंगरौठ शीघ्र ही अच्छी प्रगति करेगा।

● ● ●

इन भोले-भाले प्यारे बालकों की शिकायत करता हूँ।" उसने खुद ही तोड़-तोड़कर हर बालक को एक-एक खीरा भेंट किया।

× × ×

मंगरौठ के बालक अक्सर ही मिल-जुलकर सफाई करते हैं। गत २५ दिसम्बर को, बड़े दिन के अवसर पर उन्होंने गाँव की सफाई की। गाँववाले बड़े खुश हुए। उन्होंने सबको रोटी, घी और अचार दिया, जिसका सबने नदी में नहा-धोकर प्रेमपूर्वक कलेवा किया।

ऐसे मौके अक्सर आते रहते हैं।

जनवरी में यहाँ 'भारत-सेवक-समाज' का शिविर चला। उसमें गाँव के लड़के थे, आसपास के भी। ब्राह्मण भी उनमें थे, हरिजन भी। सब मिलकर ट्रेनिंग लेते, मिलकर खाते-पकाते। शिविर की समाप्ति पर जब वे हम सबसे विदा हो रहे थे, तो मैंने देखा कि उनकी आँखें छलछला रही थी। कुछ तो बड़े-बड़े आँसुओं रो भी रहे थे।

ऐसा प्रेम, ऐसा सद्भाव मुश्किल से ढूँढे मिलता है!

× × ×

मंगरौठ की नयी पौध

मंगरौठ में बाल-मंदिर की भी व्यवस्था हुई है। इसमें ६५ के लगभग बच्चे आते हैं। इनके जलपान आदि के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है। इनके खेलकूद के लिए भी प्रबंध हो रहा है। इस बाल-मंदिर का आयोजन उत्तर-प्रदेशीय गांधी-स्मारक-निधि की ओर से हो रहा है।

× × ×

मंगरौठ मे स्वर्गीय पं० भागीरथजी की शहादत के स्मारक में एक पुस्तकालय की स्थापना हुई है। प० भागीरथजी सन् '३०-'३२ मे जेल गये, तभी आपको क्षय ने धर पकड़ा। छूटने के तीन मास के भीतर ही आपका प्राणान्त हो गया। आपकी स्मृति में सन् १९३५ में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई।

सर्वोदय-मण्डल ने अपने पुस्तकालय की पुस्तकें भी इसी पुस्तकालय में दे दी हैं। ५०० के लगभग अच्छी पुस्तकें इसमें हैं। जिला-बोर्ड से कभी-कभी इसे कुछ आर्थिक सहायता मिलती रहती है।

रोज ही मगरौठवासी इस पुस्तकालय से लाभ उठाते रहते हैं। इसमें एक वाचनालय भी लगा है, जिसमें कई दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। इनसे ग्रामवासियों के ज्ञान की वृद्धि भी होती है और जानकारी की भी।

× × ×

सर्वोदय-मण्डल के पास एक रेडियो है, जो बैटरी से चलता है। मंगरौठ के सभी निवासी—शिक्षित और अशिक्षित, छोटे और बडे—उससे लाभ उठाते हैं और देश-विदेश की खबरों से परिचित होते हैं।

मंगरौठ में शिक्षा को नये सांचे में ढालने का पूरा प्रयत्न हो रहा है। बच्चों में नयी-नयी भावनाएँ भरने की चेष्टा की जा रही है। सुबह-शाम की प्रार्थना हो, श्रमदान हो, सामूहिक सफाई हो, सहभोज हो—सबमें सब लोग दिलचस्पी लेते हैं।

हमारा विश्वास है कि शिक्षा की दिशा में मंगरौठ शीघ्र ही अच्छी प्रगति करेगा।

● ● ●

आरोग्य : २ :

जून '५३ में दीवान साहब की प्रार्थना पर अखिल भारत कस्तूरबा ट्रस्ट की मंत्री श्रीमती सुशीला पै ने यह निश्चय किया कि मंगरौठ में स्थायी तौर पर एक प्रसूति-केन्द्र खोल दिया जाय ।

भोली-भाली माता कस्तूरबा की स्मृति के अनुरूप ही है यह शुभ कार्य ।

कस्तूरबा ट्रस्ट २००० से कम आबादीवाले ऐसे गाँवों में ही अपना प्रसूति-केन्द्र खोलता है, जहाँ पर कोई सरकारी अथवा अन्य अस्पताल नहीं रहता। सेविका के निवास तथा केन्द्र के लिए मकान की मुफ्त व्यवस्था करनी पड़ती है और खर्च का २५ प्रतिशत गाँव की ओर से देना पड़ता है ।

मंगरौठ में ऐसे केन्द्र की बड़ी जरूरत थी और वह खुल गया ।

× × ×

सन् '५३ से यह प्रसूति-केन्द्र अपनी सीमित शक्ति से भरपूर सेवा कर रहा है । रोगियों के पाँच साल के आँकड़े इस प्रकार है :

वर्ष	पुरुष	स्त्री	बालक	प्रसूतियाँ	उत्तर-प्रसूति	पूर्व-प्रसूति	कुल
१९५३	१३५	३४०	२२८	१	२	—	७०६
१९५४	३६८	३१८	३०४	२	३	४	९९९
१९५५	३६८	३०४	३४०	४	—	८	१०३४
१९५६	५६८	५२५	५७९	१०	१	५	१६८८
१९५७	५४०	५१७	७८६	८	५	३	१८५९

१९५७ में मुख्यतः इन रोगों में चिकित्सा की गयी :

पेट-दर्द, दस्त, पेचिश	२०९	रोगी
आँख का कष्ट	३७५	,,
जुकाम, खाँसी, निमोनिया	१०८	,,

दाँत का दर्द	५८	रोगी
सिर का दर्द	९७	,,
फोड़ा-फुँसी, खुजली, दाद	५९८	,,
कान का दर्द	१११	,,
बुखार : सादा और मलेरिया	८६	,,
अन्य	२१७	,,
	१८५९	

इस केन्द्र में केवल मंगरौठ के ही नहीं, आसपास के कितने ही गाँवों के मरीज चिकित्सा के लिए आते रहते हैं। प्रयाग और रणीवाँ में ट्रेनिंग प्राप्त श्रीमती रामरती बहन अकेली ही इन सब मरीजों को सँभालती है। उसकी सेवा की क्षमता अद्‌भुत है। दिन और रात, सुबह और शाम जब जरूरत पड़ती है, रामरती बहन सेवा के लिए हाजिर।

× × ×

और इस सेवा-परायण बहन को कभी-कभी कैसी मुसीबत में पड़ जाना पड़ता है, जानकर आश्चर्य होता है

एक शाम की बात है।

गाँव की दो हरिजन स्त्रियों के साथ उसे छह मील दूर एक गाँव में प्रसूति के लिए जाना पड़ा। गर्भिणी को देखकर रामरती बहन ने बताया कि रात के १० बजे तक बच्चा हो जायगा। इसी उद्देश्य से उसने गर्भिणी को एनिमा दे दिया।

एनिमा देने के बाद बच्चा ऊपर चढ़ने लगा और साथ ही घर की औरतों में फुसफुसाहट भी शुरू हुई।

मर्दों में भी बात फैली और धीरे-धीरे आँगन में २०-२५ आदमी इकट्ठे हो गये। कुछ के हाथ में लाठी भी थी। कुछ कुल्हाड़ा और गंडासी भी लिये थे। किसीके तेवर चढ़ रहे थे। कोई कह रहा था : "हो कुछ खराब, देखें हमसे बचकर कहाँ जाती है?" रामरती बहन सोचने लगी कि पता नहीं ये लोग क्या कर गुजरें। प्राणों का मोह भी सताने लगा, पर उसने धैर्य रखा, शान्ति रखी।

साढे सात के करीब बच्चा सकुशल पैदा हुआ, तो मकान-मालिक आकर पैरों पर गिर पड़ा : "माफ करो बहन !"

फिर भी आँगन में पचीसों आदमी इकट्ठे । रामरती बहन बाहर कुएँ पर नहाने गयी, वहाँ भी ४–५ नौजवान चक्कर काटने लगे ।

तबीयत पहले से ही कुछ ढीली थी, इन सब परिस्थितियों ने भी असर डाला । रामरती बहन को तेज बुखार हो गया ।

गाँव के साथ गयी महिलाओं को अगल-बगल लेटाकर उस बेचारी ने किसी तरह रात काटी और सबेरे उसी बुखार में अकेले पैदल चलकर मगरौठ आयी !

× × ×

एक अबला के लिए गाँव में, अशिक्षितों और अन्धविश्वासी लोगों के बीच सेवा करना कितना कठिन है, उसका यह उदाहरण हमारी आँखें खोल देता है । पर धन्य है इस बहन को, जो सेवा के लिए शान्तिपूर्वक ऐसे सभी संकट प्रसन्नता से झेलती हैं ।

× × ×

प्रसूति-केन्द्र के लिए अभी जो मकान है, वह हवादार नहीं, प्रकाश की भी उसमें कमी है, स्त्रियों के लिए अलग एकान्त की भी कुछ व्यवस्था नहीं है । पर शीघ्र ही नये खुले और हवादार स्थान की व्यवस्था करने की बात सर्वोदय-मण्डल सोच रहा है ।

× × ×

प्रसूति-केन्द्र का सुपरिणाम यह है कि गाँव में रोगों का निवारण तो हो ही रहा है, लोगों में सफाई की आदतें भी पड़ रही हैं और वे पुराने गन्दे ढंगों से घृणा करने लगे हैं । फलत. मृत्यु-संख्या में पहले से बहुत कमी आ गयी है ।

एक सेविका की प्राणवान् सेवा का यह कम पुरस्कार नहीं है !

● ● ●

मनोरंजन : ३ :

जीवन के लिए एक अनिवार्य वस्तु है—मनोरंजन ।

हँसना, खिलखिलाना, ठहाका मारना उसके बाहरी लक्षण हैं और आन्तरिक प्रसन्नता भीतरी ।

जीवन में मनोरंजन न हो, विनोद न हो, तो न ताजगी आयेगी, न स्फूर्ति ।

मंगरौठवासी भी हँसते हैं, विनोद करते हैं और मस्ती का आनन्द लेते हैं । फिर वह विवाह-शादी का मौका हो या तिथि-पर्व का, कथा-

रघुपति राघव राजाराम !
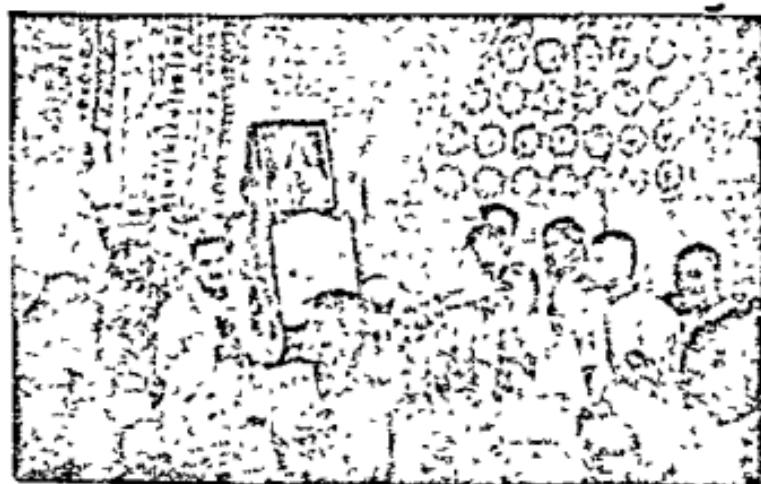
कीर्तन का हो या कैम्प-फायर का । जब-तब ऐसे अवसर निकल ही आते हैं और मंगरौठवाले उसका पूरा फायदा उठाते हैं ।

× × ×

मंगरौठ की अपनी एक कीर्तन-मण्डली है । वह जब-तब गाँव में

हरिकीर्तन करती रहती है। जनता बड़े प्रेम से उसमें योगदान करती है और उससे आनन्द प्राप्त करती है। प्रसन्नता की बात यह है कि इसमें अधिक संख्या हरिजनों की है। सभी लोग बिना किसी भेदभाव के इसमें शामिल होते है।

× × ×

विवाह-शादी के मौकों पर तो मनोरंजन का पर्व ही आ जाता है। एक ऐसे ही मौके पर मैं वहाँ मौजूद था। दूल्हे के साथ बारात गाँव से रवाना हो चुकी थी और रात को महिलाओं का एकच्छत्र साम्राज्य था। रामजी आकर बोला . "भाईजी, आप बाहर मत बैठिये।"

मैंने कहा : "क्यों ?"

"इसीलिए कि अभी स्त्रियाँ गाँव की परिक्रमा के लिए निकलेंगी और जो मर्द उनके रास्ते में पड़ जायगा, उसकी पूरी मरम्मत कर देंगी।"

"पर इसमें बुरा क्या है ? उनका मनोरंजन तो होगा। इसके लिए मेरी कुछ मरम्मत भी हो जाय, उनके बेलन और मूसल का मुझे शिकार भी बनना पड़े, तो हर्ज क्या है ?"

बात उस बेचारे के गले उतरी तो नहीं, पर वह जाते-जाते मुझे सावधान करता गया : "फिर आप जानिये !"

इधर के गाँवों में जमाने से यह प्रथा चलती आ रही है कि बारात चली जाने के बाद शादी-वाले घर की स्त्रियाँ गाँव में दिग्विजय के लिए निकलती हैं और जो

मौर सजाकर

बेचारा मर्द उनके रास्ते में आ पड़ता है; उसकी भलीभाँति पूजा करती है। रातभर शुद्ध विनोद चलता है, जिसमे ननद वर का पार्ट अदा करती है, भाभी वधू का। गाना-बजाना तो उसके साथ चलता ही रहना है।

मंगरौठ मे भी विनोद की यह परम्परा कायम है।

× × ×

यहाँ के स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध, किशोर-युवक–सभी लोग नाना प्रकार के मनोरंजनों मे भाग लेते हैं। परंपराएँ अधिकतर पुरानी ही है, पर अब उन्हें नये साँचे में ढालने की कोशिश की जा रही है। अन्धविश्वासों और रूढ़ियों को हटाकर स्वस्थ मनोरंजन का प्रसार करने का प्रयत्न हो रहा है।

उसके भी उदाहरण लीजिये :

दुनिया बड़ी मजेदार !

ताली शुरू कर–एक : दो : एक।....!

ये है हमारे सगीर अहमद खां, हमीरपुर जिले के प्रधान पी० टी० आई०।

जिला-बोर्ड की ओर से बालकों में खेल, नाटक, मनोरंजन के द्वारा स्फूर्ति और प्रेरणा भरने का काम है सगीर भाई के सिपुर्द।

मंगरौठ में भी जब-तब उनका फेरा होता रहता है। पिछली जनवरी में भारत-सेवक-समाज के शिविर के साथ उनका 'कैम्प-फायर' भी चलता था।

और कुछ न पूछिये कैम्प-फायर की रौनक का !

जाड़े की रात की सर्दी बगल में जलनेवाली आग से कम, विनोद की गर्मी से अधिक दूर होती थी।

× × ×

एक-से-एक रोचक, एक-से-एक बढ़िया प्रोग्राम।

काशी से पढ़कर पधारे पंडितजी एक देहाती से शास्त्रार्थ में हारकर नाक कटा बैठते हैं।

तब तक मिलते हैं लठा पांडे, गदहे पर एक हँडिया रखे। पूछते हैं : "क्या हुआ भाई, कैसे नाक कटा बैठे ?"

बताया तो लठा पांडे चले जवाब देने।

"कहिये महाराज, शास्त्रार्थ करोगे ?"

"हाँ-हाँ, क्यों नहीं ?"—चस्का लगा था।

पूछा : "राम के बाप कौन ?"

लठा पांडे : "दशरथ।"

"दशरथ के बाप ?"

"ग्यारह रथ। उसके बाप बारह रथ। उसके बाप तेरह रथ। और पूछो !" देहाती पंडित तो हक्का-बक्का रह गया !

काशीवाले पंडित को उसने यही सवाल पूछकर बुद्धू बना दिया था। बेचारा महाराज अज के आगे 'चीं' बोल गया !

दूसरा सवाल : "पृथ्वी किस पर टिकी है ?"

"शेषनाग पर।"

"शेषनाग किस पर टिका है ?"

काशी का पंडित यहीं निरुत्तर हो गया था, पर लठा पांडे ने हँडिया के भीतर से साँप निकालकर बताया : "हँडिया पर।"

"हँडिया किस पर टिकी है ?"

"गदहे पर।"

"गदहा ?"

"गदहा पृथ्वी पर।" और फिर उन्होंने वही 'चक्कर' दोहरा दिया !

आखिर लठा पांडे विजय का सेहरा बाँधकर ही घर लौटे। हर दर्शक लोटपोट था, उनकी वाक्‌चातुरी पर।

× × ×

बुद्धसेन की मौत का तमाशा तो लाजवाब था।

धोबी ने मूँछ मुड़ा ली और सहानुभूति में दारोगा के मुंशीजी ने भी, दारोगा ने भी।

पर सबको फजीहत तो तब हुई, जब धोबी ने बताया : बुद्धसेन और कोई नही था, वह या उसका प्यारा गदहा !

× × ×

'चमड़ी जाय, दमडी न जाय'—ऐसे सेठजी का प्रहसन, मियाँ शेखचिल्ली के मनसूबों का तमाशा, बम्बई का नौसिखुआ नाई आदि के खेल पल-पल पर लोगों को हँसाते थे ।

बूढ़े की शादी और उसका बेवकूफ बनाया जाना, देवी का भाव, अनजान आदमी से टिकट खरीदवाकर पैसा खोना—जैसे कई खेल ऐसे थे, जो दर्शकों का मनोरंजन भी करते थे और समाज की रूढ़ियों पर, अन्ध-विश्वासों पर, अशिक्षण पर मीठा-मीठा प्रहार भी करते थे । सगीर भाई खेल की समाप्ति के साथ-साथ बताते जाते थे कि इस खेल से क्या शिक्षा लेनी चाहिए ।

× × ×

इन खेलों में मंगरौठ के बालकों की बुद्धि का विकास भी देखते बनता था । बेवकूफ बनाने के क्रम में जहाँ-तहाँ वे कभी मेरा नाम जोड देते, कभी प्रकाश भाई का, कभी इन्द्रपाल भाई का, तो कभी रामरती बहन का !

वैयक्तिक स्पर्श पाकर विनोद का मजा दूना हो जाता ।

× × ×

यों हम देखते है कि पढने-लिखने से लेकर श्रम करने तक, खेल-कूद से लेकर नाटक और प्रहसन तक मंगरौठ में जीवन है, स्फूर्ति है, बल है, प्रेरणा है, मस्ती है ।

और इसी मस्ती मे डूबकर वे सगीर भाई के साथ ताल में ताल मिलाते हुए गाते चलते हैं :

दुनिया बड़ी मजेदार !

ताली शुरू कर ।

एक : दो : एक ।....!

● ● ●

पंचायत

'पंच करे सो न्याव।'
'पंच बोले परमेश्वर।'

हमारी ये पुरातन उक्तियाँ लोक-मानस में आज भी किसी-न-किसी रूप मे प्रतिष्ठित है। जनता पंचों की बात को सिर-माथे चढाती है।

मंगरौठ मे पहले से ही पंचायत की प्रतिष्ठा है। १९४७-४८ मे मंगरौठ, चन्दवारी, धुरौली और सिकरौधा—इन चार ग्रामो की ग्राम-सभा बनी थी। मंगरौठ में ही इस सभा का प्रधान कार्यालय रहा। इसकी एक अदालत भी है। पर आज तो यह ग्राम-सभा या अदालत केवल नाम की है। असली पंचायत है—'सर्वोदय-मण्डल।'

× × ×

पंच परमेश्वर

सर्वोदय-मण्डल, मंगरौठ के सभी बालिग स्त्री-पुरुषों की अपनी पंचायत है। यह गाँव के सभी छोटे-बड़े झगड़ों का फैसला करती है। कोई गम्भीर प्रश्न होता है, तो सारा गाँव जुटकर उस पर विचार करता है, अन्यथा मण्डल की प्रबन्ध समिति उस पर अपना फैसला दे

इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता है कि सर्वोदय-मण्डल का जो भी निर्णय हो, वह सर्वसम्मति से हो। कभी-कभी जब किसी फैसले पर सब लोग एकमत नही हो पाते, तो उस समय उस प्रश्न पर कोई निर्णय देना स्थगित कर दिया जाता है। उस पर विचार-मंथन चलता रहता है। जब सब लोग सोच-विचारकर एक निर्णय पर पहुँचते है, तब फैसला किया जाता है। यो तो तीन-चौथाई मतो से निर्णय लेने का विधान है, पर ऐसा मौका शायद ही कभी आता है।

× × ×

इस पंचायत के निर्णयो को गाँव बड़े आदर के साथ स्वीकार करता है। कारण, उसमें सहानुभूति तो रहती ही है, तटस्थता और निष्पक्षता भी रहती है। पंचायत किसीके मामले पर जब विचार करती है, तो पंच अपने उत्तरदायित्व को भलीभाँति समझते है, वे न्याय के लिए जितने तत्पर रहते है, उदारता का भी उससे कम ध्यान नही रखते।

एक बार एक व्यक्ति से सारा गाँव असन्तुष्ट था। पंचायत में उसका सामाजिक बहिष्कार करने का प्रस्ताव आया, परन्तु पचो ने उसे दोषी मानते हुए भी उसका बहिष्कार नही किया। पर यो लोगों ने उसका सामाजिक बहिष्कार-सा ही कर रखा था। न कोई उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखता था और न कोई उससे बोलता था।

तभी उसकी बेटी का विवाह आ पडा।

गाँववाले चाहते तो इस मौके का दुरुपयोग कर सकते थे, पर पंचायत का रुख देखकर उन्होंने पूरे सद्भाव से इस कार्य मे योगदान किया। सारा विवाह-कार्य हँसी-खुशी से निपट गया।

परिणाम ?

उस भाई ने अपनी गलती महसूस की और अपने दोष का प्रायश्चित्त किया!

× × ×

पंचायत

'पंच करे सो न्याव।'
'पंच बोले परमेश्वर।'

हमारी ये पुरातन उक्तियाँ लोक-मानस में आज भी किसी-न-किसी रूप में प्रतिष्ठित हैं। जनता पंचों की बात को सिर-माथे चढ़ाती है।

मंगरौठ में पहले से ही पंचायत की प्रतिष्ठा है। १९४७-४८ में मंगरौठ, चन्दवारी, धुरौली और सिकरौधा—इन चार ग्रामों की ग्राम-सभा बनी थी। मंगरौठ में ही इस सभा का प्रधान कार्यालय रहा। इसकी एक अदालत भी है। पर आज तो यह ग्राम-सभा या अदालत केवल नाम की है। असली पंचायत है—'सर्वोदय-मण्डल।'

× × ×

पंच परमेश्वर

सर्वोदय-मण्डल, मगरौठ के सभी बालिग स्त्री-पुरुषों की अपनी पंचायत है। यह गाँव के सभी छोटे-बड़े झगड़ों का फैसला करती है। कोई गम्भीर प्रश्न होता है, तो सारा गाँव जुटकर उस पर विचार करता है, अन्यथा मण्डल की प्रबन्ध समिति उस पर अपना फैसला दे देती है।

इस वात का पूरा प्रयत्न किया जाता है कि सर्वोदय-मण्डल का जो भी निर्णय हो, वह सर्वसम्मति से हो। कभी-कभी जब किसी फैसले पर सब लोग एकमत नही हो पाते, तो उस समय उस प्रश्न पर कोई निर्णय देना स्थगित कर दिया जाता है। उस पर विचार-मंथन चलता रहता है। जब सब लोग सोच-विचारकर एक निर्णय पर पहुँचते है, तब फैसला किया जाता है। यों तो तीन-चौथाई मतों से निर्णय लेने का विधान है, पर ऐसा मौका शायद ही कभी आता है।

× × ×

इस पंचायत के निर्णयों को गाँव बड़े आदर के साथ स्वीकार करता है। कारण, उसमें सहानुभूति तो रहती ही है, तटस्थता और निष्पक्षता भी रहती है। पंचायत किसीके मामले पर जब विचार करती है, तो पंच अपने उत्तरदायित्व को भलीभाँति समझते है, वे न्याय के लिए जितने तत्पर रहते है, उदारता का भी उससे कम ध्यान नही रखते।

एक बार एक व्यक्ति से सारा गाँव असन्तुष्ट था। पंचायत में उसका सामाजिक बहिष्कार करने का प्रस्ताव आया, परन्तु पंचों ने उसे दोषी मानते हुए भी उसका बहिष्कार नही किया। पर यों लोगों ने उसका सामाजिक बहिष्कार-सा ही कर रखा था। न कोई उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखता था और न कोई उससे बोलता था।

तभी उसकी बेटी का विवाह आ पड़ा।

गाँववाले चाहते तो इस मौके का दुरुपयोग कर सकते थे, पर पंचायत का रुख देखकर उन्होंने पूरे सद्भाव से इस कार्य मे योगदान किया। सारा विवाह-कार्य हँसी-खुशी से निपट गया।

परिणाम ?

उस भाई ने अपनी गलती महसूस की और अपने दोष का प्रायश्चित्त किया !

× × ×

मंगरौठ का ऐतिहासिक रेकर्ड है कि पिछले ८० वर्षों से गाँववाले किसी मुकदमे को लेकर अदालत में नहीं गये। इसका मतलब यह नहीं कि मंगरौठ में सब देवता ही बसते हैं। यहाँ भी मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते उनमें भी पर्याप्त कमजोरियाँ हैं। वे भी यदाकदा आपस में झगड बैठते हैं, लड बैठते हैं, परन्तु यहीं तक। वे आपसी मनमुटाव को घर में ही बैठकर, आपस में बात करके सुलझा

मुखिया शिवदयाल

लेते हैं। उसे बाहर नहीं जाने देते।

सर्वोदय-मण्डल इस आदर्श परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए जी-जान से प्रयत्नशील है।

● ● ●

नैतिकता की दिशा में

श्री धीरेन्द्रनाथ मजूमदार

जफाएँ तुम किये जाओ ! : ११ :

कहा है किसीने :

'जफाएँ तुम किये जाओ, वफाएँ हम किये जायें,
हमें भी देखना है यह कि कितने बेवफा तुम हो।'

१६ अगस्त १९५४। शाम को ५ बजे का वक्त।

मंगरौठ के पास के एक गाँववालों ने मंगरौठ की सामूहिक खेतीवाले खेतों में अपने सारे पशु घुसा दिये।

खेती को नष्ट करना, फसल को चौपट करना, खेतो को चरवा देना ही इस आक्रमण का लक्ष्य था। कुछ निहित-स्वार्थ ऐसा करनेवालों के पीछे थे।

खेती के रखवाले इन पशुओं को घेरकर चिकासी के मवेशीखाने की ओर बढे।

अभी वे राठ-उरई सडक पर पहुँचे ही थे कि "मंगरौठवालों की यह हिम्मत? वे हमारे पशुओं को काँजीहौस ले जायेंगे? देखे, कैसे ले जाते है?"—कहते हुए और तरह-तरह की गालियाँ बकते हुए ५०-६० आदमियों ने मंगरौठवालों पर पूरे जोर से हमला कर दिया और अपने मवेशी छीन लिये।

× × ×

इस हमले मे मंगरौठ के रखवालों की पूरी मरम्मत हुई। कुछ पर घूँसे और थप्पड़ पडे, कुछ पर लाठियाँ बरसी और कुछ पर कुल्हाडियों के वार हुए।

साधूराम कोरी को लाठियों और कुल्हाड़ियों की दुधारियों की इतना गहरी चोट लगी कि वह घटनास्थल पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा।

उसके सिर पर खराश हो गयी, सिर खूब छिलछिला उठा और कई गुमरे पड़ गये। पीठ और कन्धों पर भी गहरी चोटें आयीं।

× × ×

मारनेवाले मारकर और अपने ढोर छीनकर चले गये। उन्होंने यह मान लिया कि साधूराम अब उठकर बैठनेवाला नहीं !

× × ×

हिंसा ने अपना विकृत रूप दिखा दिया। पर मंगरौठ ने इस विकृति का कोई उत्तर नहीं दिया।

साधूराम को लोग उठाकर गाँव पर ले आये। बरसात के दिन थे। मंगरौठ में यों ही लोगों का पहुँचना एक समस्या रहती है, फिर इन दिनों तो चारों ओर पानी ही पानी था। डॉक्टर-वैद्य आता भी तो कैसे ? लाचार, गाँव में जो देशी दावा-दारू सहज उपलब्ध थी, उसीका सहारा लेना पड़ा।

भगवान् की दया थी, कुछ दिनों की दवा-दारू से साधूराम उठ बैठा।

× × ×

गाँव के लोग इस तरह पीटे जायँ, उन पर घूँसा-थप्पड, लाठी-डंडा और कुल्हाड़ियों के वार किये जायँ, और एक आदमी को मुर्दा जैसा बनाकर छोड दिया जाय, फिर भी लोग शान्त रहें, चुप रहें और पत्थर का जवाब पत्थर से देने के लिए आमादा न हो बैठें, यह कोई मामूली बात है ?

मंगरौठ ने शान्तिपूर्वक इस वार को झेल लिया।। हिंसा को अहिंसा से निरुत्तर कर दिया।

× × ×

थाने में घटना की इत्तला कर दी गयी थी। पर जब थानेदार पहुँचा और उसने मारनेवालों के नाम पूछे, तो मंगरौठ ने एक स्वर से कहा : "नाम हम किसीका नहीं बतायेंगे। मारनेवालों को हमने देखा है, हम उन्हें पहचानते हैं। खूब अच्छी तरह पहचानते हैं। पर वे हमारे पड़ोसी

है। हम उनका नाम बताकर उन्हें फँसाना नहीं चाहते ! उन्होंने गलती की है, यह ठीक है; पर हम उन्हें उनकी गलती का कोई दण्ड नहीं दिलाना चाहते। हमें न तो उन पर मुकदमा चलाना है, न उनसे वैर ही बढ़ाना है। कभी तो वे अपनी गलती महसूस करेंगे ही।"

और सचमुच, मंगरौठवालों ने किसी भी आक्रमणकारी का नाम नहीं बताया।

× × ×

नतीजा ?

अहिंसा ने हिंसा को शान्त कर दिया। दोनों गाँवों के बीच पहले जो तनाव रहता था, वह मिट गया।

दीवान साहब की बेटी कमला के विवाह में जब उस गाँववालों को निमंत्रण गया, तो वे भी उसी प्रेम और उत्साह से उसमें हाथ बँटाने पहुँचे, जिस प्रेम और उत्साह से मंगरौठवाले हाथ बँटा रहे थे।

हिंसा पर अहिंसा की कैसी अनुपम विजय !

मंगरौठ की शान बढ़ानेवाली एक अनोखी कहानी !

ऐसा लगता है, मानो भगवान् बुद्ध का यह उपदेश मंगरौठ के रोम-रोम में समा गया है कि क्रोध को अक्रोध से जीतो, बुराई को भलाई से, कंजूसी को दान से और झूठ को सच से—

अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने।
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं॥ ● ● ●

जब शराब की बोतलें तोड़ी गयीं : २ :

'ए जौक, दुख्तरेरज को न तू अपने मुंह-लगा,
छुटती नहीं है जालिम मुंह से लगी हुई !'

बडी शैतान है अंगूर की बेटी।

लोग कहते है कि एक बार जिसे उसका चस्का लगा, सो लगा। पर नहीं। वह छूट भी सकती है। कोई छोड़ना चाहे भी तो।

दृढ संकल्प हो, तो शराब ही नही, गाँजा, भांग, चरस, ताड़ी, बीड़ी, तंबाकू, चाय, काफी जैसी उसकी सभी सखी-सहेलियाँ छूट सकती है। जरूर छूट सकती है।

× × ×

मंगरौठ निर्माण के पथ पर है।

उत्थान के मार्ग पर है।

विकास की पगडंडी पर है।

मगरौठ के निवासियों ने एक दिन निश्चय किया कि "हम शराब नही पियेंगे। कारण, शराब बुरी चीज है। शराब से पैसा बर्बाद होता है, शराब से स्वास्थ्य चौपट होता है, शराब से जुबान बेकाबू होती है, शराब से आचरण खराब होता है। शराब हमें नहीं पीनी है। और जब पीनी ही नहीं है, तो हम उसे बनायेंगे ही क्यों ?"

तय हो गया कि मंगरौठ में शराब न तो पी जायगी और न तैयार ही की जायगी।

कैसा पवित्र निर्णय, कैसा उज्ज्वल संकल्प !

× × ×

निर्णय तो हो गया, ग्रामवासियों ने उनका संकल्प तो ले लिया, पर केवल सोच लेने से तो कुछ होता नहीं—

'मन मोदकन्ह कि भूख बुताई ?'

वर्षों से जो शराब के भक्त रहे हों, वे पलभर में उससे मुक्त हो जायें, यह कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है।

आदत तो आदत। उसे बिगाडने में कम समय लगता है, सुधारने में ज्यादा।

शराब, ताड़ी आदि की लत जिन्हें लग जाती है, वे इनसे छुटकारे की कसम भी खा लेते हैं, फिर भी अक्सर देखा जाता है कि चाहे-अनचाहे उनके पैर उन्हें ले जाकर मयखाने के दरवाजे पर खड़ा कर ही देते हैं।

और एकाध बार जहाँ संकल्प लड़खड़ाया कि फिर मुश्किल हो जाती है।

मंगरोठ में यों तो पहले से ही दीवान साहब नैतिक वातावरण तैयार करने के लिए सचेष्ट रहते थे, फिर भी कुछ लोगों को ऐसी लत लग ही गयी थी। गाँव में शराब तैयार भी की जाती थी।

गाँव ने जब शराब छोड़ने का फैसला किया, तो ये लोग भी उस फैसले में सबके साथ थे, पर आदत ने जोर मारा और नतीजा यह हुआ कि एक दिन प्रकाश भाई के कान में चुपके से किसीने आकर कह दिया : "फलाँ भाई के घर में शराब की भट्ठी चढ़ी है!"

× × ×

"यह तो ठीक नहीं। फिर तो हम कोई भी नैतिक सुधार कर ही नहीं सकेंगे।"—ऐसा कहते हुए प्रकाश भाई आश्रम से निकलकर उधर ही चल दिये, जिधर शराब की भट्ठी चढ़ी थी।

दनदनाते हुए वे मकान में घुसे, तो देखा कि बैठक में स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ भरी हैं।

प्रकाश भाई ने तो हर घर को अपना घर बना रखा है। पर उस दिन जब वे स्त्रियों के बीच से भीतर बढ़ने लगे, तो एकाध ने कुछ हलका-सा विरोध किया।

पर उन्होंने विरोध की रत्तीभर परवाह न की। कारण, वे जानते थे कि आज यह विरोध क्यों हो रहा है ?

जाकर देखा कि एक कोठरी भीतर से बन्द है।

खटखटाया, तो बहुत झेंपते हुए मालिक ने दरवाजा खोला।

"क्या हो रहा है भाई ? कमरा बन्द करके क्या चल रहा है ?"

"गलती हो गयी भाईजी !"

"गलती 'हो गयी' कि गलती 'की' ?"

"अब कभी ऐसी गलती न होगी भाईजी। आज आप माफ करें।"

और उसी क्षण उसने भट्ठी फोड़ दी, कड़ाह उलट दिया, शराब की बोतलें तोड़ दीं और कसम खा ली कि भविष्य में ऐसा काम वह कभी न करेगा।

× × ×

एक और शराबी भाई को जब इस घटना का पता चला, तो बवक पड़ा : "हमारे घर में कोई इस तरह धावा करता, तो हम उसकी खोपड़ी ही तोड़ देते !"

प्रकाश भाई को खबर लगी, तो उन्होंने कहा : "ठीक है, तोड़े न भाई। मुझे कब इनकार है खोपड़ी तुड़वाने से ?"

× × ×

यह घटना है अगस्त १९५६ की।

दिसम्बर १९५६ में एक बार और खबर मिली कि कहीं पर भट्ठी चढ़ी है।

उस समय मकान का ठीक अन्दाज नहीं लग पाया, पर प्रकाश भाई ने खोज कर मालूम कर ही लिया कि किस भाई की यह शरारत है।

दूसरे दिन जैसे ही उसे पता लगा कि हमारी चोरी पकड़ ली गयी,

वैसे ही उसने आकर माफी मांग ली : "भाईजी, आइन्दा से ऐसी गलती नही करूँगा।"

× × ×

और तब से मंगरौठ में सोलह आना शराबबन्दी चल रही है।

एक दिन रामरती बहन बैलगाड़ी से कही जा रही थी। उसी गाडी में सवार एक नाई उनसे बोला : "बहनजी, इतने गौर से क्या देख रही है ? यह देखिये, मेरी इस बोतल मे शराब नही है, मिट्टी का तेल है !"

और सचमुच, उसमें मिट्टी का तेल था।

× × ×

यों, मंगरौठ ने शराब से किनाराकशी करके नैतिकता की सीढ़ी पर कदम रखा है। बधाई !

○ ○ ○

जैसा साहूकार, वैसा कर्जदार : ३ :

मुझे एक दिन एक शिकायत मिली कि एक चमार पर किसी लोहो के दस रुपये निकलते थे, सो उसने उसकी भैंस छीन ली और तब लौटायी, जब साठ रुपये वसूल कर लिये !

बात चौंकने जैसी थी। दस के साठ ! हो सकता है कि आपसी अनबन के कारण ऐसा हुआ हो।

पर मैंने सोचा कि जरा असलियत का पता तो लगाया जाय।

मामले में घुसा, तो मालूम हुआ कि बात बिलकुल उल्टी है। जिसने शिकायत की थी, उसने असलियत को छिपाकर उसे अत्यन्त ही विकृत रूप दे दिया था।

× × ×

घटना कैसी थी, उन पर रंग कैसा चढ़ाया गया, यह चर्चा चल ही रही थी कि अलमा वहीं आ गया।

"यह लीजिये, यही है कर्जदार। पूछ लीजिये इसीसे।"

और मेरे पूछने पर अलमा ने कहा: "आठ-दस साल पहले मैंने एक सौ रुपये उधार लिये थे।"

"कितने सूद पर ?"

"दो रुपया माहवार की दर पर।" (२४ रुपया सैकड़ा सालाना !)

"उनमें से कितना रुपया चुकाया ?"

"पाँच-पाँच, दस-दस करके मैंने कुल दो कम अस्सी रुपये चुकाये।"

"ये अठहत्तर रुपये कितने दिनों में चुकाये ?"

"यही आठ-दस साल के भीतर।"

"इनमें मूल कितना था, सूद कितना ?"

"सो अलग-अलग कुछ नहीं था। जो कुछ था, सो यही था। उसे चाहे मूल समझिये, चाहे सूद।"

"साहूकार रुपये कर्ज देने का व्यापार करता है क्या?"

"नहीं तो। उस समय मुझे जरूरत थी, तो मैंने उससे रुपये माँगे। उसके पास भी रुपये थे नहीं। किसी और से उसने हथउधार लेकर मुझे रुपये दिये।"

"तो फिर भैंस छोर ले जाने की बात कैसे आयी?"

"वह मुझसे कई बार रुपये माँग चुका था, पर मैं दे ही नहीं पा रहा था। लाचारी में उसने भैंस छोर ली।"

"तो उसने कितने रुपये वसूल किये?"

"वसूल करने की क्या बात थी। गाँव के लोगों ने हम दोनों की बातें सुनकर कह दिया कि अलमा, तुम ६० रुपया दे दो। मैंने साठ रुपये दे दिये। पर वह और माँगता, तो और ज्यादा देने की मेरी तैयारी थी ही।"

"पूरा व्याज लगता, तो तुम्हें कितना देना पड़ता?"

"तीन-साढ़े तीन सौ रुपये तो उसके निकल ही आते। मैंने उसे दो कम अस्सी ही तो दिये थे। फिर भी दो-ढाई सौ रुपये और देने पड जाते।"

"साठ रुपये लेकर वह खुश हो गया?"

"भाईजी, वह तो कहने लगा था कि यह साठ भी तुम मत दो। कुछ मत दो। जाने दो, तुम देने लायक नहीं हो, तो मैंने सब छोड़ा! ले जाओ भैंस।"

"तब?"

"तब भाईजी, उसके भी आँसू भर आये, मेरे भी!"

× × ×

कैसी द्रावक घटना!

× × ×

पर शिकायती ने मुझसे कहा कि दस के साठ वसूल किये गये,

जब कि वास्तविकता यह थी कि सौ रुपये के ७८) + ६०) = १३८) लिये गये। सूद माना जाय, तो सालाना ५ रुपया सैकड़ा से भी कम, जब कि साहूकार को खुद उससे कहीं ज्यादा चुकाना पड़ा होगा।

× × ×

मैं सोचने लगा कि एक शख्स है, जो किसी दूसरे से रुपये उधार लेकर अपने पड़ोसी का काम चलाता है, आठ-दस साल में सौ रुपये में सूद की कौन कहे, मूल में ही अठहत्तर रुपये पाता है, वाईस रुपया उसमें भी कम और फिर भी कहता है : "हटाओ, छोड़ो, मैंने सब भर पाया।"

और दूसरा शख्स है, जो अपने अभावों का रोना रोता है, कर्ज चुका नहीं पाता, सूद दे नहीं पाता, मूल दे नहीं पाता; फिर भी तैयार है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए दो-ढाई सौ रुपया भी देना पड़े, तो किसी तरह कोई-न-कोई इन्तजाम करेगा !

मगरौठ के दो सीधे-सादे ग्रामीण। प्रेमिल और कर्तव्यपरायण। दोनों ही अपने ढंग के।

जैसा साहूकार, वैसा कर्जदार ! ● ● ●

मनियाँ बाबा का दिल कैसे पलटा ? : ४ :

साँवला रंग, अधकचरी मूँछें, गजब की मुसकराहट।

सिर पर साफा, गले में कोट, कमर में कछोटेदार धोती, पैरों में सफेद फीतेवाले जूते।

गोद में एक बच्ची लिये हुए ऐसे एक प्रौढ ने मेरे पास आकर कहा : "मैं हूँ मनियाँ।"

"आओ, आओ मनियाँ बाबा। मैं तो आपके इन्तजार में ही था।"

प्रेम से उन्हें बैठाकर मैंने मतलब की बात छेड़ी : "कहिये, आपने भी अपनी जमीन ग्रामदान मे दे दी न ?"

"पहले मैंने अपनी जमीन कहाँ दी थी ? मैंने तो पिछले साल दी है झाँसी-सम्मेलन में बाबा राघवदास को।"

मनियाँ

और तब मैंने इस स्पष्टवादी किसान को कुरेद दिया कि आखिर इतना सोचने में उसे पाँच साल लग कैसे गये ? २४ मई १९५२ को मनियाँ को छोड़कर मंगरौठ के अन्य सभी किसानों ने अपनी सारी जमीन ग्रामदान में अर्पित करने का निश्चय किया, परन्तु मनियाँ ने अपने दानपत्र पर हस्ताक्षर किये २६ अप्रैल १९५७ को। ऐसा क्यों ?

× × ×

विनोबा कहते है : "मंगरौठ के निवासी कोई यक्ष, किन्नर या गंधर्व तो नही है, वे भी हम-आप जैसे मानव ही है।" सचमुच, ऐसा ही एक मानव मेरे सामने बैठा था—सीधा-सादा, निष्कपट—जो भावनाओं में नही बहता, जो सत्य को तर्क की कसौटी पर कसता है और जो किसी भी बात को केवल तभी स्वीकार करता है, जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है।

पाँच साल तक लोग उसे तरह-तरह से समझाते रहे, कुछ लोग उस पर बिगडते भी रहे, कुछ उस पर ताने भी कसते रहे, पर उसे इन बातो की कोई पर्वाह न थी।

और ऐसे शुद्ध और साधारण मानव का हृदय कैसे परिवर्तित हुआ, उसका दिल कैसे पलटा, प्रेम के किस जादूगर ने उस पर प्रेम की छड़ी घुमा दी, यह जानने के लिए मै उत्सुक था, कोई भी होगा।

× × ×

मनियाँ बाबा ने अपनी कहानी शुरू की :

"गाँव में जब और लोगों ने ग्रामदान किया, तो मैंने सोचा कि दान से क्या होगा ? अभी चलने दो, मत करो अभी दान। बाबा का पड़ाव तो मंगरौठ मे था नही, बेतवा जहाँ उन्होने पार की थी, आपने देखा है न विनोबा घाट ? वही पर सवेरे हमने बाबा के दर्शन किये थे। पड़ाव था इटैलिया में। वहाँ जाकर मैंने बाबा का व्याख्यान सुना।"

"क्या कहा बाबा ने ?"—मैंने पूछ दिया।

बोले : "बाबा ने भूदान की बात समझायी। उन्होने कहा कि एक जगह-जमीन बँटी, तो बाबा को बड़ी खुशी हुई। यह अच्छा काम है। एक जगह ४ भाइयों के पास पाँच बीघा जमीन थी। बाबा ने कहा कि मुझे अपना पाँचवाँ भाई मानो और एक बीघा मुझे भी दे दो। वे तैयार हो गये। हम तो छोटे-बड़े सबसे जमीन माँगते है। हमे इसमें बड़ा आनन्द मिलता है। इसी काम के लिए हम गाँव-गाँव घूम रहे हैं। हम

चाहते हैं कि देश मे कोई आदमी भूमिहीन न रहे। हर आदमी को भूदान में जमीन देनी चाहिए।"

"तो बाबा की बात आपको कैसी लगी ?"

"बात तो उनकी बहुत अच्छी लगी। मेरे बेटे ने कहा भी कि 'फलाना नम्बर (खेत) भूदान मे दे दो।' पर मैंने कहा : 'नही। हमारा काम कैसे चलेगा ? अपने पास जो ६०-६५ बीघा जमीन है, उससे अपना कहाँ पूरा पडता है ? हाँ, और कही से कुछ मिल जाय, तो अच्छा।' मैंने बेटे से बहस की और साफ कह दिया कि और लोग भले ही जमीन दे दे, पर मैं देनेवाला नही। कुछ लोग मुझे समझाने आये भी, पर मैं तो इस प्रसंग को टालना ही चाहता था, सो पास के लिधौरा गाँव मे अपनी रिश्तेदारी में चला गया।"

"उसके बाद ?"

"लिधौरा में एक साइकिलवाला आदमी मिला। उससे पूछा : 'भैया, कहाँ से आ रहे हो ?' उसने बताया कि 'बाबा की सभा में गया था।' पूछा 'सभा कैसी रही ?' बोला : 'बडी अच्छी रही। मंगरौठ-वालों ने तो सोलह आना दान दे दिया। सिर्फ एक केवट ने दान नहीं दिया है। उसके पास ६०-६५ बीघा जमीन है। लोग कहते थे : 'उस केवट से भी दान करा लेंगे, करेगा कैसे नही' ? यह सुनकर मुझे बडा बुरा लगा। यह भी कोई बात है ? कोई मुझसे जबर्दस्ती दान करा लेगा ? यह तो प्रेम का सौदा है। है न भाईजी ?"

"जरूर।"

"जब मैं लिधौरा से लौटा, तो मेरी पुकार हुई। पण्डित बैजनाथ भूदान का काम करते थे। उन्होंने बुलाया। दीवान साहब नही थे, यह मुझे मालूम हो गया, सो मैंने धावन से कह दिया . 'कह दैयो, हम नहीं आवत। तुम्हें भावै सो करो।' फिर मैं न्यौते मे चन्दवारी चला गया।"

"पर दीवान साहब से तो आप ऐसा नही कह सकते थे ?"

"बाबूजी (दीवान साहब) से ऐसा कैसे कह सकता था ? चन्दवारी से लौटा, तो लोगों ने कहा : 'बाबूजी ने बुलाया है। चार-छह आदमी तुम्हें ढूँढ़ रहे हैं। तुम दुगे-दुगे (छिपे) फिरत हो।' बाद में मैं बाबूजी से मिलने गया। उन्होंने बहुत समझाया, पर मैंने कह दिया : 'देसकोस में ग्रामदान न हो, तब तक मैं न दूँगा। यह तो प्रेम का सौदा है'।

"मेरा जवाब सुनकर बाबूजी ने कुछ न कहा। सिर्फ इतना बोले : 'अच्छी बात है। जैसी तुम्हारी खुशी।' मेरा यह जवाब गाँववालों को भी बड़ा बुरा लगा। मेरे लड़कों को भी अनुचित लगा। पर मैं डटा रहा अपनी बात पर।

तेजप्रताप सिंह

"तभी क्या हुआ भाईजी, मैं बीमार पड़ गया। बच्चाजी (दीवान साहब के पुत्र तेजप्रताप सिंह) को पता लगा। वे तुरत आये। बाबूजी को खबर लगी। वे मेरे पास बड़ी देर बैठे रहे। फिर वे लेट गये और इतनी देर लेटे रहे, जितनी देर में औरतें दो-ढाई सेर आटा पीस लें। उनका प्रेम देखकर मेरे आँसू भर आये। इतनी देर वे मेरे घर रहे, पर दान की बात तक वे जबान पर नहीं लाये।"

मैं देख रहा था कि मनियाँ बाबा पर प्रेम के जादूगर की छड़ी घूम रही है। बिना कहे ही वह प्रेमजाल में फँसता जा रहा है।

मैंने पूछ दिया : "क्यों मनियाँ बाबा, आप पर दीवान साहब के इस प्रेम का कुछ असर नहीं पड़ा ?"

"वह तो पड़ा, भाईजी ! एक गाँव में एक दिन मैंने किसीको

यह कहते सुना कि 'दीवान साहब इतने बडे आदमी हैं, पर अपने गाँव के एक केवट से भूदान नही करा सके ?' यह सुनकर मेरा जी भीतर से कचोट उठा। पर जमीन का मोह फिर भी नही छूट रहा था !

"ऐसे ही एक दिन मोटर से एक साहब आये थे बाहर से। बाबूजी ने मुझे बुलाया। एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ वे। बाबूजी हम दोनों के कन्धों पर हाथ धरे देर तक टहलते रहे। उन साहब से बाबूजी बोले : 'देखिये, यह शख्स दान नहीं करता। मैं जब जेल मे था, तब यह घर छोडकर भाग गया था। दूसरे लोग इसकी जमीन हथिया रहे थे, पर मैंने चिट्ठी लिखकर उसे रुकवाया। पर यह मेरी बात ही नही सुनता।' सचमुच भाईजी, उस समय बाबूजी न रुकवाते, तो मेरी सारी जमीन चली जाती।"

"फिर भी आपने दान नही किया ?"

"कर तो देता, बाबूजी जबर्दस्ती करते, तो कर देता; पर वे तो कहते

दीवान साहब का परिवार

थे : 'प्रेम से हम समझाते जायँगे। तुम्हें जब जँचे, तभी करना।' एक दिन रानी साहिबा ने मुझे बुलाया। वे घर पर भी आयीं। पर मैं घर पर

था नही। पता लगा, तो कोठी पर गया। वे पर्दा करती नही। मै बुजुर्ग पडता हूँ। इसलिए मैं ही पीठ का पर्दा करके बैठ गया। उन्होने भी भूदान के लिए कहा, तो मैं बोला : 'हो जायगा दान। सब करेंगे, तो मैं बचा थोडे ही रहूँगा।

गाँव में आयो होरी।
का महतो का कोरी॥'

फिर मैं चाला (धुप्पल) देकर सिकरौधा चला गया। लड़के बहुत बिगड़े, पर मैंने कहा : 'नही, मैं अभी दान न करूँगा'।

"लड़को का बिगड़ना आपको खटकता नही था?"

"खटकता तो था भाईजी, पर मुझे लगता था कि इन्हीके लिए तो मैं यह सब कर रहा हूँ और ये समझते ही नही! मेरा क्या, आज हूँ, कल नही रहूँगा। जमीन हाथ से निकल जायगी, तो आगे इनका क्या होगा?"

"उसके बाद?"

बाबूजी

"उसके बाद भी बाबूजी लगातार समझाते रहे। कई बार उन्होंने कहा कि तुम बच्चो की चिन्ता न करो। गाँव के और बच्चे जैसे रहेंगे, वैसे ही तुम्हारे भी बच्चे रहेंगे। पर मैं नही माना।

इसके बाद भाईजी आया झाँसी-सम्मेलन। उसके पहले बाबूजी आये। शाम को बुलाया। बीच में एकाध बार मेरे मन मे आया था कि मैं भी दान कर दूँ, पर

बच्चों की बात सोचकर फिर पलट जाता था। उस दिन बाबूजी ने फिर कहा : 'कहो मनियाँ, अब मौका है। करते हो दान ?' मैंने कहा : 'नहीं बाबूजी, पहले हो जातो, अब तौ मन बहल गओ।'

'अच्छी बात है। रातभर सोच लो। खुशी हो, तो कल सवेरे झाँसी आ जाना।'—इतना कहकर वे चले गये।

मेरे लड़के ने घर आकर कहा : 'तुम्हारी बात से बाबूजी को बड़ा दु:ख हुआ। तुम्हारे लिए ही वे छह-सात रुपये का पेट्रोल खर्च करके यहाँ आये और तुमने टका-सा जवाब दे दिया। तुम्हें किसी बात का लाज-लिहाज नहीं। दीवान साहब इतना प्रेम करते हैं और तुम उनकी जरा-सा बात नहीं मानते ? कुछ तो हम लोगों के भविष्य का खयाल करते ! ...'

और यह सब कहते-कहते मेरा बेटा जोर से रो पड़ा !

दानपत्र पर हस्ताक्षर

अब मुझसे भी नहीं रहा गया, भाईजी ! मैंने उसे गले लगाकर कहा : 'रो मत। तुम्हीं सबके लिए तो मैं पाँच साल से अड़ा था। जब तुम्हारी यही मंशा है, तो मुझे क्या ?'

दूसरे दिन ट्रक से झाँसी गया।

वावूजी वोले : 'क्यों मनियाँ, क्या सोचा ?'

'सोचा क्या वावूजी, मैं यों ही भूदान थोड़े ही करूँगा। जीवनदान करूँगा। केरल जाऊँगा। सेतवाँध रामेश्वर जाऊँगा। सारा इन्तजाम आपको करना होगा।'

वावूजी वोले : 'खर्च की चिन्ता मत करो। पर भूदान किसी दवाव से मत करना। तुम्हारी खुशी हो तो भूदान करना।'

'मेरी सोलह आना खुशी है वावूजी। आप सवसे मैं अलग रहूँगा कैसे ?'

और वस भाईजी, मैंने छोटे वावाजी (वावा राघवदास) के सामने दानपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।"

× × ×

हृदय-परिवर्तन की कैसी अद्भुत कहानी ! ● ● ●

सिंहावलोकन

१. सम्मिलित परिवार : एक प्रयोग

२ हँडिया के चार स्रोत

३. लोग क्या कहते हैं ?

४. कमियाँ : कमजोरियाँ : समस्याएँ

सम्मिलित परिवार : एक प्रयोग : १ :

२२ जून, १९५३ : ज्येष्ठ शुक्ल १०, २०१० वि० ।

गाधी-चौरे पर प्रात-काल की वेला मे ३५ परिवारों ने संकल्प लिया :

"(१) मै अपने परिवार, अपने गाँव और गाँव के वाहर प्रत्येक व्यक्ति के साथ सचाई और प्रेम का व्यवहार रखूँगा और उसकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा।

(२) मै अपनी पूरी योग्यता और तन, मन, धन की पूरी ताकत से अपने परिवार के हित मे अधिक-से-अधिक काम करूँगा।

(३) अपनी जरूरतें पूरी करने के पहले दूसरों की जरूरत पूरी करने का ध्यान रखूँगा।

(४) मै कभी भी किसी भी व्यक्ति के दिल को दुखानेवाली आलोचना न करूँगा।

(५) परिवार की व्यवस्था तथा प्रवन्ध की दृष्टि से वनाये गये प्रबन्धक की आज्ञा का पालन करूँगा।

(६) परिवार के अतिरिक्त भी गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के मन को प्रेम और सेवा से जीतकर अपने परिवार में सम्मिलित करने का मार्ग प्रशस्त करूँगा।

भगवान् मुझे शक्ति दे कि मै अपने संकल्प पर आरूढ़ रहूँ।"

× × ×

ऐसे संकल्पवाले ३५ परिवारों ने सम्मिलित खेती और रोजगार के निश्चय के साथ अपना विस्तृत परिवार वनाया। इनमें १४ परिवार ऐसे थे, जो पहले भूमिहीन थे और इसी साल उन्हे भूमि मिली थी।

सामूहिक परिवार में १०७ में से केवल ३५ परिवार ही शामिल हुए। पूरे गाँव को इस प्रयोग में डालना ठीक नहीं समझा गया। सिर्फ उतने ही परिवार इसमें शामिल किये गये, जिन्होंने अपनी इच्छा से इसमें शामिल होना स्वीकार किया। किसीको ऐसे प्रयोग का कोई अनुभव था नहीं और आसपास के गाँववाले इस ढंग के प्रयोगों को असफल करने के लिए प्रयत्नशील थे ही। इसलिए यही सोचा गया कि शुरू में उन्हीं लोगों को लेकर आगे बढ़ा जाय, जो इसके लिए तैयार हैं। आगे इसके सफल होने पर और लोग स्वतः शामिल हो ही जायेंगे।

यों मंगरौठ में सम्मिलित कृषि-परिवार की नींव पड़ी। शामिल होनेवालों ने एक स्वर से कहा : 'परिवार बनन देउ। परिवार बनो चहिए।'

× × ×

हाँ, तो परिवार बना।

इस सम्मिलित परिवार ने ३४१·१६ एकड़ 'जमीन पर सामूहिक खेती शुरू की।

२१९·६६ एकड़	पुरानी मजरूआ जमीन
८६·५० ,,	नयी तोड़ी जमीन
३५·०० ,,	करगवाँ ग्राम की जमीन
३४१ १६	

पर, खेती शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत थी। कर्ज चुकाने के लिए पैसे की जरूरत थी। फसल जब तक तैयार न हो, तब तक खाने के लिए पैसे की जरूरत थी।

गांधी-स्मारक-निधि से सहायता मिली और काम चल निकला। सर्वोदय-मण्डल सम्मिलित परिवार को अपने काम में उत्साहित करने लगा। उसकी स्वयं चुनी हुई ९ व्यक्तियों की प्रबंध-समिति उसकी सारी व्यवस्था करने लगी।

सम्मिलित परिवार में जो परिवार शामिल हुए, उन सभी परिवारों

की निजी आवश्यकताओं पर यह प्रबंध-समिति विचार करती। प्रत्येक की माँग के औचित्य पर सोचती और अपना निर्णय देती । चौका सबका अलग रहता। राशन, कपड़ा तथा दैनिक आवश्यकता की सभी चीजें सबको जरूरतभर दे दी जाती थी। प्रति प्रौढ प्रतिदिन एक सेर के औसत से गल्ला दिया जाता था। बच्चों के लिए भी समझ-बूझकर अनाज दे दिया जाता था। नमक, कडुआ तेल, मसाला, मिट्टी का तेल आदि सबको आवश्यकतानुसार दिया जाता था। दाल जिसके पास जो भी थी, उसने खर्च की, फसल पैदा होने पर दी गयी । विशेष मौके पर, तिथि-त्योहारों पर, मेहमानों के आने पर दाल, तरकारी तथा घी, चीनी, गुड़, चावल आदि आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाती थी। लक्ष्य यह रखा गया था कि रहन-सहन का जो पुराना 'स्टैण्डर्ड' है, वह न घटे और प्रयत्न यह किया जाय कि मनुष्योचित एक नया 'स्टैण्डर्ड' बने। खर्च आमदनी से न बढ़ाया जाय, पर कोशिश इस बात की हो कि आमदनी पहले से बढे।

सम्मिलित परिवार के खान-पान, भोजन-वस्त्र, ब्याह-शादी, कर्ज-ब्योहार आदि सभी बातो की भरपूर व्यवस्था करने की पूरी चेष्टा की जाने लगी।

खेती के काम मे 'परिवार' के सदस्य जुट गये। सब जमीन सबकी थी, न कोई मजदूर था, न कोई मालिक। सबकी आवश्यकताएँ पूरी होने लगी। खेती के साधन जुटाने में ३५००), कर्ज चुकाने में १२००), राशन जुटाने में ४०००) लग गया। पर खरीफ की पहली फसल इतनी नहीं आ सकी कि भोजन की ही पूर्ति हो पाती।

पहले ही वर्ष सम्मिलित परिवार मे ७ विवाह और ५ गौने हुए, जिनमें लगभग २५००) खर्च हुआ। इस मौके पर गेहूँ, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ परिवार के स्टोर से दी गयीं।

× × ×

सब मिलकर प्रेम से रहेंगे, सब मिलकर पूरी ताकत से काम करेंगे,

सब मिलकर खायेंगे—सम्मिलित परिवार का यह संकल्प धीरे-धीरे शिथिल होने लगा और उसका नतीजा यह हुआ कि सम्मिलित परिवार की नींव में कीड़ा लग गया।

खाने को भरपूर मिलेगा ही, पहनने को जरूरतभर मिलेगा ही, ब्याह-शादी, कर्ज-व्योहार का काम चलेगा, फिर और क्या चाहिए? सम्मिलित परिवार के अनेक सदस्य काम में लापर्वाही करने लगे। भले ही घर में काम करने लायक दस स्त्री-पुरुष हों, सामूहिक खेती के काम पर सिर्फ एक आदमी जाने लगा, और सो भी मन लगाकर काम न करता। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने की बात आती, तो दसों आदमियों का पूरा हिसाब लगाता। उसी हिसाब से राशन लेता, कपड़ा लेता, जूता लेता, जरूरत की और चीजें लेता।

'परिवार' के बहुत से सदस्य अधिकारों पर तो अड़ने लगे, कर्तव्य में पिछड़ने लगे!

× × ×

धीरे-धीरे सम्मिलित परिवार टूटने लगा। सदस्य कहने लगे कि: "भैया, सटिहैं ना अब।"

जून '५४ में २५ परिवार अलग हो गये और २८ जून '५६ को प्रबंध-समिति में "चर्चा हुई कि दीवान साहब को चिट्ठी लिख दी जाय कि 'परिवार' खतम हो गया।"

यों तीन वर्ष के भीतर सम्मिलित परिवार का प्रयोग समाप्त हो गया।

इस सम्मिलित परिवार में सबसे अधिक त्याग दीवान साहब का ही था। सबसे अधिक जमीन उन्होंने दी थी। वे चाहते, तो उससे अपना पूरा खर्च ले सकते थे, पर उन्होंने उससे कौड़ी भी नहीं ली; बल्कि परिवार की सफलता के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। फिर भी यह अधिक समय तक न चल सका। दीवान साहब की कल्पना वास्तविकता की चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो गयी।

× × ×

सम्मिलित परिवार के प्रयोग की असफलता के मूल कारण ये थे :

(१) यह बहुत ऊँचा आदर्श था। जो लोग इसमें शामिल हुए, उनकी मानसिक योग्यता वैसी नहीं थी कि वे इस आदर्श को कार्यरूप में परिणत कर सकें।

(२) सदस्यों में कर्तव्य के प्रति जागरूकता कम होती गयी, स्वार्थ की ओर उनकी प्रवृत्ति बढती गयी।

(३) सदस्यों में अनुशासनहीनता इतनी बढ गयी थी कि कोई किसीकी बात सुनने को तैयार न था।

(४) बहुत से सदस्यों को ऐसा लगता था कि हम मेहनत अधिक करते हैं, पर सबके शामिल रहने से फायदा सबमे बँट जाता है और हमें श्रम का भरपूर पुरस्कार नही मिलता।

(५) सम्मिलित परिवार का हिसाब इतना व्यवस्थित नही रखा जा सका कि उत्पादन और वितरण पर पूरी दृष्टि रह सके और उसे ठीक ढंग से संतुलित किया जा सके।

(६) कुछ सदस्य ब्याह-शादी और कर्ज आदि के संकट से मुक्त हो गये, तब उन्होंने अलग हो जाने में ही अपना लाभ देखा।

(७) कुछ लोग सम्मिलित परिवार मे अपनी 'लीडरी' चमकाने के लिए प्रयत्नशील थे। उसमें बाधा पडने पर विघटन की ओर झुके।

इन्ही सब कारणों से मगरौठ का सम्मिलित परिवार का प्रयोग सफल न हो सका। पर, उसका यह अनुभव भविष्य के लिए लाभकर सिद्ध हो सकता है तथा ग्राम-परिवार की आधार-शिला बन सकता है और जरूर बन सकता है। क्योंकि हम—

'लगाते है गोता उछलने के खातिर।' ० ० ०

हँडिया के चार सीत : २ :

मराठी में एक कहावत है : 'शितावरून भाताची परीक्षा'। हँडिया के चार सीत टटोलकर ही जान लिया जाता है कि भात अभी पका है अथवा नहीं।

आइये, मँगरोठ के भी हम चार सीत टटोलकर देखें कि ग्रामदान के बाद पांच साल के भीतर उसकी आर्थिक स्थिति पर कैसा क्या असर पड़ा है।

× × ×

सर्वोदय का अर्थ है—अन्त्योदय।

समाज में जो सबसे निचली मंजिल पर है, वह अभी वहां पर है अथवा उससे कुछ ऊपर उठा है, यह है हमारी कसौटी।

यहीं से हम अपनी जांच शुरू करते हैं।

× × ×

सबसे पहले लीजिये एक भूमिहीन को—

सुमेर चमार

१९५२-५३		१९५६-५७
परिवार के सदस्य ७		७
भूमि—बिलकुल नहीं।		७ बीघा
उपज	×	१० मन
भूमि से आय	×	१००)
पशु	×	२ गायें।
पशु से आय	×	५०)
अन्य साधन		
मजदूरी १) प्रतिदिन	३६०)	सिलाई २४०) मजदूरी ४२५)
कुल आय	३६०)	८१५)

यह पहले भूमिहीन था। न उसके पास जमीन थी, न जानवर। आय का एकमात्र साधन थी मजदूरी। एक व्यक्ति का औसत १) दैनिक। सालाना ३६०) आय थी।	आज इसके पास ७ बीघे जमीन है—२ बीघा काबर, ५ बीघा राँकर। उससे अभी १० मन उपज होती है। आगे और बढ़ने की आशा है। एक लड़का सिलाई का काम करने लगा है। मजदूरी अब एक ही व्यक्ति नहीं करता। कभी-कभी दो व्यक्ति मजदूरी पर जाते हैं। दो गायें हैं, एक सूखी है, एक दूध देती है। इस प्रकार कुल मिलाकर सालाना आय ८१५) है।

आय में वृद्धि के कारण :

(१) भूमि की प्राप्ति, जिससे खेती करने लगा।
(२) दो गायें रख ली।
(३) सालभर मजदूरी मिलने लगी।
(४) लड़के ने सिलाई का काम सीख लिया।

× × ×

यह हुआ एक उदाहरण।

हरिजन का ही दूसरा उदाहरण लीजिये :

मातादीन चमार

१९५२-५३		१९५६-५७
परिवार के सदस्य	८	८
भूमि	१२ ७८ एकड़	९ ८० एकड़
उपज	१६ मन	८४ मन
भूमि से आय	१६०)	८४०)
पशु (२ बैल, २ बछिया)	४	५ (२ बैल, १ बछवा, १ गाय सूखी, १ गाय दुधार)
पशुओं से आय	×	१२०)

अन्य साधन

मजदूरी और चमड़े का काम	३६०)	४८०)
कुल आय वार्षिक	५२०)	१४४०)

भूमि पहले से कम हो गयी, फिर भी आय लगभग तिगुनी हो गयी।

आय में वृद्धि के कारण:

(१) चार बीघे जमीन में सिंचाई की व्यवस्था।
(२) शेष भूमि की अच्छी तरह कमाई।
(३) खेतों की बंधी।
(४) खेतों में खाद की व्यवस्था।

× × ×

अब एक साधारण गृहस्थ-परिवार लीजिये :

पन्नालाल कायस्थ 'प्रधानजी'

	१९५२-५३	१९५६-५७
परिवार के सदस्य	७	७
भूमि	२१·८९ एकड़	१७·३२ एकड़
उपज	५० मन	१०० मन
भूमि से आय	५००)	१०००)
पशु (१ बैल, १ भैंस, १ बकरी)	३	९ (१ भैंस, ३ बैल, ३ बकरी, २ पड़िया)
पशुओं से आय	२४०)	२७०)
अन्य साधन		
वेतन	६६०)	६९६)
कुल आय वार्षिक	१४००)	१९६६)

आय में वृद्धि के कारण :

(१) पहले बटाई पर खेती होती थी। स्वयं कभी खेत के दर्शन न करते थे। अब खुद सारी खेती करते-कराते हैं।

(२) पहले अधिक समय चौपड़ खेलने मे जाता था। अब गाँव में कोई चौपड़ खेलता नही दीख पडता।

(३) खेतों मे खाद का प्रबंध।

(४) सिंचाई की व्यवस्था।

× × ×

अब एक और अच्छी स्थितिवाले किसान को लीजिये :

लल्ली उर्फ कालीदीन केवट

१९५२-५३		१९५६-५७
परिवार के सदस्य	१०	१०
भूमि	३३ ७८ एकड	२६ ६६ एकड
उपज	१२० मन	१४० मन
भूमि से आय	१२००)	१४००)
पशु (४ बैल, २ भैसे, २ गाये)	८	१४ (४ बैल, २ भैसें, ६ गायें, १ ओसर, १ कलोर)
पशुओं से आय	३८२)	६४८)
कुल आय वार्षिक	१५८२)	२०४८)

आय में वृद्धि के कारण :

(१) खेतों की सिंचाई की व्यवस्था।

(२) पशुओं की संख्या और दूध में वृद्धि।

× × ×

ये ४ उदाहरण किसी भूमिका की अपेक्षा नहीं रखते।

हाथ कंगन को आरसी क्या ?

● ● ●

लोग क्या कहते हैं ? : ३ :

मंगरौठ आज दुनिया के नक्शे पर है।
पर, उसके बारे मे लोग कहते क्या हैं ?
आइये, घर से ही हम शुरू करें।

× × ×

"ग्रामदान के सिलसिले में आपको सबसे प्रभावशाली घटना कौन सी लगी ?"

दीवान शत्रुघ्न सिंह : "मुझे दो घटनाएँ अत्यन्त प्रभावशाली लगी। एक तो नारी-पक्ष की दृढता कि संत को दिया गया वचन लौटाया नहीं जा सकता। दूसरी है, खाता खेवट मे सर्वोदय-मण्डल का नाम चढवाने की घटना। तहसीलदार ने लोगो के व्यक्तिगत नाम चढ़ाकर डुग्गी पिटवा दी कि जिसे उज्र करना हो, करे। गाँववाले इस बात पर अड़ गये कि खाता खेवट मे सर्वोदय-मण्डल का ही नाम चढे, हमारा व्यक्तिगत नाम न चढाया जाय। गाँव की मन.स्थिति का इतना ऊँचा उठना साधारण बात नही है।"

× × ×

"आपके पास कितनी जमीन है ?"

कढ़ोर महतो : "पहले ४० बीघे के लगभग थी, अब ३० बीघे।"

"उपज कैसी क्या है ?"

महतो : "उपज खूब है। गेहूँ, चना, ज्वार, तिल—सब कुछ पैदा होता है।"

"ग्रामदान के बाद उपज पर कुछ असर पड़ा ?"

महतो : "सिंचाई का प्रबंध हो जाने के कारण पहले से उपज बहुत

बढ गयी। पार जाकर भी पहले कुछ खेती करते थे। जमींदार ने उसे छुड़ा लिया। फिर भी पैदावार पहले से ज्यादा है।"

"कैसी गुजर हो रही है ?"

महतो : "खूब मजे मे गुजर होती है। खाने को गेहूँ है। ढोरों को पानी है। आनन्द ही आनन्द है।"

"गाँव में पहले से कुछ फर्क मालूम होता है ?"

महतो : "गाँव का हाल पहले से बहुत अच्छा है। गाँव मे कोई भूमिहीन नही है। सबकी हालत पहले से सुधरी है।"

"कितने ढोर हैं आपके पास ?"

महतो : "दस हैं, उनमे १ भैंस, १ गाय, १ बकरी और ४ बैल है। घी-दूध खूब होता है। अभी हाल में बैलों की एक नयी जोड़ी खरीदी है ३६०) मे। एक बैलगाडी भी है अपने पास।"

"कपड़े का क्या हाल है ?"

महतो : "खादी यहीं लेते हैं आश्रम से। मर्द तो खादी ही पहनते हैं, स्त्रियाँ अभी मिल को धोती पहनती हैं।"

"गाँव में आपको कोई कमी लगती है ?"

महतो : "पीने के पानी की जरूर दिक्कत है। पानी बहुत गहराई पर है। उसका इन्तजाम हो जाय। ऊपर के दर्जो की पढाई की व्यवस्था हो जाय। कुछ लोग बेकार हैं, उनके लिए कुछ काम का प्रबंध हो जाय, बस।"

× × ×

इन्द्रपाल भाई की माँ मेरी माँ जैसी ही वृद्धा है, पर मेरे सामने नही आयी। पर्दे से ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देती रही, हालांकि बाद मे उन्होंने रामरती बहन के पास इसके लिए माफी भी माँगी। मनोहर भाई ने हमारे मध्यस्थ का काम किया।

"ग्रामदान से गाँव पर क्या असर पडा है, माँ ?"

माँ : "गाँव की फसल खूब बढ गयी है। दान में जमीन चली जाने

से जमीन तो कम हो गयी, पर फसल पहले से कहीं ज्यादा हो गयी। इस साल जरूर फसल कुछ कम आयी है। पहले लोगों को खाने को पूरा न पड़ता था, दूसरे गाँवों से उधार लाते थे। अब सबको सुख है। चरखा भी चलता है। हम भी कुछ कातती रहती हैं।"

× × ×

"ग्रामदान से आप लोगों को कोई लाभ हुआ ?"

कालूराम मिस्त्री : "हाँ भाईजी, हम हरिजनों में हरएक को ७-७॥ बीघा जमीन मिली। उसमें फायदा भी है।"

"कोई शिकायत है आपको ?"

मिस्त्री : "हमारे कई लड़के मिडिल पास हैं। वे बेकार बैठे हैं। उनके लिए कोई काम चाहिए।"

× × ×

"कहिये पंडितजी, ग्रामदान में आपको क्या लगता है ?"

हरप्रसाद : "बड़ा अच्छा हुआ भाईजी। हमारे पास तो पहले ५५ बीघा जमीन थी, अब ४४ ही रह गयी है, पर फसल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गयी है। पहले बीघे में १, १॥, २ मन से ज्यादा उपज न होती थी, अब तो ७-७॥ मन तक हो जाती है। किसीमें कुछ कम भी होती है। अब सब लोग जी-जान से, मेहनत से खेती करते हैं। सिंचाई आदि की भी सुविधा हो गयी है। इसलिए उपज पहले से खूब बढ़ गयी है। गाँव की तरक्की के लिए प्रकाश भाई खूब मेहनत कर रहे हैं। दीवान साहब से भी ज्यादा।"

× × ×

"क्यों दादा, तुम्हारा क्या हाल है ?"

मनोहर धोबी : "मैं तो भाईजी, दूसरे गाँव से हाल में ही यहाँ मंगरौठ में आकर बसा हूँ। थोड़ी-सी जमीन हमें मिल गयी है। उस पर खेती करता हूँ। मजदूरी खूब मिल जाती है।"

"रोज कितनी मजदूरी मिल जाती है ?"

मनोहर . "मर्दों को १) रोज, स्त्रियों को ।।।) रोज। मेरे बेटा-बेटी भी मजदूरी कर लेते है।"

"तुम्हारे पपीते तो खूब बडे-बडे है दादा ?"

मनोहर : "हाँ भाईजी, पपीते खूब लगे हैं। यह सब प्रकाश भाई की कृपा है। पकने पर उन्हे ही पहले खिलाकर तब खाऊँगा।"

× × ×

"मंगरौठ का ग्रामदान हो कैसे गया बाबा ?"

चन्दी बाबा (चन्द्रशेखर सिह) : "यह इस घर का (दीवान साहब के घर का) प्रताप है। गाँव के सब लोग इनकी बात मानते हैं। आदर करते हैं। ये जो कह दें, सो लोग कर डालें। इन्हीके कहने से लोग जेल गये और देश का इतना काम किया। इसके अलावा, गाँव झगडालू है नही। एक सूत पर चलता है। पचास-साठ साल से तो हम देख रहे है। कभी कोई झगडा बाहर नही गया। सब आपस मे ही सुलझा लेते हैं। तभी तो यहाँ ग्रामदान हो सका।"

"आसपास के गाँवों में ग्रामदान की हवा क्यों नही फैलती ?"

बाबा · "आसपासवाले कहते है, 'ऐसी बात हैं कैसे सकत ?' वे मंगरौठ को अपवाद मानते हैं। यहाँ की तरक्की, एकता और मेल-मिलाप को देखकर कहा करते हैं 'मंगरौठ की बात न करो। यह तो अपने ढंग का गाँव है।' फिर भी धीरे-धीरे यहाँ की हवा और गाँवों में फैलेगी ही।"

"ग्रामदान होने से गाँव को कोई फायदा हुआ ?"

बाबा "क्यो नहीं हुआ ? बहुत फायदा हुआ। बम्वा (नहर) निकर गये। पैदावार बढ गयी। पहले बंधी नही थी। जब बंधी पडने लगी और उससे उपज बढने लगी, तो लोगों को बड़ा उत्साह बढा। अब खूब बंधी बँधती है।"

"गाँव में आपको किस चीज की कमी लगती है ?"

बाबा : "उद्योग-धंधों की अभी कमी है। चमड़े का, ऊन का, लकडी का, तेलघानी का, साबुन का उद्योग यहाँ खूब पनप सकता है।"

"गाँव में ग्रामदान के बारे में कैसी भावना रहती है ?"

बाबा : "गाँववालों में हरदम यह भावना बनी रहती है कि हमारे गाँव में सर्वोदय है। हम कहीं कोई ऐसा काम न कर बैठें, जिससे गाँव की बदनामी हो। धीरेन भाई की यह बात लोगों ने गाँठ बाँध ली है कि इतिहास में तुम्हारे गाँव का नाम तो लिख गया है; अब यह तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम उसे सुनहली स्याही से लिख रखो या काली स्याही से !"

× × ×

ये तो हुईं घरवालों की बातें।

अब बाहरवालों की भी सुनिये।

एवेलीन रेनाल्ड्स ने 'न्यू स्टेट्समैन एण्ड नेशन' (लन्दन) के १५ सितम्बर १९५४ के अंक में THE VILLAGE THAT GAVE ITSELF TO GOD (ईश्वरार्पित गाँव) शीर्षक से लिखा :

"मंगरौठ की कहानी वहाँ के जमींदार दीवान साहब की गढ़ी के भीतर शुरू हुई। वे भूदान के जन्म के पूर्व ही भूमि-सुधार के लिए प्रयत्नशील थे और १९५२ में जब विनोबा भूदान माँगते हुए मंगरौठ पहुँचे, तो उसके लिए जमीन तैयार थी। गाँववालों ने दो दिन और दो रात खूब विचार-मंथन के बाद दीवान साहब के नेतृत्व में अपनी सारी संपत्ति संत के चरणों में अर्पित कर दी। जो हो, मंगरौठ ने कीर्ति प्राप्त की है। वह निश्चय ही अपने ढंग का अकेला गाँव है।"

—'Bhoodan as seen by the West' Pages 31–34

× × ×

हेलम टेनीसन : ब्रिटिश पत्रकार।

बड़े हौसले से, बड़ी मुसीबतें झेलकर मंगरौठ पहुँचा, बैलगाड़ी के धूल-धक्कड़ से परेशान होकर। पर वहाँ पहुँचने पर जब उसे पता चला कि गाँव में अंग्रेजी बोल सकनेवाले दो के दोनों व्यक्ति गायब हैं, तो

अपनी यात्रा की मुसीबतें याद कर क्रोध से तमतमा उठा। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह अब करे, तो क्या! हिन्दी उसे आती ही नहीं, अंग्रेजी बोलनेवाला गाँव मे कोई है नहीं। अब गाँव की जानकारी उसे मिले कैसे ?

अपनी असहाय अवस्था पर उसने अपने ही दाँतों अपनी जीभ काट ली। इतना सारा श्रम व्यर्थ गया। ट्रेन छूटी सो अलग।

अब क्या हो ? टूटी-फूटी हिन्दी में दर्शनार्थी भीड़ से बोला : "कृपा कर आप लोग चले जाइये यहाँ से। अब कोई चारा नही। क्या कहूँ मैं आपसे ? मै हिन्दी जानता नही, मै केवल बंगला बोल सकता हूँ।"

और तभी एक चमत्कार हुआ।

पीछे से किसीने कहा : "आमिओ बंगला कथा जानि !" (मैं भी बंगला बोलना जानता हूँ !)

डूबते को तिनके का सहारा !

अपने इस मध्यस्थ के द्वारा उसने अपना काम बना लिया। 'Saint on the March' (पदयात्री संत) पुस्तक मे विस्तार से उसने अपनी यह कहानी दी है। गाँव के सहभोज मे उसे शामिल करके गाँववालों ने उस पर जो प्रेम प्रदर्शित किया, उससे वह विभोर हो उठा।

२३ अक्तूबर १९५५ के पत्र मे उसने लिखा है :

"………I was much impressed with the spirit and strength of the movement there (at Mongroth) when I visited last year—but also impressed with the very real difficulties of water and fertilization which you faced in trying to improve the agricultural yield of your land."

"……पारसाल आपके गाँव में आन्दोलन की जिस भावना और शक्ति का मुझे दर्शन हुआ, उसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अपनी

जमीन की उपज बढ़ाने के लिए आप पानी तथा अन्य जिन कठिनाइयों से लोहा ले रहे हैं, उनका भी मुझ पर बड़ा असर हुआ····"

× × ×

और रीची ?

वह तो बाग-बाग है मंगरौठ पर।

दिल्ली में International Work Camp Organizers सम्मेलन का यह प्रतिनिधि डेविड एस० रीची जनवरी '५८ में मंगरौठ पहुँचा था। अभी-अभी उसकी रिपोर्ट छपी है, जिसमें वह लिखता है :

"Five years later, I was overjoyed to see the *progress* being made (*progress that no one* peasant could have achieved alone). I joined with the villagers in the construction of earthen dams to capture the deluges of the rainy season and so transform this barren destitute soil eroded 'Jungle' into a garden spot !"

पाँच साल में मंगरौठ की आश्चर्यजनक प्रगति देखकर वह फूला नहीं समाता। भारत-सेवक-समाज के शिविर के बालकों के साथ वह भी श्रमदान करता है और बंधी बाँधने में हाथ बँटाता है। जंगल को चमन बनाने के इस प्रयत्न पर वह जी-जान से न्यौछावर है। मंगरौठ की अपनी इस यात्रा को वह 'THE FINEST CLIMAX OF MY TIME IN INDIA' (भारत-प्रवास का सर्वोच्च आनन्ददायी क्षण) बताता है।

यह है मंगरौठ की कहानी, अपनों और परायों की जबानी ! ● ● ●

कमियाँ : कमजोरियाँ : समस्याएँ : ४ :

मंगरौठ भारत का पहला ग्रामदान है ।

मंगरौठ ग्रामदान के उपरान्त अन्न-स्वावलंबी हो गया है ।

मंगरौठ वस्त्र-स्वावलंबन की दिशा में कदम बढा रहा है ।

मंगरौठ उद्योगो के विकास की दिशा मे प्रगति कर रहा है ।

मंगरौठ ने 'अपनी दूकान' खडी कर ली है और उसका विस्तार कर रहा है ।

मंगरौठ ने नव-निर्माण की ओर भी मुस्तैदी से कदम बढ़ाया है ।

मंगरौठ ने शिक्षा, आरोग्य, मनोरंजन और पंचायत के मामले में भी पहले से कुछ प्रगति की है ।

मंगरौठ ने नैतिक दिशा मे भी उन्नति की है ।

× × ×

मंगरौठ की यह तसवीर आकर्षक है । परन्तु यह इसका एक ही पहलू है । दूसरे पहलू की भी हम उपेक्षा नही कर सकते । मंगरौठ मे आज भी कितनी ही कमियाँ है, कितनी ही कमजोरियाँ है ।

मंगरौठ मे आज भी कितनी ही समस्याएँ है ।

× × ×

आलोचको की शिकायते है .

मगरौठ मे भूमि का अभी सम-वितरण नही हो सका ।

चावल, दाल, चीनी, गुड आदि वस्तुएँ अभी बाहर से आती है ।

सारा गाँव अभी वस्त्र-स्वावलंबी नही बन सका ।

खादी के अलावा मिल का कपडा भी अभी चलता है ।

ग्रामोद्योगो का अभी भरपूर विकास नही हो पाया ।

कर्ज आधे से कम रह गया है, पर पूरा नही पटा ।

अभी गाँव की श्रम-शक्ति का पूरा उपयोग नही होता। बेकारी चलती है।

गाँव की सारी खरीद-फरोख्त 'अपनी दूकान' के मार्फत नही होती।

गाँव मे जितनी सफाई होनी चाहिए, अभी नहीं है आदि।

कुछ आलोचक यह भी कहते है कि दीवान साहब राजनीति से पूर्णतः संन्यास लेकर यदि गाँव में बैठ जायँ, तो मंगरौठ की प्रगति में देर न लगे। परन्तु मुसीबत यह है कि 'बाबा तो कमली को छोड दे, कमली ही बाबा को नही छोड़ती !'

सर्वोदय-मडल के नौजवानो की टोली अपनी पूरी शक्ति से गाँव की इन कमियो और कमजोरियो को दूर करने के लिए सचेष्ट है। काम बड़ा है, इसलिए उसमें देर लगनी स्वाभाविक है। पर हमारा विश्वास है कि मंगरौठ का नया खून थोड़े ही दिनों मे सब कठिनाइयों को हल करके मानेगा।

वह दिन दूर नहीं, जब मंगरौठ भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रामदानी ग्राम बनकर उसी तरह देश का नेतृत्व करेगा, जैसे सबसे पहले उसने अपनी 'सबै भूमि गोपाल की' बनाकर किया था।

प्रभु वह दिन शीघ्र लाये !

●